

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार  
संघ सरकार के लेखे  
2004 की संख्या - 1

1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
विशिष्टतायें		iii
अध्याय	विषय	
1.	संघ सरकार की अर्थव्यवस्था - विहंगावलोकन	1
2.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना	9
3.	संसाधनों का उपयोग: व्यय	20
4.	घाटे : राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन	32
5.	राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन	39
6.	विनियोग लेखे 2002-03 : प्रस्तावना	48
7.	विनियोग लेखे 2002-03 : एक विश्लेषण	52
8.	चुने हुये अनुदानों की समीक्षा	69
9.	सरकार की अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन: एक सामान्य मूल्यांकन	90
	परिशिष्ट की सूची	97
	परिशिष्ट	98
	शब्दावली	135



## प्राक्कथन

मार्च 2003 को समाप्त हुये वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़ कर) पर नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों के साथ-साथ मंत्रालयों की निष्पादन लेखापरीक्षा पृथक रूप से प्रतिवेदन सं.2, प्रतिवेदन सं.3, प्रतिवेदन सं.14 और प्रतिवेदन सं.15 में सम्मिलित की गयी हैं।

संघ सरकार के लिए,स्वायत्त निकायों (सं.4), वैज्ञानिक विभाग (सं.5), रक्षा सेवाएं - सेना तथा आयुध फैक्ट्रियां (सं.6), रक्षा सेवाएं - वायु सेना एवं नौ सेना (सं.7), रेलवे (सं.8 एवं 9), अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क (सं.10), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं.11) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.12 एवं 13) पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद के पटल पर रखे जाते हैं।



## संघ सरकार की अर्थव्यवस्था तथा 2002-03 के लेखे

### विशिष्टताएं

यह प्रतिवेदन संघ सरकार की अर्थव्यवस्था और दो योजनाओं की अवधि अर्थात् VIII (1992-1997) और IX (1997-2002) तथा दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के मुख्य राजकोषीय सूचकों की प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। यह 2002-03 के लिए विनियोग लेखाओं पर एक विश्लेषण से भी अन्तर्विष्ट है।

- वर्ष 2002-03, भारत की समेकित निधि में 38894 करोड़ रू. की राशि के घाटे तथा लोक लेखा में 37011 करोड़ रू. की राशि के अधिशेष के साथ समाप्त हुआ।
- 2002-03 में राजस्व घाटा 109765 करोड़ रू. था जबकि राजकोषीय घाटे की राशि 134588 करोड़ रू. थी। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की राशि का 5.49 प्रतिशत था जबकि राजस्व घाटा स.घ.उ. का 4.48 प्रतिशत बनता था।
- 2002-03 में संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ 1140450 करोड़ रू. थीं। सरकार की अपनी प्राप्तियाँ 397844 करोड़ रू. थीं जो कि कुल प्राप्तियों का 35 प्रतिशत बनती थीं। शेष उधारों और लोक लेखा प्राप्तियों से था।
- 2002-03 में कुल गैर-कर राजस्व 139682 करोड़ रू. था। वर्ष में लाभांश के सापेक्ष भाग तथा लाभ में तीव्र वृद्धि थी। 1985-2003 के दौरान 14.27 प्रतिशत की औसत दर पर गैर-कर राजस्व बढ़ा था।
- संघ सरकार का कुल संवितरण VIII योजना के दौरान 433716 करोड़ रू. की औसत से बढ़कर 2002-03 में 1142333 करोड़ रू. हो गया। 1985-2003 के दौरान 11.65 प्रतिशत की औसत वार्षिक दीर्घावधि प्रवृत्ति वृद्धि, स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी।
- 2002-03 में पूंजीगत व्यय 30497 करोड़ रू. था जबकि राजस्व व्यय 409591 करोड़ रू. था। 1985-2003 के दौरान पूंजीगत व्यय तथा कर्ज एवं अग्रिम 7.15 प्रतिशत और 6.80 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़ गया।
- 1985-2003 के दौरान कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा लगभग अवरूद्ध रहा। 1985-2003 के दौरान कुल व्यय की 22.88 प्रतिशत की दीर्घावधि औसत के प्रति, 2002-03 में उसके हिस्से का केवल 23.40 प्रतिशत तक मामूली सुधार हुआ।
- संघ सरकार का समग्र सामाजिक व्यय VIII योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रू. की औसत से 2002-03 में 21,810 करोड़ रू. तक बढ़ गया

था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि दीर्घावधि प्रवृत्ति दर 15.31 प्रतिशत थी (1987-2003)।

- कुल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 1991-92 के दौरान चरम सीमा पर रहा जबकि यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक हो गई। यह अनुपात VIII योजना (1992-1997) के दौरान 60.72 की औसत तक गिर गया और इसके अतिरिक्त IX योजना (1997-2002) के दौरान 58.90 प्रतिशत की औसत तक रहा। अंतिम तीन वर्षों में राजकोषीय देयताओं ने स.घ.उ. अनुपात की बदतर प्रवृत्ति को प्रमाणित किया और 2002-03 में स.घ.उ. का 63.16 प्रतिशत हो गई।



## अध्याय - 1

### संघ सरकार की अर्थव्यवस्था - एक विहंगावलोकन

**1.1** यह अध्याय वर्ष 2002-03 के दौरान संघ सरकार की अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है और 1985-2003 के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में आलोचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

**1.2** तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों तथा कुल संवितरण के रूप में बजट अनुमानों तथा वास्तविक को सम्मिलित करते हुए, संघ सरकार की अर्थव्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है। अधिकतर बजटीकृत आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में महत्वपूर्ण परिवर्तन थे।

**तालिका 1.1 संघ सरकार की अर्थव्यवस्था 2002-03 - बजट तथा वास्तविक**

( करोड़ रु. में )

बजट अनुमान	2001-02 वास्तविक आंकड़े	2002-03		बजट से विपथन	विपथन * (प्रतिशतता)
		बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े		
1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियां (7+8)	984787	977801	1084328	106527	10.89
2 राजस्व प्राप्तियां	265279	314157	299826	-14331	-4.56
कर राजस्व	134219	174565	160144	-14421	-8.26
गैर-कर राजस्व	131060	139592	139682	90	0.06
3 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	3646	12000	3151	-8849	-73.74
4 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	20733	20080	38745	18665	92.65
5 कुल राजस्व तथा ऋण भिन्न प्राप्तियों (2+3+4)	289658	346237	341722	-4515	-1.30
6 लोक ऋण की प्राप्ति	436689	434462	435371	909	0.21
7 भा.स.नि. में कुल प्राप्तियां (5+6)	726347	780699	777093	-3606	-0.46
8 लोक लेखा प्राप्तियां	258440	197102	307235	110133	55.88
9 संघ सरकार द्वारा कुल संवितरण (15+16)	983292	977802	1086211	108409	11.09
10 राजस्व व्यय	375582	410918	409591	-1327	-0.32
11 पूंजीगत व्यय	31295	42283	30497	-11786	-27.87
12 ऋण तथा अग्रिम	38614	31536	36222	4686	14.86
13 संघ सरकार का कुल व्यय (10+11+12)	445491	484737	476310	-8427	-1.74
14 लोक ऋण की वापस अदायगी	321725	321155	339677	18522	5.77
15 भा.स.नि. में से कुल संवितरण (13+14)	767216	805892	815987	10095	1.25
16 लोक लेखा संवितरण	216076	171910	270224	98314	57.19
17 राजस्व घाटा (10-2)	110303	96761	109765	13004	13.44
18 राजकोषीय घाटा (13-5)	155833	138500	134588	-3912	-2.82

\* विपथन (बजट अनुमान-वास्तविक आंकड़े)/ बजट अनुमान x 100 के रूप में अनुमानित है।

**1.3** राजस्व लेखे में असंतुलन, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबिम्बित हुए थे, जो कि बजट अनुमानों की तुलना में 14331 करोड़ रु. कम हो गए। राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व बजट अनुमानों की तुलना में 8 प्रतिशत कम था। विविध पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में भी अनिवेशों से 12000 करोड़ रु. की वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जिसने 73.74 प्रतिशत की कमी अभिलिखित की गई थी। ऋणों तथा पेशगियों की वसूली, बजट अनुमानों से अधिक थी और अधिक वसूली, कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में समग्र कमी को कम करने में सहायता की। पूंजीगत व्यय में शार्प कट बैक था और वास्तविक व्यय, बजट अनुमानों से 27.87 प्रतिशत कम था। राजस्व व्यय में कोई अनुकूल हास के बगैर बजटीकृत राजस्व प्राप्तियों की वसूली में कमी के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा, बजट अनुमानों से 13.44 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व घाटा स.घ.उ. का 4.48 प्रतिशत था। तथापि राजकोषीय घाटा, ऋणों तथा पेशगियों की अधिक वसूली तथा पूंजीगत व्यय में कमी के कारण, अधिकांश बजटीय अनुमानों से कम था।

#### सूचना मानदण्ड

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1993-94 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित तथा 2002-2003 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाई गई नई स.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व के लिए उत्प्लावक अनुमान दिए गए हैं। उत्प्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्प्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. श्रृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए 1985-2003 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIII योजना (1992-97) तथा IX योजना (1997-2002) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों अर्थात् 2001-2002 तथा 2002-2003 के लिए वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। जैसा कि वृद्धि दरों के मामले में, VIII वीं, तथा IX वीं योजना के लिए औसत अनुपात, 1985-2003 तथा योजना अवधियों के लिए पृथक-पृथक उपयोग किए गए हैं। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के लिए वार्षिक अनुपात भी इंगित किए गए हैं।

सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2002 द्वारा दिए गए जनसंख्या के वर्ष के मध्य के अनुमानों का प्रयोग किया गया है। 1993-94 के व्यय के परिवर्तन के लिए स.घ.उ. की अपस्फीति का प्रयोग किया गया है।

#### संघ सरकार की अर्थ-व्यवस्था 1985-2003 - कुछ मुख्य मानदण्ड

**1.4** राजस्व प्राप्तियां, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की अर्थ-व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय 2 से 5 में दिया गया है। मुख्य मानदण्डों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

## राजस्व प्राप्तियां

1.5 तालिका 1.2 1985-2003, VIII और IX योजना (क्रमशः 1992-1997 और 1997-2002) और हाल के दो वर्षों के दौरान वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ. गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.2 संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य मापदण्ड

(प्रतिशत)

अवधि	कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1985-2003	12.75	9.11	14.27	5.95	13.37	12.63	14.42
VIII योजना (1992-1997)	15.89	9.32	14.66	5.94	15.61	12.71	16.54
IX योजना (1997-2002)	9.00	8.65	8.00	6.04	8.12	12.36	10.64
2001-02	-0.82	8.15	10.02	5.71	3.61	11.55	9.11
2002-03	15.61	8.82	6.58	5.70	13.02	12.23	6.75

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

1.6 यह देखने में आया कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर की औसत वार्षिक प्रवृत्ति (कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ सहित) स.घ.उ. की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। IX योजना (1997-2002) के दौरान वृद्धि दरों का मन्दन हुआ था यद्यपि चालू वर्ष में बढ़त थी। स.घ.उ. की कर प्राप्तियों के अनुपात में, VIII योजना (1992-1997) के दौरान 9.32 प्रतिशत के प्रवृत्ति औसत से 2002-03 में 8.82 प्रतिशत तक की गिरावट आई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां, में भी VIII योजना (1992-1997) के दौरान 12.71 प्रतिशत की औसत से चालू वर्ष में 12.23 प्रतिशत तक की गिरावट आई। संघ-सरकार के गैर-कर राजस्व में भी निम्न प्रवृत्ति वृद्धि अभिलिखित की गई थी और स.घ.उ. से सापेक्ष हिस्सों में, चालू वर्ष में 5.70 प्रतिशत तक की गिरावट आई। जबकि ऋणों और पेशगियों के ब्याज की औसत दर, इसके उधार की औसत लागत से अधिक रखी थी, निवेश पर प्रतिफल और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली कम थी।

1.7 संघ सरकार के कुल राजस्व (राज्यों के अंशदानों में शामिल करते हुए) 1985-2003 के दौरान 0.884 की उत्प्लावकता आई थी जो यह इंगित करती है कि स.घ.उ. में प्रत्येक प्रतिशतता अंक वृद्धि के लिए कर राजस्व में केवल 0.88 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि प्रत्यक्ष कर की उत्प्लावकता एक से अधिक थी, अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों) में निम्न उत्प्लावकता जो कि कुल कर राजस्व की लगभग

तीन चौथाई बनती थी, जिसके परिणामस्वरूप सकल कर प्राप्तियों में समग्र कम उत्प्लावकता आई।

## व्यय

**1.8** संघ सरकार के कुल व्यय (तालिका 1.3) ने भी ऐसी ही स्थिति दर्शाई थी। कुल व्यय की वृद्धि की दर में, IX योजना (1985-2003) के दौरान 12.73 प्रतिशत दीर्घकालीन अवधि औसत से 8.86 प्रतिशत और चालू वर्ष में 6.92 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कुल व्यय-स.घ.उ. अनुपात 1985-2003 के दौरान 20.01 से चालू वर्ष में 19.43 प्रतिशत की प्रवृत्ति औसत से भी गिर गई थी। पूंजीगत व्यय, की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रामाणित थी, परन्तु व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि, 2001-02 को छोड़कर, कम थी। चालू वर्ष में, पूंजीगत व्यय में गिरावट थी। स.घ.उ. को सापेक्षित, इसके हिस्से में उतार-चढ़ाव था, परन्तु दर के बदलने से इसका साक्षेप हिस्सा नकारात्मक था। यह कर्जे और पेशगियों में भी यथातथ्य था। ये 1990-91 से योजनेत्तर राजस्व घाटे में जारी थे।

तालिका 1.3 संघ सरकार के व्यय के मुख्य मापदण्ड

( प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		कर्जे तथा पेशगियां		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1985-2003	14.43	16.14	7.15	1.68	6.80	2.18	12.73	20.01
VIII योजना (1992-1997)	14.64	15.51	-8.44	1.89	11.91	2.26	11.87	19.66
IX योजना (1997-2002)	10.40	16.31	9.22	1.37	-3.42	1.83	8.86	19.50
2001-02	9.61	16.36	23.08	1.36	39.09	1.68	12.54	19.40
2002-03	9.06	16.71	-2.55	1.24	-6.19	1.48	6.92	19.43

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

## राजकोषीय असंतुलन

**1.9** राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। वर्षों से संघ सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे ने, स.घ.उ. को सापेक्षित किसी महत्वपूर्ण संक्षेपण के कोई लक्षण नहीं दर्शाए। VIII योजना(1992-1997) के दौरान 2.80 प्रतिशत के औसत की IX योजना (1997-2002) के दौरान 3.94 प्रतिशत के औसत के राजस्व घाटा/स.घ.उ. के अनुपात में वृद्धि थी। राजकोषीय घाटा- स.घ.उ. अनुपात भी VIII योजना के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से IX योजना के दौरान 6.23 प्रतिशत के औसत बढ़ गया था। तथापि, चालू वर्ष में, इन मापदण्डों में मामूली सुधार था। यद्यपि, अधिक बाधित प्रवृत्ति से राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात में निरन्तर वृद्धि थी। राजस्व घाटा VIII योजना (1992-1997) के दौरान राजकोषीय

घाटे के 46.26 प्रतिशत के औसत से, 2002-03 में 81.56 प्रतिशत तक बढ़ गया (तालिका 1.4)।

तालिका 1.4 स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा
1985-2003	3.51	6.31	55.66
VIII योजना (1992-1997)	2.80	6.04	46.26
IX योजना (1997-2002)	3.94	6.23	63.26
2001-02	4.80	6.79	70.78
2002-03	4.48	5.49	81.56

### राजकोषीय देयताएं

1.10 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बृहत मापदण्ड निम्न तालिका 1.5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.5 संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं की वृद्धि दर	कुल देयतायें/स.घ.उ अनुपात (प्रतिशत)	ब्याज की औसत दर	ऋण पुनर्भुगतान का अनुपात/ऋण प्राप्तियां (प्रतिशत)
1985-2003	14.65	60.10	8.44	93.57
VIII योजना (1992-1997)	12.48	60.72	7.91	93.10
IX योजना (1997-2002)	11.85	58.90	9.06	94.70
2001-02	12.97	60.95	9.22	91.73
2002-03	10.62	63.16	8.90	97.87

\* ऋण पुनर्भुगतान में अवधि के दौरान भुगतान किया गया मूल तथा ब्याज शामिल हैं।

1.11 1985-2003 के दौरान, संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं, स.घ.उ. के 60 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रही। यद्यपि कुल देयताओं में वृद्धि की दर, मन्दन की प्रवृत्ति को इंगित करती है, इस मन्दन से स.घ.उ. से देयताओं के अनुपात में अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि बाद की अवधि में स.घ.उ. की वृद्धि ने स्वयं मन्दन देखा। पिछले दो वर्षों में, स.घ.उ. के अनुपात में राजकोषीय देयताएं बुरी तरह से बिगड़ी। इसके

अतिरिक्त, बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर VIII योजना (1992-1997) के दौरान 7.91 प्रतिशत के औसत से IX योजना(1997-2002) के दौरान 9.06 प्रतिशत के औसत तक ऊपर की ओर बढ़ती रही। चालू वर्ष में 8.90 प्रतिशत के औसत ब्याज दर में मामूली मन्दन था, परन्तु अधिक ऋण के प्रलम्बी के कारण, सामान्य निम्न प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, औसतन ब्याज दर में महत्वपूर्ण कमी की सम्भावना नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मूल और ब्याज सहित सकल ऋण प्राप्तियां, अन्य उपयोगों के लिए केवल एक हिस्सा छोड़ते हुए, ऋण विमोचन में प्रयोग लाई जाती है। अधिक राजस्व घाटा, संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों को भी समाप्त कर रहा था, जिसमें 2002-03 तक 45 प्रतिशत से कम तक की गिरावट हुई थी।

**1.12** तालिका 1.6 पिछले पांच वर्षों की असमाधान शेषों की स्थिति दर्शाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 61 करोड़ रु. की निवल संचित भिन्नता, जो मुख्यतः (i) बैंक स्क्रोल की अप्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति (ii) समाशोधन ज्ञापनों और अंतरसरकारी समायोजनों के निपटान में अप्राप्ति/विलम्बित प्राप्ति (iii) लेखाओं में गलतियों के समाधान न होने के कारण रही थी।

**तालिका 1.6 असमाधान शेष**

( करोड़ रूपयों में )

वर्ष	भा.रि.बैं.के पास जमा		
	वित्त लेखाओं के अनुसार	भा.रि.बैं. के अनुसार	भिन्नता
1998-99	3525	2927	598
1999-2000	2661	2223	438
2000-01	3858	3623	235
2001-02	5353	5144	209
2002-03	3470	3531	61

**1.13** भा.रि.बैं. सरकार का बैंकर है तथा सरकारी लेन-देन करते समय अन्य प्राधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भा.रि.बैं. के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के लेखाओं में प्राप्तियों तथा भुगतानों के लेन-देनों, जो उनकी प्रकृति के सम्बन्ध में सूचना के अभाव अथवा अन्य कारणों से लेखे के अन्तिम शीर्ष को बुक नहीं किए जा सकते, को अन्तिम वर्गीकरण तक “उचन्त शीर्ष” नामक मध्यवर्ती लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है। तालिका 1.7, 31 मार्च 2003 तक, उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उचन्त शीर्षों में शेष मात्र न्यूनतम तथा उपयुक्त रूप से व्याख्या करके, कारण सहित वित्त लेखाओं में सम्बद्ध स्थान में रखे जाते हैं, लेखाओं के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

तालिका 1.7 मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष

( करोड़ रूपयों में )

लेखा शीर्ष	31 मार्च को निवल शेष				
	1999	2000	2001	2002	2003
1. उचन्त (भु.ले.का. उचन्त)	डे. 10.11	क्रे. 281.11	डे. 318.75	डे. 565.12	डे. 1145.03
2. उचन्त लेखे (सिविल)	डे. 529.89	डे. 794.84	डे. 506.94	डे. 289.94	डे. 650.41
3. उचन्त लेखे (डाक)	डे. 471.38	डे. 93.97	डे. 100.99	क्रे. 7.47	डे. 172.12
4. उचन्त लेखे (रक्षा)	डे. 2417.07	डे. 111.11	क्रे. 628.67	क्रे. 643.73	क्रे. 360.24
5. उचन्त लेखे (रेलवे)	डे. 286.60	डे. 175.26	डे. 372.79	डे. 568.02	डे. 565.96
6. उचन्त लेखे (दूरसंचार)	डे. 1586.46	डे. 1563.57	डे. 923.75	डे. 658.92	डे. 660.30
7. सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त	डे. 742.77	डे. 806.43	डे. 586.55	क्रे. 51.91	डे. 537.48
8. विदेशों में की जाने वाली खरीद के लिए उचन्त लेखे	डे. 1850.71	डे. 1895.20	डे. 1675.43	डे. 697.45	डे. 501.07
9. रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.)	क्रे. 369.38	क्रे. 173.52	क्रे. 172.20	क्रे. 172.26	क्रे. 173.20
10. रिजर्व बैंक उचन्त (के.ले.का.)	क्रे. 55.86	डे. 67.85	डे. 38.64	क्रे. 8.69	क्रे. 20.75
11. रोकड़ परिशोधन उचन्त	डे. 226.16	डे. 222.18	डे. 224.53	डे. 206.97	डे. 228.80
12. बट्टा शोधन निधि	डे. 1967.60	डे. 794.94	0	0	0
13. अन्य	डे. 930.49	डे. 837.62	डे. 1208.25	डे. 1196.73	डे. 1182.14
योग	डे. 10594.00	डे. 6908.34	डे. 5155.75	डे. 3299.09	डे. 5089.12

**1.14** प्रतिकूल शेष मुख्यतः लेखांकन त्रुटियों अथवा लेखाओं के वर्गीकरण के युक्तिकरण के कारण उत्पन्न होने वाली लेखांकन स्थितियों अथवा प्रशासनिक पुनर्गठन, जो एक लेखांकन इकाई को कई इकाईयों में बदल देता है के कारण उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, कोई ऋण या पेशगी लेखा शीर्ष के प्रति नकारात्मक शेष, मूल रूप से अग्रेषित राशि से अधिक भुगतान का संकेत करेगा। वर्ष 2002-03 के लिए संघ वित्त लेखे ने प्रतिकूल शेषों के 51 मामलों का संकेत दिया जैसा कि **परिशिष्ट-I-क** में दर्शाया गया है। इसमें से 7 शेष, वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रतिकूल बन गए थे। पुराने 44 मामलों में से, दो शेष 1976-77 से (लेखाओं के विभागीकरण से पहले) तथा 42 शेष 1979-80 से 2001-02 से प्रतिकूल हैं। महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने नवम्बर 2003 में बताया गया कि प्रतिकूल शेषों के अन्तर्गत सभी मदों की जांच की जा रही है और शेषों को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक मामले में प्रतिकूल शेष के कारण लेन-देनों की विशेष प्रकृति और निपटान की प्रगति के लिए वित्त लेखे में उपयुक्त व्याख्यात्मक ज्ञापन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। यह लेखाओं की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होगा।

**1.15** लेखाओं में शीर्ष 'चैक और बिल', ऐसे लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख के लिए एक मध्यवर्ती लेखांकन युक्ति है, जो अन्ततः समाशोधित/वापस लिए जाने होते हैं। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत सरकार के प्रति दावों का भुगतान

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं. अथवा मंत्रालय/विभाग के अधिकृत सा.क्षे.उ. बैंकों की शाखाओं पर चैक आहरण करके किया जाता है। जब दावे उपयुक्त बिल फार्म में भु.ले.अ./विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं तो भु.ले.अ./विभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित जांच करने तथा भुगतान आदेश दर्ज करने के पश्चात् चैक जारी करके भुगतान प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670 चैक एवं बिल' को, जारी चैक की कुल राशि से क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ओर भा.रि.बैं. केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से, शेषों की तिथिवार मासिक विवरणी और शेषों की मासिक विवरणी की प्राप्ति पर, '8670-चैक और बिल' शीर्ष, ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है और '8658-108 सा.क्षे.बैं. उचन्त' या '8675-101 रिजर्व बैंक केन्द्रीय सिविल' में आवश्यकता अनुसार धनात्मक क्रेडिट कर दिया जाता है। तालिका 1.8 दर्शाती है कि वित्त लेखे 2002-2003 के 'चैक एवं बिल' लघु शीर्षों के अन्तर्गत काफी बकाया शेष थे, जिसके कारण सरकार के नकद शेष अधिक बताए गए।

**तालिका 1.8 लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष:2002-03**

( करोड़ रूपयों में )

1. पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रे.	0.52
2. भुगतान एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रे.	9270.60
3. विभागीय चैक	डे.	25.36
4. खजाना चैक	क्रे.	4.62
5. इरला चैक	क्रे.	0.59
6. दूरसंचार लेखा कार्यालय चैक	क्रे.	965.45
7. डाक चैक	क्रे.	3424.38
8. रेलवे चैक	क्रे.	902.18
9. रक्षा चैक	क्रे.	3724.83
10. इलेक्ट्रॉनिक अडवाईस	क्रे.	9.65



## अध्याय 2

### संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना

#### संघ सरकार के संसाधन: 2002-03

2.1 राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धारयें हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां, आन्तरिक तथा बाह्य साधनों से ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखाओं में संभूतियां शामिल हैं। नीचे तालिका 2.1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों जो वर्ष 2002-03 के लिए 1,140,450 करोड़ रु. बनती थी, का सारांश प्रस्तुत करती है। संघ सरकार की अपनी कुल प्राप्तियां 397,844 करोड़ रु. थी जो कि कुल प्राप्तियों का लगभग 35 प्रतिशत बनती थी। शेष, उधार तथा लोक लेखा प्राप्तियों के माध्यम से आया था।

तालिका 2.1 : संघ सरकार के संसाधन

		( करोड़ रूपयों में )
I	राजस्व प्राप्तियां	355,948
II	पूंजीगत प्राप्तियां	784,502
	क. विविध प्राप्तियां	3,151
	ख. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	38,745
	ग. ऋण प्राप्तियां	435,371
III	लोक लेखा प्राप्तियां	307,235
	कुल प्राप्तियां	1140,450

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियों में 56,122 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल हैं जो संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।

#### संसाधनों में प्रवृत्तियां

2.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1985-2003 के दौरान 11.65 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही। संघ के सकल संसाधनों में, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ के तुरन्त बाद VIII योजना (1992-97) के दौरान 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर देखी गई। यद्यपि IX योजना (1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवत्तरित हो गई। जबकि लोक लेखे में

संभूतियों की योजनाओं के ऊपर स्थिरता थी, राजस्व तथा ऋण प्राप्तियों में सात से तेरह प्रतिशतता के बिन्दुओं तक का संकुचन देखा गया।

**2.3** वर्तमान वर्ष (2002-2003) में पिछले वर्ष की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा लोक लेखे से संभूतियों की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण तीव्रता देखी गई थी। तथापि, ऋण प्राप्तियों की नकारात्मक वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में तथा स.घ.उ. के सापेक्ष में भी वृद्धि में गिरावट आई। (तालिका 2.2)

**तालिका 2.2 : प्राप्तियों के घटक: प्रवृत्तियां**

( करोड़ रुपयों में )

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	सकल घरेलू उत्पाद
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां		
1985-2003	169856	12022	236099	123175	541152	1127859
VIII योजना (1992-1997)	157991	9373	164326	102117	433807	1035315
IX योजना (1997-2002)	282019	17430	427187	210498	937134	1920161
2001-02	318121	24379	436689	258440	1037629	2296049
2002-03	355948	41896	435371	307235	1140450	2451038
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>						
1985-2003	13.34	11.95	9.91	14.36	11.65	14.42
VIII योजना (1992-1997)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.54
IX योजना (1997-2002)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.64
2001-02	3.38	28.83	19.16	3.43	10.04	9.11
2002-03	11.89	71.85	-0.30	18.88	9.91	6.75

**2.4** तालिका 2.3 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक हिस्से को दर्शाती है। काफी लम्बे समय (1985-2003) से राजस्व प्राप्ति का इसके सापेक्षिक हिस्से में सकारात्मक परिवर्तन रहा था, यद्यपि VIII योजना(1992-1997) के दौरान, यह सकल कुल प्राप्तियों का 36.42 प्रतिशत पर इसकी चरम सीमा पर पहुँच गया था। इसका हिस्सा बाद के वर्षों में विपरीत दिशा की ओर प्रवाहित हुआ, IX योजना (1997-2002) के दौरान इसकी औसत 30 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर और 2002-2003 में 31.21 प्रतिशत रहा। संसाधनों के अन्य संघटक, जिसका 1985-2003 के दौरान इसके सापेक्षिक हिस्से में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रवाह था, लोक लेखे में संभूतियां थी। इस अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों में, इनके सापेक्षिक हिस्से में एक नकारात्मक प्रवाह देखा गया था। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक हिस्सों में इन प्रवाहों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियों तथा गैर ऋण प्राप्तियों के बीच अनुपात साधारणतः दो तिहाई और एक तिहाई पर स्थिर रहा। विविध पूंजीगत तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, जिनसे गैर ऋण प्राप्तियां बनती हैं, सापेक्षिक तौर पर कम महत्वपूर्ण रही (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3 : कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश

( प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2003	31.39	2.22	43.63	22.76	100
VIII योजना (1992-1997)	36.42	2.16	37.88	23.54	100
IX योजना (1997-2002)	30.09	1.86	45.58	22.46	100
2001-02	30.66	2.35	42.08	24.91	100
2002-03	31.21	3.67	38.18	26.94	100
<b>हिस्सों में औसत वार्षिक परिवर्तन की दर</b>					
1985-2003	1.51	0.27	-1.56	2.43	

**स.घ.उ. के सापेक्ष संसाधनों तक पहुँच**

2.5 जैसे आय बढ़ती है, संसाधनों की पहुंच में वृद्धि प्राकृतिक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत है। इसलिए यह स.घ.उ. की सापेक्षिक वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि स.घ.उ. के सकल संसाधनों की अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति औसत 47.98 प्रतिशत (1985-2003) थी; यह VIII योजना (1992-1997) के दौरान 41.90 प्रतिशत औसत तक गिर गई थी। IX योजना (1997-2002) के दौरान, स.घ.उ. अनुपात कुल प्राप्तियों से 48.80 प्रतिशत की औसत से बढ़ गया। संसाधनों के सभी चार घटकों के स.घ.उ. के सापेक्षिक का नकारात्मक औसत वार्षिक प्रवाह रहा (तालिका 2.4)।

तालिका 2.4 : स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियाँ

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2003	15.06	1.07	20.93	10.92	47.98
VIII योजना(1992-1997)	15.26	0.91	15.87	9.86	41.90
IX योजना (1997-2002)	14.69	0.91	22.25	10.96	48.80
2001-02	13.86	1.06	19.02	11.26	45.19
2002-03	14.52	1.71	17.76	12.53	46.53
<b>अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर</b>					
1985-2003	-0.95	-2.16	-3.94	-0.05	-2.42

2.6 वित्त लेखाओं में, प्राप्तियां एवं संवितरण सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिये, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी अधिक ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू.एम.ए.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन स्वयं ही स्वभाव से अत्यावधि के हैं जो अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं तथा स्वपरिसमापक हैं तथा उनको ऋण प्राप्तियों में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े

अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश हैं, सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती हैं। जब कि कुछ सीमा तक अन्य ऋण प्राप्तियों के लिए यह सच भी हो सकता है क्योंकि इन प्राप्तियों का अधिकांश ऋण परिसमापन के लिए होता है, ये एक संरचित उधार योजना की आवश्यकता को भी दर्शाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार के इसके संसाधनों पर 14 दिवसीय खजाना बिलों तथा डब्ल्यू.एम.ए. के संचालनों के प्रभाव को फांसना भी आवश्यक हो सकता है, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों पर इसका एक प्रभावी ड्राफ्ट प्राप्त हो सके। तालिका 2.5 समग्र प्राप्तियों पर इस जाल तथा स.घ.उ. के प्रति समग्र प्राप्तियों के अनुपात के प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे निष्प्रभावन के परिणामस्वरूप, संघ सरकार की निवल ड्राफ्ट व्यय लगभग 20 प्रतिशतता अंकों तक गिर गई। 2002-03 में समग्र ड्राफ्ट व्यय 26.10 प्रतिशत तक घट गया। यह ड्राफ्ट साधारणतः वर्ष 1997-98 जो कि अस्थायी वित्तीय समायोजन प्रदान करने हेतु अर्थोपाय अग्रिमों के संचालन का प्रथम वर्ष था को छोड़कर, 24-26 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

तालिका 2.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका हिस्सा

( करोड़ रूपयों में )

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	अ.अ. की निवल प्राप्तियां	ट्रेजरी बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा संभूतियां	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131819	1042	-880	40942	446355	25.64
1999-2000	298076	14274	132556	-2060	-4440	23345	461751	23.84
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.22
2001-02	318121	24379	187523	-219	-1553	42364	570615	24.85
2002-03	355948	41896	206830	-5176	3134	37011	639643	26.10

### राजस्व प्राप्तियां : मुख्य समुच्चयों की गति

2.7 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तियों तक पहुँचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं हैं। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (राज्यों के, उनके सकल एकत्रण के भाग का निवल) 1985-2003 के दौरान 13.37 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIII योजना (1992-1997) के दौरान 15.61 प्रतिशत की औसत से और IX योजना (1997-2002) के दौरान 8.12 प्रतिशत की वार्षिक दर तक की एक तीव्र गिरावट आई। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति दर, स.घ.उ. की प्रवृत्ति वृद्धि जैसा कि इस अवधि के दौरान, स.घ.उ. ने अपने सापेक्षिक भाग में एक नकारात्मक परिवर्तन दर द्वारा दर्शाया था, की तुलना में भी कम थी (तालिका 2.6)।

तालिका 2.6 : राजस्व प्राप्तियों की रचना एवं प्रवृत्तियां

( करोड़ रूपयों में )

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व	गैर कर राजस्व का भाग (प्रतिशत)	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व
1985-2003	102753	27352	75400	67103	142503	47.09	13.01
VIII योजना (1992-1997)	96533	26391	70142	61459	131601	46.70	12.74
IX योजना (1997-2002)	166087	44622	121465	115933	237397	48.84	12.42
2001-02	187060	52842	134218	131061	265279	49.40	11.55
2002-03	216266	56122	160144	139682	299826	46.59	12.23
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>							
1985-2003	12.75	13.18	12.60	14.27	13.37	0.80	-0.92
VIII योजना (1992-1997)	15.89	14.41	16.47	14.66	15.61	<b>परिवर्तन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>	
IX योजना (1997-2002)	9.00	11.05	8.25	8.00	8.12		
2001-02	-0.82	2.23	-1.97	10.02	3.61		
2002-03	15.61	6.21	19.32	6.58	13.02		

**2.8** संघ सरकार, वित्त आयोगों के अधिनिर्णयों के अनुसार राज्यों को, अपने सकल कर राजस्व का लगभग 27 प्रतिशत दे रही थी। यह अनुपात साधारणतः स्थिर रहता था, यद्यपि, वर्तमान वर्ष में यह 26 प्रतिशत तक गिर गया था। गैर-कर राजस्व जो संघ सरकार को प्राप्त होना है, विभाज्य राशि का भाग नहीं बनता है। औसतन, गैर-कर राजस्व, संघ सरकार के निवल राजस्व का 47 प्रतिशत बनता था। यह अनुपात इसके सापेक्षिक भाग में 0.8 प्रतिशत की संतुलित सकारात्मक वार्षिक परिवर्तन दर थी।

**2.9** वर्तमान वर्ष में, सकल कर संग्रहण तथा संग्रहण का जो भाग संघ द्वारा अपने पास रखा गया, की वृद्धि दर में गतिवर्द्धन हुआ था। पिछले वर्ष की एक नकारात्मक वृद्धि की तुलना में, सकल कर एकत्रण 15.61 प्रतिशत बढ़ा था। इन संग्रहणों से राज्यों को आबंटन में एक संतुलित वृद्धि के कारण, संघ सरकार को आने वाले राजस्व के लिए, एक तीव्रतर बढ़ोतरी (19.32 प्रतिशत) हुई। यद्यपि, गैर-कर राजस्व में, वर्तमान वर्ष में वृद्धि दर में मन्दन आया था।

**मुख्य कर: सापेक्षिक निष्पादन**

**2.10** विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 2.7) साथ ही 1985-2003 के दौरान निगम करों में 18.73 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि दर्ज की गई।

**तालिका 2.7 : कर राजस्व के संघटक (सकल)**

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1985-2003	102753	16296	14247	29153	39405	1002	2650
VIII योजना (1992-1997)	96533	13567	12575	30273	37014	465	2639
IX योजना (1997-2002)	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4653
2001-02	187060	36609	32004	40268	72555	3302	2322
2002-03	216266	46172	36866	44852	82310	4122	1944
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>							
1985-2003	12.75	18.73	17.88	9.77	11.22	*	7.96
VIII योजना (1992-1997)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45	*	-2.50
IX योजना (1997-2002)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
2001-02	-0.82	2.56	0.76	-15.30	5.88	26.37	-5.69
2002-03	15.61	26.12	15.19	11.38	13.44	24.83	-16.28

\* सेवा कर 1994-95 से आरम्भ किया गया।

**2.11** आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में, करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें नयी कर शासन प्रणाली की आधार शिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आय आधारित कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर-अनुपालना, कर-उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर-स.घ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIII योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1985-2003 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से तीन प्रतिशतता अंकों से ऊपर थी। आय, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि का इस बढ़ोतरी में योगदान था। यद्यपि, IX योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि में गिरावट आई थी। शुल्कों को घटाये जाने को ध्यान में रखते हुए, जबकि सीमा शुल्कों में वृद्धि में गिरावट अपेक्षित थी (यद्यपि गिरावट शुल्क में कमियों से अधिक तीव्रता से आई थी, ये आश्वस्त होनी चाहिए थी) इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर के आरम्भ किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। यद्यपि भारतीय कर-सांख्यिकी अभी तक कर खर्चों (कर छूट में छोड़ा गया राजस्व आदि) पर किसी आंकड़े का सृजन नहीं करता है फिर भी ये

किसी प्रकार की गणना के संदर्भ में बिल्कुल सारगर्भित हैं। विभिन्न निर्यात उन्नत योजनाओं के अन्तर्गत, कुल छोड़े गये शुल्कों का अकेले ही, 1998-2003<sup>1</sup> के दौरान एकत्रित किये गये कुल सीमाशुल्क के औसतन 50 प्रतिशत होने का अनुमान था। 2002-03 में सकल कर एकत्रण एवं पांच मुख्य करों से बेहतर वृद्धि दर दर्ज की गई थी।

### कर उत्प्लावकता

**2.12** तीन मुख्य घटक, जो कर संग्रहण पर प्रभाव डालते हैं कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन होते हैं, जिसमें कर प्रशासन की प्रभाविता भी सम्मिलित है। यद्यपि, विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद को कर आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। जबकि कर अनुपालन का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, यह कर प्रशासन की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है तथा तीन सम्बद्ध परोक्षी घटक - कर निर्धारण की गति, निर्धारित बकायों की वसूली, और कर निर्धारण के लिए संभावित कर दाताओं की पंजीयन की गति मुख्य हैं। कर अनुपालन स्वैच्छिक तथा बाधित दोनों होता है। यद्यपि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर बनी रही हैं।

**2.13** उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद, कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाती है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता यह दर्शाती है कि संबंधित कर वास्तव में प्रतिगामी हो सकता है या उसने अशोषित कर सम्भाव्य सृजित किये हैं क्योंकि जैसे आय बढ़ती है, उस बढ़ोतरी के निचले भाग पर कर लग जाता है। तालिका 2.8 मुख्य करों की, अत्यन्त हाल के दो वर्षों की उत्प्लावकता के साथ, 1985-2003 के दौरान तथा VIII एवं IX योजना अवधियों के दौरान की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 2.8 : मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क
1985-2003	0.884	1.299	1.240	0.677	0.778
VIII योजना (1992-1997)	0.961	1.313	1.495	1.088	0.632
IX योजना (1997-2002)	0.846	1.612	1.746	0.151	1.072
2001-02	*	0.281	0.083	*	0.645
2002-03	2.313	3.870	2.251	1.686	1.992

\* कर एकत्रण की वृद्धि दर नकारात्मक थी।

<sup>1</sup> संघ सरकार- अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क (2004 का प्रतिवेदन सं.10), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।

**2.14** दीर्घावधि प्रवृत्ति एवं तत्कालीन पिछली योजना दोनों ही की तुलना में, IX योजना (1997-2002) के दौरान निगम कर, आय कर तथा उत्पाद शुल्कों के लिए उत्प्लावकता में सुधार अवलोकित हुआ है। वर्तमान वर्ष में सभी चार करों/शुल्कों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि से अधिक हो गई है जिसके कारण उत्प्लावकता एक से अधिक हो गई।

**2.15** भारत में कृषि, किसी आयकर के भार को वहन नहीं करती है और इस तरह गैर-कृषि आय, आय तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व आधार हो सकता था। 1998-2003 के दौरान प्रत्यक्ष करों की उत्प्लावकता आधार के रूप में गैर-कृषि स.घ.उ. के साथ केवल 1.048 थी और इस प्रकार सामान्यतः एक से अधिक थी<sup>2</sup>।

### कर-स.घ.उ. अनुपात

**2.16** सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का तथा इसके कर सम्भाव्य की उगाही की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 2.9, योजनाओं के ऊपर इस अनुपात तथा एक वार्षिक आधार पर हाल के दो वर्षों, की प्रवृत्ति को दर्शाती है। समग्र कर - स.घ.उ. अनुपात, VIII योजना (1992-1997) के दौरान 9.324 प्रतिशत के औसत से गिरकर 2002-03 में 8.823 प्रतिशत हो गया था। इसके सापेक्षिक भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर, 1985-2003 के दौरान (-)1.46 प्रतिशत थी। कर-स.घ.उ. अनुपात, 2001-02 में 8.147 प्रतिशत के निम्नस्तर तक गिर गया था तथा वर्तमान वर्ष में वसूली के बावजूद यह अभी भी प्रवृत्ति औसत से नीचे था।

तालिका 2.9 : प्रमुख करों का कर/ स.घ.उ. अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1985-2003	9.110	1.445	1.263	2.585	3.494	0.089
VIII योजना (1992-1997)	9.324	1.310	1.215	2.924	3.575	0.045
IX योजना (1997-2002)	8.650	1.537	1.320	2.261	3.168	0.121
2001-02	8.147	1.594	1.394	1.754	3.160	0.144
2002-03	8.823	1.884	1.504	1.830	3.358	0.168
अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-03	-1.46	3.76	3.03	-4.06	-2.79	

**2.17** सीमाशुल्क और उत्पादशुल्क संग्रहणों के लिए स.घ.उ. अनुपात, VIII योजना (1992-1997) के दौरान 2.924 और 3.575 प्रतिशत के औसत से, 2001-2002 में क्रमशः 1.754 और 3.160 के औसत तक गिर गया था। उनकी स.घ.उ. के सापेक्षिक

<sup>2</sup> संघ सरकार - प्रत्यक्ष कर (2004 की प्रतिवेदन संख्या 12), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।



भाग में एक नकारात्मक परिवर्तन, स.घ.उ. के सापेक्षिक सकल कर एकत्रणों के एक समग्र नकारात्मक बदलाव के लिए अधिकांशतः अंशदायी था। 2002-2003 में, इन अनुपातों में कुछ सुधार दिखाई दिया।

### गैर-कर राजस्व

**2.18** सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक: इसके राजकीय क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के आदि से आय तथा एक वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभागों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से सम्बन्धित हो, से संघटित समझा जा सकता है। जबकि, राजकीय क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेशों से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उनका सेवा हस्तान्तरण की लागत के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आगे, लाभांश आय में, भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई<sup>3</sup> से अधिक सम्बन्धित है। राशि जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिये के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व को लगभग 47 प्रतिशत अंशदान था। 1985-2003 के दौरान समेकित गैर-कर राजस्व, 14.27 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था। (तालिका 2.10)।

**तालिका 2.10 : गैर-कर राजस्व-प्रवृत्तियां**

( करोड़ रूपयों में )

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्ति	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	राजकीय तथा अन्य क्रियाकलाप
1985-2003	67103	19454	6136	482	35096	5935
VIII योजना (1992-1997)	61459	16791	4969	606	33100	5993
IX योजना (1997-2002)	115933	34526	11555	572	60257	9023
2001-02	131061	42250	17290	297	59313	11911
2002-03	139682	44705	21230	424	60663	12660
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर</b>						
1985-2003	14.27	15.30	26.59	4.24	13.00	11.29
VIII योजना (1992-1997)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
IX योजना (1997-2002)	8.00	13.00	21.19	- 21.24	2.25	13.16
2001-02	10.02	15.06	27.37	- 17.73	0.60	25.35
2002-03	6.58	5.81	22.79	42.76	2.28	6.29

<sup>3</sup> सलाभ सिक्क ढलाई, मुद्रापूर्ति में गैर-मुद्रा-स्फीति वृद्धि है।

**2.19** लाभांशों एवं लाभों से गैर-कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1985-2003 के दौरान 26.59 प्रतिशत की एक औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। यद्यपि, IX योजना(1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि में गिरावट देखी गई थी, यह सर्वाधिक उत्प्लावक राजस्व स्रोत रहा था। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं से राजस्व की वृद्धि दर सापेक्षिक तौर पर ना केवल नीचे रही बल्कि IX योजना (1997-2002) के दौरान इन दरों में एक महत्वपूर्ण दबाव था। सामाजिक सेवाओं से राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर, इस अवधि के दौरान, वास्तव में नकारात्मक हो गई थी।

**2.20** गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1985-2003 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये(तालिका 2.11)। ब्याज प्राप्तियां तथा लाभांशों के अंशों में सामूहिक तौर पर 1997-2002 के दौरान औसत 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लाभांश तथा लाभों से राजस्व में उनके सापेक्षिक भागों में औसतन 10.78 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि पाई गई थी। ब्याज प्राप्तियों से परिवर्तन दर भी सकारात्मक थी जबकि 1985-2003 के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं तथा सरकार के राजकीय क्रियाकलापों से राजस्व में परिवर्तन दर नकारात्मक थी। आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों के सापेक्षिक भाग में VIII योजना (1992-1997) के दौरान 53.86 प्रतिशत की औसत से और 2002-03 के दौरान 43.43 प्रतिशत तक गिरावट आई। इस गिरावट का सापेक्षिक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था और उनका राजस्व जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम अस्तित्वों का राजस्व बन गया था। रेलवे से, आर्थिक सेवाओं से राजस्व का लगभग दो तिहाई का अंशदान होता है। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र रूप से अंशदान नगण्य था।

तालिका 2.11 : गैर-कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक हिस्सा

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	(प्रतिशत)
						राजकीय एवं अन्य क्रियाकलाप
1985-2003	100.00	28.99	9.14	0.72	52.30	8.85
VIII योजना (1992-1997)	100.00	27.32	8.09	0.99	53.86	9.75
IX योजना (1997-2002)	100.00	29.78	9.97	0.49	51.98	7.78
2001-02	100.00	32.24	13.19	0.23	45.26	9.09
2002-03	100.00	32.00	15.20	0.30	43.43	9.06
हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-03		0.89	10.78	-8.78	-1.11	-2.61

### गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

**2.21** गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां विनिवेश तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल है। तालिका 2.12 अनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती है। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ अनिवेश से प्राप्तियों के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है। विनिवेश के सम्बन्ध में, सरकार के लिए पिछले चार वर्षों में बजट के लक्ष्यों के केवल एक चौथाई को ही प्राप्त करना संभव हो पाया। जहां तक कि ऋण की वसूली से सम्बन्ध है यह, हालही के वर्षों में बजट के लक्ष्यों का अतिक्रमण कर गई। यह संघ सरकार द्वारा राज्यों को उनकी उच्च लागत ऋण माफी के साल बचाने के लिए ऋण की अदला-बदली योजना घोषित करने के कारण से वर्तमान वर्ष में वसूली बजट अनुमानों से करीब करीब दुगुनी थी।

**तालिका 2.12 : विनिवेश से उगाही एवं कर्जों की वसूली**

वर्ष	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक उगाही	प्रतिशत उगाही	बजट अनुमान	वास्तविक उगाही	प्रतिशत उगाही
	( करोड़ रूपयों में )			( करोड़ रूपयों में )		
1991-92	2500	3038	121.52	6778	7001	103.29
1996-97	5000	380	7.60	8184	8696	106.26
1998-99	5000	5369	107.38	11560	13189	114.09
1999-2000	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95

**2.22** अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार उधार तथा लोक लेखाओं में संभूतियां सम्मिलित होती हैं, जो प्रकृति से कर्जों का सृजन करने वाली हैं और जिनका उल्लेख आगामी अध्यायों में किया गया है।

## अध्याय 3

### संसाधनों का उपयोग : व्यय

**3.1** संघ सरकार अपने राजकीय क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए संसाधनों को उन्नत करती है, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वर्तमान नेटवर्क के वितरण का रखरखाव, पूंजीगत व्ययों और निवेशों और ऋण सेवा की बाध्यताओं के निर्वहन करके इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करती है। सरकार ने 2002-03 के दौरान अपने एकत्रित संसाधनों से संवितरण के लिए कुल 1,140,450 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रूपयों में)

I उपलब्ध संसाधन		1,140,450
II संसाधनों का उपयोग		1,142,333
क.	ऋणों की वापसी	339,677
	आन्तरिक ऋण	315,391
	बाह्य ऋण	24,286
ख.	लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	270,224
	अल्प बचत तथा भविष्य निधि	161,495
	आरक्षित निधि	18,315
	जमा	75,745
	अन्य	14,669
ग.	वास्तविक व्यय	476,310
	राजस्व व्यय	409,591
	पूंजीगत व्यय	30,497
	कर्ज और अग्रिम	36,222
घ.	करो में राज्यों का अंश	56,122
III रोकड़ शेषों में गिरावट		1,883
क.	अंतशेष रोकड़	3,465
ख.	अथशेष रोकड़	5,348

**3.2** ऋण की वापसी तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाना (609,901 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (124,573 करोड़ रु.) और राज्यों की सकल कर प्राप्ति (56,122 करोड़ रु.) के अधिदेशाधीन हिस्से का समनुदेशन कुल संसाधनों के लगभग 70 प्रतिशत का व्यवकलन कर लिया। अतः सरकार के पास अन्य सेवाओं पर खर्च के लिए कुल एकत्रित का केवल 30 प्रतिशत शेष बचा था।

**कुल संवितरण :**

**3.3** मुख्य व्यय वर्गों के सम्पर्क में सापेक्ष गतियों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.2 : कुल संवितरण के घटक**

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	कुल संवितरण	करों में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1985-2003	225653	27352	180261	107720	540986	1127859
VIII योजना (1992-1997)	203539	26391	126525	77261	433716	1035315
IX योजना (1997-2002)	374502	44622	310011	207404	936539	1920161
2001-02	445491	52842	321725	216076	1036134	2296049
2002-03	476310	56122	339677	270224	1142333	2451038
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)</b>						
1985-2003	12.73	13.18	8.78	16.89	11.65	14.42
VIII योजना (1992-1997)	11.87	14.41	20.90	14.32	14.84	16.54
IX योजना (1997-2002)	8.86	11.05	-2.34	22.05	7.00	10.64
2001-02	12.54	2.23	19.37	-3.86	10.02	9.11
2002-03	6.92	6.21	5.58	25.06	10.25	6.75

**3.4** केन्द्र सरकार का कुल संवितरण, VIII योजना (1992-97) के दौरान औसतन 433,716 करोड़ रु. से बढ़कर सबसे निकट वर्ष 2002-03में, 1142,333 करोड़ रु. हो गया था। 1985-2003 के दौरान औसत वार्षिक दीर्घावधि वृद्धि की प्रवृत्ति 11.65 प्रतिशत थी, परन्तु स.घ.उ. की वृद्धि दर जो कि उसी अवधि में औसतन 14.42 प्रतिशत थी, से कम थी औसत वार्षिक वृद्धि की दर, VIII और IX योजना के दौरान भी स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम से कम थी। तथापि सबसे वर्तमान दो वर्षों में इस प्रवृत्ति में उत्क्रमण देखा गया जो कि कुछ सीमा तक स.घ.उ. दर की वृद्धि में गिरावट के कारण था। तीन घटकों की कुल संवितरण की वृद्धि दरों की प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी और लोक लेखे में केवल संवितरण की विपरीत प्रवृत्ति थी।

**3.5** कुल संवितरण के चार घटकों के सापेक्ष अंश में वर्षानुवर्ष आधार और योजना अवधियों में बहुत उतार-चढ़ाव दर्शाया गया था। (तालिका 3.3) वास्तविक व्यय (वर्तमान प्रचालन में शामिल राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कर्जों और पेशगियों को दर्शाते हुये) के सापेक्ष अंश में 1985-2003 के दौरान सकारात्मक दर से परिवृत्ति हुई। वास्तविक व्यय VIII योजना (1992-97) के दौरान 46.94 प्रतिशत के अपने शिखर तक पहुँच गया और उसके बाद से मन्दन प्रवृत्ति को प्रमाणित किया। यद्यपि ऋण की पुनः अदायगी पर व्यय के सापेक्ष अंश के दीर्घावधि प्रवृत्ति में सापेक्ष अन्य घटकों के लिए नकारात्मक

थी, यह लगभग इस प्रवृत्ति की ओर अभिमुख होती थी। 1985-2003 के दौरान लोक लेखे से संवितरण में व्यय के अंश ने 19.91 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति दर्शाई। VIII योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश घटकर कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत हो गया था लेकिन बाद में यह IX योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत से बढ़ गया तथा चालू वर्ष 2002-03 में यह 23.65 प्रतिशत तक और बढ़ा।

तालिका 3.3 : संवितरण घटक : सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

अवधि	वास्तविक व्यय	करां में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे से संवितरण
1985-2003	41.71	5.06	33.32	19.91
VIII योजना (1992-1997)	46.94	6.08	29.17	17.81
IX योजना (1997-2002)	39.99	4.76	33.10	22.15
2001-02	43.00	5.10	31.05	20.85
2002-03	41.70	4.91	29.74	23.65
अपने सापेक्ष अंशों में औसत वार्षिक परिवर्तन दर				
1999-2000	0.96	1.36	-2.58	4.69

### व्यय : मुख्य समष्टि

3.6 तालिका 3.4 योजना अवधियों के दौरान संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण की पुनः अदायगी जिसकी राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग से चर्चा की गई है को छोड़कर) तथा अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दर का सार प्रस्तुत करती है :-

तालिका 3.4 : व्यय घटक

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय *	पूंजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	वास्तविक व्यय
1985-2003	182090	18993	24571	225653
VIII योजना (1992-1997)	160541	19550	23447	203539
IX योजना (1997-2002)	313109	26234	35159	374502
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310
औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर (प्रतिशत)				
1985-2003	14.43	7.15	6.80	12.73
VIII योजना (1992-1997)	14.64	-8.44	11.91	11.87
IX योजना (1997-2002)	10.40	9.22	-3.42	8.86
2001-02	9.61	23.08	39.09	12.54
2002-03	9.06	-2.55	-6.19	6.92

\* राजस्व व्यय, वर्ष 2000-01 तक वित्त लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में दर्शाए जा रहे उत्पाद शुल्कों में, राज्यों के अंश का निवल है।

**3.7 परिशिष्ट-III-क** 1985-1986 से पिछले 18 वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। इस अवधि के दौरान संघ सरकार का राजस्व व्यय (करों में राज्यों के अंश का निवल) 14.43 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ गया। तथापि, इस अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कर्जों और पेशगियों में क्रमशः 7.15 प्रतिशत और 6.80 प्रतिशत की निम्नतर दर पर वृद्धि हुई। वास्तविक व्यय, जिसमें ये तीनों घटक शामिल थे, की औसत वार्षिक वृद्धि प्रवृत्ति 12.73 प्रतिशत थी। VIII योजना (1992-97) के दौरान पूंजीगत व्यय ने संकुचन देखा और नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। तथापि IX योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 9.22 प्रतिशत पर संभल गई जिसे 2002-2003 में कायम नहीं रखा जा सका। तथापि ऋण तथा अग्रिमों ने भिन्न स्थिति प्रस्तुत की जिससे IX योजना के दौरान वृद्धि-दर नकारात्मक हो गई। यद्यपि 2001-2002 में दिये गये ऋणों में भारी वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष (2002-2003) में पुनः व्यय के इस घटक में संकुचन देखा गया और वृद्धि की दर नकारात्मक हो गई।

**व्यय: योजनागत और योजनेत्तर**

**3.8** वित्त लेखाओं में व्यय असमुच्चय को आगे योजनागत और योजनेत्तर में बाँटा गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर वार्षिक विकास से संबंधित होता है और इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेत्तर व्यय सामान्यतः पहले से प्राप्त की गई सेवाओं के स्तर के बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि योजनागत और योजनेत्तर व्यय दोनों में पूंजीगत व्यय के सापेक्ष तेज वृद्धि को गुणात्मक मानना अधिक वांछनीय है। तालिका 3.5 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय की वृद्धि तथा संयोजन को प्रस्तुत करती है।

**तालिका 3.5 : व्यय के घटक-योजनागत एवं योजनेत्तर**

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेत्तर			
	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम
1985-2003	51633	28729	8576	14328	174020	153361	10417	10242
VIII योजना (1992-1997)	48190	26749	8380	13061	155348	133792	11170	10386
IX योजना (1997-2002)	78595	47090	10132	21373	295907	266019	16102	13786
2001-02	104807	61656	11219	31932	340684	313926	20076	6682
2002-03	111471	71570	14643	25258	364839	338021	15854	10964
<b>औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)</b>								
1985-2003	10.35	14.32	3.86	8.28	13.54	14.45	11.05	3.64
VIII योजना (1992-1997)	7.53	11.48	-4.45	7.28	13.24	15.27	-11.36	18.27
IX योजना (1997-2002)	13.49	14.50	4.56	15.71	7.63	9.69	13.12	-29.30
2001-02	26.43	20.41	0.59	55.46	8.87	7.71	40.66	-7.46
2002-03	6.36	16.08	30.52	-20.90	7.09	7.68	-21.03	64.08

**3.9** 1985-2003 के दौरान योजनागत व्यय का कुल व्यय में अंश लगभग स्थिर था। 1985-2003 के दौरान कुल व्यय के 22.88 प्रतिशत की दीर्घावधि औसत के प्रति 2002-03 में इसके अंश में केवल 23.40 प्रतिशत तक कुछ सुधार हुआ था। तथापि यह प्रतीयमानत स्थिर अंश कुल तथा उप घटक स्तरों पर अन्तःवर्ष तथा अन्तःयोजना परिवर्तनों को छिपाता है। योजनागत व्यय की वृद्धि की दर VIII योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से बढ़कर 13.49 प्रतिशत होने से, IX योजना (1997-2002) के दौरान लगभग छः प्रतिशतता बिन्दुओं की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यद्यपि योजनेत्तर व्यय की दीर्घावधि स्तर की दर में सापेक्ष वृद्धि थी, IX योजना के दौरान दरों में मन्दन देखा गया था।

**3.10** योजनागत और योजनेत्तर व्यय दोनों में राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान था अपितु 1985-2003 के दौरान सापेक्ष रूप से सबसे अधिक उत्प्लावक रहा। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश जो 1985-2003 के दौरान 55.64 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2002-03 में 64.20 प्रतिशत तक पहुँच गया। योजनेत्तर व्यय में उसका अंश 1985-2003 के दौरान 88.13 प्रतिशत के प्रवृत्ति औसत से बढ़कर 2002-2003 में 92.65 प्रतिशत पर पहुँच गया। योजनागत पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति में सन्तुलित वृद्धि हुई थी। तथापि इसमें पहले की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में IX योजना के दौरान सुधार हुआ।

**3.11** तथापि चालू वर्ष में कुछ संघटकों में व्यय की वृद्धि की पहली प्रवृत्ति में उत्क्रमण देखा गया। योजनेत्तर कर्जों और पेशगियों तथा योजनागत पूंजीगत व्यय में वृद्धि थी। योजनागत राजस्व व्यय में सन्तुलित मन्दन था। तथापि योजनेत्तर पूंजीगत व्यय और योजनागत कर्जों और पेशगियों में वास्तव में कमी आई।

#### **राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक**

**3.12** राजस्व व्यय का महत्वपूर्ण भाग अंतरण भुगतानों के रूप में हैं जो अधिकतर प्रतिबद्ध होते हैं, इस श्रेणी में ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन तथा मजदूरी और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान, विशेष रूप से वे जो वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित थे, आते हैं।

**3.13** तालिका 3.6 में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किया गया व्यय मुख्य वस्तु क्रम वर्गीकरण के अनुसार दिया गया है। 1985-2003 के दौरान राजस्व व्यय के सभी घटकों के स्तर में दो अंकों में प्रवृत्ति वृद्धि हुई थी। VIII योजना (1992-1997) के दौरान इन घटकों में राज्यों के अनुदान को छोड़कर औसत वार्षिक दर में भी सापेक्ष वृद्धि अधिक थी। IX योजना के दौरान वृद्धि दर के स्तर में सामान्यतः मन्दन की प्रवृत्ति थी जो कि विशेषकर वेतन और मजदूरी में सामान्य से ऊँची थी। आन्तरिक ऋणों के लिए सन्तुलित ब्याज दरों का ब्याज के भुगतानों की वृद्धि दरों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिसमें रक्षा और विभागीय उपक्रम के कर्मचारी भी शामिल हैं, के वेतन और मजदूरी पर व्यय पांचवे वेतनआयोग की सिफारिशों को लागू



करने के पश्चात् 1997-98 में 33.84 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करके कम हो गया था तथा 2001-02 में नकारात्मक हो गया था। पिछले चार वर्षों में वेतन के भुगतान सामान्यतः एक जैसे थे। चालू वर्ष में भी इस व्यय में लगभग 2.53 प्रतिशत की केवल संतुलित वृद्धि होने की आशा है। पेंशन के भुगतानों, जिसमें कि 1990 के दशक में भी उत्प्लावन आया था, में पिछले दो वर्षों में स्थिरता थी।

तालिका 3.6 : राजस्व व्यय एवं इसके घटक

( करोड़ रूपयों में )

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य
1985-2003	182090	24719	50534	8054	21009	77774
VIII योजना (1992-1997)	160541	21620	44280	5661	20630	68351
IX योजना (1997-2002)	313109	42783	91102	15852	32423	130949
2001-02	375582	44569	114173	18933	41493	156414
2002-03	409591	45696	124573	19085	42136	178101
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2003	14.43	12.43	18.17	17.49	11.41	13.66
VIII योजना (1992-1997)	14.64	12.10	17.44	15.65	5.60	16.55
IX योजना (1997-2002)	10.40	5.25	14.90	17.07	11.06	8.34
2001-02	9.61	-3.33	10.61	2.36	12.79	13.31
2002-03	9.06	2.53	9.11	0.80	1.55	13.87

\* विविध सामान्य सेवायें सहित

टिप्पणी:-वेतन पर व्यय, इसमें तथा अन्य तालिकाओं में वह है जैसा कि सिविलियन स्टाफ के लिए व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा दिया गया है तथा रक्षा विभाग द्वारा रक्षा गैर-सिविलियन कर्मियों के लिए दर्शाया गया है। 2002-03 के लिए सिविलियन स्टाफ का वेतन व्यय बजट में दिए गये संशोधित अनुमानों पर आधारित है क्योंकि वास्तविक आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं। 2002-03 के आंकड़ों को वास्तविक न होने के कारण अनन्तिम समझा जाये।

**3.14** प्रतिबद्ध तथा अन्य देयताओं के अनुसार राजस्व व्यय के संघटन पर तथा उस समय के दौरान राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से उनके संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है। तालिका 3.7 यह विवरण उपलब्ध कराती है। प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी, पेंशन एवं विविध व्यय शामिल है।

तालिका 3.7: राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां तथा गैर-ऋण प्राप्तियों से प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का भाग

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय			राजस्व प्राप्तियां			गैर ऋण प्राप्तियां		
	ब्याज	अन्य	कुल	ब्याज	अन्य	कुल	ब्याज	अन्य	कुल
1985-2003	27.75	18.00	45.75	35.46	23.00	58.46	32.70	21.21	53.91
VIII योजना (1992-1997)	27.58	16.99	44.57	33.65	20.73	54.38	31.41	19.35	50.76
IX योजना (1997-2002)	29.10	18.73	47.83	38.38	24.70	63.08	35.75	23.01	58.76
2001-02	30.40	16.91	47.31	43.04	23.94	66.98	39.42	21.92	61.34
2002-03	30.41	15.82	46.23	41.55	21.61	63.16	36.45	18.96	55.41
उनके सापेक्ष अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दरें									
1999-2000	3.27	-0.78	1.47	4.24	0.15	2.42	4.31	0.22	2.50

टिप्पणी: राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय दोनों विभिन्न करों में राज्यों के हिस्से का निवल है।

**3.15** कुल प्रतिबद्ध व्यय जैसा कि ऊपर परिभाषित है, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और गैर ऋण प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को मिलाकर) के सापेक्ष में, उनके सापेक्ष अंशों में एक सामान्य वृद्धि दर्शाते हुए सकारात्मक परिवर्तन दर रखनी थी। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में प्रतिबद्ध देयताओं के अंशों में 1985-2003 के दौरान 58.46 प्रतिशत औसत प्रवृत्ति से बढ़कर 2001-2002 के दौरान 66.98 प्रतिशत हो गई थी। यद्यपि 2002-2003 में वह गिरकर 63.16 प्रतिशत रह गई थी उसमें अन्य खर्चों के लिए एक तिहाई से थोड़े अधिक की प्राप्तियां रह गई थी। तथापि, ऐसा अधिकतर, वर्षों के दौरान ब्याज के भुगतानों में बढ़ोतरी के कारण था। वेतन एवं पेंशन खर्चों में, उनके सापेक्ष प्राप्तियों के अंशों में संतुलित परिवर्तन दर थी तथा राजस्व व्यय के सापेक्ष एक नकारात्मक परिवर्तन दर थी। 2002-03 में प्रतिबद्ध व्यय, VIII योजना (1992-1997) के दौरान 6.91 प्रतिशत के प्रति, स.घ.उ. का 7.73 प्रतिशत थे।

### आर्थिक सहायताओं का प्रबन्धन

**3.16** किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधावंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना तथा उत्कर्ष पदार्थों<sup>1</sup> के लिए हस्तांतरण भुगतानों का किया जाना कोई असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या निवेशों की कीमतों को कम करना है जो बदले में इन वस्तुओं को लक्ष्य वर्गों के लिए अधिक वहनीय बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुविधाजनक करती है, ऐसी आर्थिक सहायता कल्याण उत्तेजक हो सकती हैं।

**3.17** तालिका 3.8 आर्थिक सहायताओं का दृश्य प्रदर्शित करती है, जो कि सरकार द्वारा स्पष्टतया VIII और IX योजनाओं के दौरान और पिछले दो वर्षों में मुख्य मदों पर प्रदान की गयी है।

तालिका 3.8 : संघ सरकार के बजट में स्पष्ट आर्थिक सहायता

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	खाद्य और चीनी	उर्वरक	निर्यात वृद्धि	अन्य	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख)
<b>औसतन वार्षिक मूल्य</b>							
VIII योजना (1992-1997)	4976	6088	571	1834	13469	1.32	8.55
IX योजना (1997-2002)	11199	11376	552	2964	26091	1.36	8.33
2000-02	17499	8091	616	5772	31978	1.40	8.51
2002-03	24176	7790	493	11549*	44008	1.80	10.74

\* अन्य आर्थिक सहायता में, पेट्रोलियम आर्थिक सहायता (5225 करोड़ रु.); किसानों को रियायतों से विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री (3225 करोड़ रु.); ब्याज आर्थिक सहायता (756 करोड़ रु.); नेफेड को अनुदान (300 करोड़ रु.); विनिमय हानि की क्षतिपूर्ति (560 करोड़ रु.); हिन्दुस्तान कॉपर लिमि. को कर्जों का परिवर्तन (660 करोड़ रु.); कर्जों को बट्टे खाते डालना (464 करोड़ रु.) आदि शामिल हैं।

(क) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

<sup>1</sup> प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एवं आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।

**3.18** सम्पूर्ण रूप से, स्पष्ट आर्थिक सहायता VIII योजना (1992-97) के दौरान के 13,469 करोड़ रुपये के औसत से IX योजना (1997-2002) के दौरान 26,091 करोड़ रु. के औसत तक बढ़ गयी। स.घ.उ. के सापेक्ष में आर्थिक सहायता 1.32 प्रतिशत से IX योजना (1997-2002) के दौरान सीमान्त रूप से औसतन 1.36 प्रतिशत तक बढ़ गई। चालू वर्ष में स्पष्ट आर्थिक सहायता में 37.6 प्रतिशत की बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है और वे स.घ.उ. की 1.80 प्रतिशत और संघ सरकार के राजस्व व्यय के लगभग 11 प्रतिशत तक पहुँच गई। 2002-03 में आर्थिक सहायता में तीन चौथाई के लगभग बढ़ोत्तरी, खाद्य एवं उर्वरकों के कारण थी। खाद्य पर बढ़ी हुई आर्थिक सहायता, आंशिक रूप से एक मुक्त अधिप्राप्ति के कारण रही है जिसने भारतीय खाद्य निगम को एक प्रमुख आश्रय का खरीददार बना दिया जिसके फलस्वरूप सरकारी आर्थिक सहायता के लिए भंडारों का बहुत बड़ा संग्रहण और उच्चतर बचनबद्धता हुई। आर्थिक सहायता और प्रतिबद्ध व्यय कुल मिलाकर राजस्व व्यय का कुल 57 प्रतिशत है और राजस्व प्राप्तियों का 74 प्रतिशत से ऊपर पहुँच गया। स.घ.उ. की प्रतिशत के रूप में ये व्यय मिलकर स.घ.उ. के 9.52 प्रतिशत थे।

**3.19** स्पष्ट आर्थिक सहायताओं के साथ-साथ संघ सरकार की अस्पष्ट आर्थिक सहायताओं की प्रकृति के व्यय को भी वहन करती है। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंको को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त प्राप्तियों तथा सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, से उपभोगकर्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायताओं की श्रेणी में आती हैं। नीचे दी गई तालिका 3.9 में निवेश पर वापसी, और बकाया अग्रिम और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय पर उपभोगकर्ता प्रभारों की प्रतिशतता को दर्शाती है।

**तालिका 3.9 : निवेश और अग्रिम पर वापसी और उपभोगकर्ता से प्रभारों की वसूली (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में)**

(प्रतिशत)

अवधि	अग्रिम	निवेश	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें
1987-2003	11.45	4.30	5.18	50.12
VIII योजना (1992-1997)	11.23	2.35	9.57	57.22
IX योजना (1997-2002)	14.15	5.30	3.59	55.80
2001-02	15.17	7.99	1.51	47.62
2002-03	15.11	8.83	2.03	43.07
वापसियों में परिवर्तन की औसतन वार्षिक दर				
1987-2003	4.81	12.04	-10.95	-0.79

(उपभोगकर्ता प्रभारों की वसूली उनके राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियां हैं।)

**3.20** सरकारी निवेश पर वापसी की औसत दर (निवेश के प्रारंभिक स्टॉक पर आधारित) VIII योजना (1992-97) के दौरान 2.35 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2002-2003 में 8.83 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान अग्रिमों में (प्रारंभिक बकाया) ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 15.11 प्रतिशत हो गई। यद्यपि अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता पर सरकार की वित्तीय मध्यस्थता नहीं थी चूंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर वापसी उधारों पर लिये गये ब्याज के मूल्य से अधिक थी, सरकार के 4.30 प्रतिशत के निवेश पर वापसी की प्रवृत्ति दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों के ब्याज की दर (8.44 प्रतिशत)से बहुत नीचे गिर गई। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में वसूली की दरों (राजस्व प्राप्तियां/राजस्व व्यय) में घटती हुई प्रवृत्ति प्रमाणित की गई थी। आर्थिक सेवाओं में, जो मुख्यतः रेलवे राजस्व से प्राप्तियां थी, राजस्व प्राप्तियां केवल 43 प्रतिशत राजस्व व्यय को ही पूरा कर पाई।

### सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

**3.21** क्रियाकलापों के अनुसार समग्र व्यय सामान्य सेवाओं, (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है) सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित होता है। बाद की दो श्रेणियां विकासात्मक प्रकृति की समझी जा सकती है। नीचे दी गई 3.10 तालिका सामाजिक सेवाओं और उसके विभिन्न घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 3.10 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय-प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवायें	शिक्षा	स्वास्थ्य	जलपूर्ति	सूचना	श्रमिक कल्याण	अन्य
1987-2003	9673	3956	1334	1641	769	514	1459
VIII योजना (1992-1997)	6903	2696	901	887	986	465	968
IX योजना (1997-2002)	15998	6457	2227	3217	568	768	2761
2001-02	16284	7568	2956	3986	-3113	843	4044
2002-03	21810	9846	3164	4044	1170	764	2822
<b>औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)</b>							
1987-2003	15.31	15.23	15.69	24.98		10.72	20.11
VIII योजना (1992-1997)	19.61	16.02	11.39	35.64	12.93	9.52	36.63
IX योजना (1997-2002)	7.96	11.38	19.15	12.90	*	10.68	25.93
2001-02	-11.96	7.38	13.89	14.24	*	-4.00	22.39
2002-03	33.94	30.10	7.04	1.46	*	-9.37	-30.23

टिप्पणी: मुख्य शीर्षों में परिवर्तन के कारण, आदि 1985-87 में सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलपूर्ति, सफाई एवं आवास, सूचना और प्रसारण, श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण अन्य) पर व्यय को छोड़ दिया गया है। 2001-2002 में सूचना सेवाओं पर व्यय के लिए नकारात्मक आंकड़े होने के कारण इन अवधियों के लिए वृद्धि दर की गणना करना संभव नहीं था।

**3.22** संघ सरकार का समग्र सामाजिक व्यय VIII योजना (1992-1997) के दौरान औसत 6903 करोड़ रु. से बढ़कर 2002-03 में 21,810 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय की दीर्घावधि प्रवृत्ति दर में 15.31 प्रतिशत की (1987-2003) वृद्धि थी। तथापि IX योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली योजना की तुलना में, गिरावट 10 प्रतिशत बिन्दू से अधिक थी। सामाजिक सेवाओं के अन्दर शिक्षा, स्वास्थ्य जलापूर्ति, और शहरी सफाई (आवास और शहरी विकास शामिल है) पर व्यय उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी, शिक्षा और स्वास्थ्य ने बहुत उत्प्लावकता दिखाई थी।

**3.23** आर्थिक सेवाओं के घटकों पर व्यय नीचे तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय -प्रवृत्ति और संघटक

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	आर्थिक सेवायें	कृषि एवं अनुषंगी	ग्रामीण विकास	विद्युत	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूर संचार	अन्य
1987-2003	80883	12703	3606	5858	8771	29780	2383	8027	9755
VIII योजना (1992-1997)	69161	9665	3263	3061	7229	24246	1598	8417	11682
IX योजना (1997-2002)	121107	20048	5146	10158	12294	44714	3937	13554	11256
2001-02	141354	28294	6189	17043	13376	57163	5167	3739	10383
2002-03	154041	31101	11737	12118	13965	60415	5416	3486	15803
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)									
1987-2003	11.96	16.16	25.49	10.77	7.47	12.03	14.29	9.77	7.45
VIII योजना (1992-1997)	9.35	14.89	81.37	4.36	2.17	9.22	13.62	26.75	-9.69
IX योजना (1997-2002)	6.36	18.28	2.79	1.23	8.78	14.26	19.11	-27.41	-5.55
2001-02	15.57	27.13	43.77	193.74	-3.15	11.74	5.69	-68.37	25.58
2002-03	8.98	9.92	89.64	-28.90	4.40	5.69	4.82	-6.77	52.20

**3.24** आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIII योजना (1992-1997) के दौरान 69,161 करोड़ रु. औसत से बढ़कर 2002-03 में 154041 करोड़ रु. हो गया। 1987-2003 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर 11.96 प्रतिशत थी। जैसाकि सामाजिक सेवाओं के मामले में IX योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर में मन्दन देखा गया था। आर्थिक सेवाओं के सापेक्ष में यह 3 प्रतिशत बिन्दुओं का मन्दन समंत था। अंत-वर्ष और अंत-सेवाओं की वृद्धि दरों में बहुत विविधता थी। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल करते हुए) और ग्रामीण विकास पर व्यय सापेक्ष उत्प्लावक थी। तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में व्यय की वृद्धि दर VIII योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत में, IX योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत से तीव्रता से गिरावट आई। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान इस सेक्टर में बहुत अधिक आबंटन देखा गया था। ऊर्जा सेक्टर में भी IX योजना के दौरान वृद्धि दरों में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। तथापि,

विभाग के संचालन के निगमीकरण के फलस्वरूप दूरसंचार पर व्यय में नकारात्मक वृद्धि की आशा थी।

**3.25** यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. के सापेक्ष में देखा जाये चूँकि वह इन सेक्टरों के सापेक्ष में प्राथमिकता और इन व्यापक ग्रुपों में विशिष्ट सेक्टर को दी गई प्राथमिकता को दर्शाता है। 1987-2003 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में व्यय स.घ.उ. के 7.633 प्रतिशत औसतन हो गया। वह संघ सरकार के कुल व्यय का 39 प्रतिशत बनता था। चुने हुए आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर स.घ.उ. के सापेक्ष में व्यय तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.12 : स.घ.उ. के सापेक्ष में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय

(प्रतिशत)

अवधि	सामाजिक सेवायें				आर्थिक सेवायें				
	कुल	शिक्षा	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	कृषि और ग्रामीण विकास	विद्युत	परिवहन	अन्य
1987-2003	0.759	0.310	0.103	0.346	6.904	1.242	0.497	2.530	2.635
VIII योजना (1992-1997)	0.661	0.261	0.088	0.312	6.813	1.230	0.305	2.389	2.889
IX योजना (1997-2002)	0.837	0.336	0.114	0.387	6.359	1.302	0.547	2.314	2.196
2001-02	0.709	0.330	0.129	0.250	6.156	1.502	0.742	2.490	1.422
2002-03	0.890	0.402	0.129	0.359	6.285	1.748	0.494	2.465	1.578
सापेक्ष अंश में परिवर्तन की वार्षिक औसत दर									
1987-2003	0.99	0.92	1.32	0.80	-1.94	2.70	-2.98	-1.88	-4.47

**3.26** सामाजिक सेवाओं (इस सेक्टर में ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर) पर व्यय 1987-2003 के दौरान उनके अंशों का स.घ.उ. के सापेक्ष में सकारात्मक परिवर्तित दर थी। दो अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तित दर को देखा गया था। तथापि, सकारात्मक परिवर्तित दर के बावजूद सामाजिक सेक्टरों पर समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था।

**3.27** तथापि आर्थिक सेवायें पर व्यय उनके अंशों का स.घ.उ. के सापेक्ष में नकारात्मक परिवर्तित दर थी। स.घ.उ. से संबंधित आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय के अंश की प्रवृत्ति दर 6.904 प्रतिशत (1987-2003) से गिरकर 2002-2003 में 6.285 प्रतिशत रह गई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत परिवहन, उर्जा और अन्य आर्थिक सेवाओं से संबंधित अंश की नकारात्मक परिवर्तित दर थी। कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में, दोनों व्यय में उनके सापेक्ष अंशों में VIII योजना (1992-1997) में औसत स.घ.उ. के 1.230 प्रतिशत से 2002-2003 में 1.748 प्रतिशत होकर सुधार हुआ।

**3.28** आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय को देखने का दूसरा तरीका है कि उनका विश्लेषण प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार किया जाये। तालिका 3.13 में चुनी हुई सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर 1993-1994 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति व्यय को प्रस्तुत किया गया है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्प्रभाव करने और व्यय की सीरीज को वर्षों में तुलनात्मक बनाने, सामाजिक और आर्थिक व्यय को स.घ.उ. के बढ़े हुए मूल्यों का घटाने वाले डिफ्लेटर द्वारा अपस्फीति किया गया।

**तालिका 3.13 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय  
(1993-94 के मूल्यों पर रू. में)**

अवधि	सामाजिक सेवायें				आर्थिक सेवायें				
	कुल	शिक्षा	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	कृषि एवं ग्रामीण विकास	ऊर्जा	परिवहन	अन्य
1987-2003	82	33	11	38	727	135	52	267	273
VIII योजना (1992-1997)	68	27	9	32	693	127	31	243	292
IX योजना (1997-2002)	104	42	14	48	792	163	68	290	271
2001-02	95	44	17	34	823	201	99	333	190
2002-03	122	55	18	49	862	240	68	338	216
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)									
1987-2003	4.72	4.65	5.06	4.53	1.68	6.49	0.60	1.74	-0.94

**3.29** 1993-94 के मूल्यों, पर संघ सरकार का सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय, VIII योजना (1992-97) के दौरान 68 रू. से बढ़कर 2002-03 में 122 रू. हो गया। 1987-2003 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.72 प्रतिशत थी। शिक्षा के क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि सीमांततः निम्न थी जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कुल क्षेत्र की वृद्धि से बढ़ गई।

**3.30** आर्थिक सेवाओं की स्थिति में, 1993-94 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति व्यय VIII योजना (1992-97) के दौरान औसतन 693 रू. से बढ़कर 2002-03 में 862 रू. हो गया। 1987-2003 के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि दर 1.68 प्रतिशत थी। कृषि और ग्रामीण विकास पर व्यय की उच्चतम वृद्धि 6.49 प्रतिशत थी जबकि ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्रों में सन्तुलित वृद्धि दर्ज की गई।

## अध्याय 4

### घाटे : राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन

**4.1** वार्षिक बजट, तीन प्रकार के घाटे, जैसे राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे को इंगित करता है। इस अध्याय में इन घाटों के स्वरूप तथा परिमाण, समय पर उनकी प्रवृत्ति तथा इन घाटों को वित्तपोषित करने के ढंग की चर्चा की गई है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन दीर्घकालिक तथा निरन्तर दोनों प्रकार के हुए हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संविरचना विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी इस विषय का एक कारण रही है।

**4.2** तालिका 4.1, 2002-03 के दौरान घाटे के ब्यौरे को प्रस्तुत करती है। भारत की सकल निधि में 38,894 करोड़ रु. राशि का घाटा था तथा लोक लेखे में 37,011 करोड़ रु. राशि का अधिशेष था। 1,883 करोड़ रु. राशि की कमी, रोकड़ शेषों से आहरण करके, अच्छी तरह से पूरी की गई थी।

तालिका 4.1: सरकारी लेखे में घाटे

(करोड़ रूपयों में)

समेकित निधि					
प्राप्ति	राशि			संवितरण	राशि
राजस्व	299,826	राजस्व घाटा	109,765	राजस्व	409,591
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियां	3,151			पूँजीगत	30,497
ऋण एवं पेशगियों की वसूली	38,745			ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	36,222
उप जोड़ : भा.स.नि. (लोक ऋण को छोड़कर)	341,722			उप जोड़ : भा.स.नि. (लोक ऋण को छोड़कर)	476,310
लोक ऋण	435,371	राजकोषीय घाटा	134,588	लोक ऋण पुनर्भुगतान	339,677
<b>कुल ( भा.स.नि.)</b>	<b>777,093</b>	<b>क : भा.स.नि. में घाटा</b>	<b>38,894</b>		<b>815,987</b>
लोक लेखा					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	199,340			लघु बचत, भविष्य निधि आदि	161,495
आरक्षित निधि <sup>1</sup>	20,713			आरक्षित निधि	18,315
जमा तथा पेशगियां <sup>2</sup>	80,242			जमा तथा पेशगियां	75,745
उचन्त एवं विवध <sup>3</sup>	6,047			उचन्त एवं विविध	14,299
प्रेषण <sup>4</sup>	893			प्रेषण	370
<b>कुल लोक लेखे</b>	<b>307,235</b>	<b>ख: लोक लेखे में अधिशेष : 37,011</b>			<b>270,224</b>
नकद शेष में कमी {क-ख} = 1,883					
<p>1. इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधियां - रेलवे, राजस्व आरक्षित निधियां -रेलवे, चीनी विकास निधि, खान कल्याण निधि, राष्ट्रीय नवीकरण निधि आदि शामिल है।</p> <p>2. इसमें रेलवे की प्रतिभूति जमा, दूरभाष, आवेदन जमा, डाक जमा, वन पेशगियां, विभागीय पेशगियां आदि शामिल है।</p> <p>3. इसमें भुगतान एवं लेखा कार्यालय उचन्त, उचन्त लेखा डा.व ता., खा, रेलवे तथा दूरसंचार, सिक्का ढलाई लेखे, बैंक तथा बिल आदि जैसे लेखाओं में अंतिम समायोजन हेतु प्रतीक्षित राशियां शामिल हैं।</p> <p>4. इसमें मार्गस्थ धन जैसे धन आदेश, भा.रि.बैं. प्रेषण, लघु सिक्का डिपो प्रेषण, टकसाल प्रेषण आदि शामिल है।</p>					



**4.3** समेकित निधि अथवा लोक लेखे में अधिशेष तथा घाटे, केवल इन खातों में प्राप्तियों अथवा संवितरणों की अधिकता को इंगित करते हैं तथा ये राजकोषीय घाटों अथवा अधिशेषों को संघटित नहीं करते। संघ सरकार का राजकोषीय घाटा, इसके गैर ऋण प्राप्तियों ( इसमें राजस्व प्राप्तियां, विविध पूँजीगत प्राप्तियां तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली सम्मिलित हैं जो सरकार के लिए कोई राजकोषीय देयता सृजित नहीं करते) पर ऋण तथा पेशगियाँ तथा राजस्व और पूँजीगत व्यय को सम्मिलित करते हुए इसके कुल व्यय की अधिकता को इंगित करता है। वर्ष 2002-2003 में संघ सरकार का 476,310 करोड़ रु. कुल व्यय, इसकी गैर ऋण प्राप्तियों से 134,588 करोड़ रु. तक बढ़ गया। इस स्तर पर राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 5.49 प्रतिशत था। इस घाटे को, 95,694 करोड़ रु. (पुनर्भुगतानों का निवल) के लोक ऋण एकत्र करके, लोक लेखे में 37,011 करोड़ रु. राशि के अधिशेषों का उपयोग करके तथा नकद शेषों से 1,883 करोड़ रु. आहरित करके पूरा किया गया था।

**4.4** राजस्व घाटा भी रहा था क्योंकि राजस्व व्यय को प्राप्तियों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जा सका। राजस्व प्राप्तियां 109,765 करोड़ रु. कम रही। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का लगभग 82 प्रतिशत आकलित किया गया तथा यह स.घ.उ. का 4.48 प्रतिशत था।

#### घाटे : प्रवृत्तियां

**4.5** तालिका 4.2 राजस्व तथा व्यय की प्रवृत्तियों के साथ -साथ राजकोषीय असंतुलों के विभिन्न पहलुओं में प्रवृत्ति को इंगित करती है। **परिशिष्ट -IV** क पिछले 27 वर्षों में घाटे को दर्शाता है।

तालिका 4.2: घाटों का परिमाण

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	गैर ऋण प्राप्तियां	राजस्व व्यय	कुल व्यय	ब्याज भुगतान	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्रारंभिक घाटा
1985-2003	142503	154526	182090	225653	50534	39587	71128	20594
VIII योजना (1992-1997)	131601	140973	160541	203539	44280	28940	62565	18285
IX योजना (1997-2002)	237397	254827	313109	374502	91102	75712	119675	28573
2001-02	265279	289658	375582	445491	114173	110303	155833	41660
2002-03	299826	341722	409591	476310	124573	109765	134588	10015
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)								
1985-2003	13.37	13.29	14.43	12.73	18.17	18.83	11.56	0.23
VIII योजना (1992-1997)	15.61	14.51	14.64	11.87	17.44	10.88	6.42	-19.36
IX योजना (1997-2002)	8.12	8.74	10.40	8.86	14.90	17.29	9.00	-5.48
2001-02	3.61	5.35	9.61	12.54	10.61	27.35	28.92	136.03
2002-03	13.02	17.97	9.06	6.92	9.11	-0.49	-13.63	-75.96

**4.6** संघ सरकार का राजस्व घाटा VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान औसतन 28,940 करोड़ रू. से बढ़कर 2002-2003 में 109,765 करोड़ रू. हो गया। 1985-2003 के दौरान औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 18.83 प्रतिशत थी। 1991 में आर्थिक सुधारों के आरंभ करने के तत्काल पश्चात इस घाटे की वृद्धि दर में अवत्तरण हुआ था (औसत वार्षिक वृद्धि दर दीर्घकालीन प्रवृत्ति की तुलना में लगभग 8 प्रतिशतता अंक तक गिर गई) लेकिन यह IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान बनी नहीं रह सकी। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष में राजस्व व्यय की अधिक वृद्धि ने राजस्व घाटे को बढ़ाने में सहायता की। 1985-2003 के दौरान जबकि राजस्व व्यय 14.43 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ा था, राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर केवल 13.37 प्रतिशत थी। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय की वृद्धि के बीच लगभग एक प्रतिशतता अंक का सकारात्मक प्रसार था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे की वृद्धि दर में अवत्तरण हुआ। IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान, यह प्रसार पुनः नकारात्मक हुआ जिसके कारण राजस्व घाटे में तीव्र वृद्धि हुई।

**4.7** राजकोषीय घाटे ने इस अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से निम्नतर वृद्धि दर्ज की। तथापि राजस्व घाटे की तरह राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर ने भी पूर्व अवधि के तुलना में IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान, त्वरण को प्रमाणित किया। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62,565 करोड़ रू. की औसत से बढ़कर 2002-2003 में 134,588 करोड़ रू. हो गया। यद्यपि, कुल व्यय (1985-2003) तथा गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर के बीच 0.56 प्रतिशतता अंकों का एक लघु सकारात्मक प्रसार था, यह प्रसार इतना पर्याप्त नहीं था जिससे राजकोषीय घाटे में कोई सुधार हो। VIII वीं योजना (1992-1997), के दौरान यह प्रसार 2.64 प्रतिशत तक बढ़ा जिस कारण से कुछ सीमा तक राजकोषीय समेकन हुआ। तथापि, यह सकारात्मक प्रसार पूँजीगत व्यय में संतुलित वृद्धि के कारण था न कि राजस्व व्यय के संकुचन या उसकी वृद्धि में अवत्तरण होने या प्राप्तियों की तुलना में इसकी निम्नतर वृद्धि होने के कारण।

**4.8** राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा निवल वार्षिक उधार को निरूपित करता है। तथापि, ऐसी उधार के एक भाग का पिछले दायित्वों पर ब्याज भुगतानों का वित्तपोषण करने के लिए सहारा लिया जाता है। अतः निवल वर्तमान असंतुलों पर नजर रखनी आवश्यक होगी। प्रारंभिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों की कटौती करने के बाद प्राप्त होता है, ऐसे वर्तमान असंतुलों को आंकता है। समग्र प्रारंभिक घाटा VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 18,285 करोड़ रू. की औसत से घटकर 2002-2003 में 10,015 करोड़ रू. हो गया जो वर्तमान राजकोषीय असंतुलों में गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाता है। ब्याज भुगतानों में सापेक्ष रूप से तीव्र वृद्धि ने, प्रारंभिक घाटे को संतुलित रूप से बढ़ाया। जैसाकि पहले दर्शाया गया है, ब्याज भुगतान, कुल व्यय को तेजी से बढ़ाने वाले संघटक थे।

**4.9** 2002-2003 में घाटे के सभी तीन परिवर्तों ने सुधार को प्रामाणित किया है। राजस्व घाटे ने 0.49 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। राजकोषीय घाटे में गिरावट 13.63 प्रतिशत तक अधिक थी। प्रारंभिक घाटे ने जबरदस्त गिरावट को प्रामाणित किया तथा यह पिछले वर्ष के 41,660 करोड़ रु. का एक चौथाई हो गया।

### राजस्व घाटा

**4.10** राजस्व घाटा, सरकार की बचत न करने तथा अन्तर अस्थाई रूप से वर्तमान व्यय में परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। घाटे के तीन परिवर्तों में से निरन्तर राजस्व घाटा, सरकार द्वारा पूंजी निर्माण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की दृष्टि में, अत्यन्त अवांछनीय समझा जाता है। तालिका 4.3 पिछले दो वर्षों के दौरान तथा योजनाओं के समय स.घ.उ तथा राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में राजस्व घाटे के परिमाण के संक्षिप्त सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 4.3: स.घ.उ., राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय की तुलना में राजस्व घाटा

अवधि	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियां	राजस्व व्यय
1985-2003	3.51	27.78	21.74
VIII योजना (1992-1997)	2.80	21.99	18.03
IX योजना (1997-2002)	3.94	31.89	24.18
2001-02	4.80	41.58	29.37
2002-03	4.48	36.61	26.80
सापेक्ष भाग के परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2003	3.85	4.82	3.85

**4.11** राजस्व घाटा VIII योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. के 2.80 प्रतिशत की औसत से, IX योजना (1997-2002) के दौरान 3.94 प्रतिशत की औसत तक बढ़ा। यह 1992-1997 के दौरान राजस्व व्यय के 18 प्रतिशत के आसपास तथा राजस्व प्राप्तियों के 22 प्रतिशत के आस पास था जो 1997-2002 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के 32 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय के 24 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2002-2003 के दौरान राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति का 37 प्रतिशत के आस पास तथा राजस्व व्यय का 27 प्रतिशत था। समस्त तीन बृहत समूहों की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में इसके सापेक्ष भाग में एक सकारात्मक परिवर्तन दर पाई गई थी। राजस्व प्राप्तियों/व्यय पर राजस्व घाटे के अनुपात ने राजस्व प्राप्तियों/व्यय में वृद्धि/कमी को इंगित किया जोकि वर्तमान प्राप्तियों द्वारा, सरकार द्वारा निवल घाटे के बिना, वर्तमान व्यय की पूर्ण रूप से पूर्ति करने के लिए आवश्यक था।

## राजकोषीय घाटा

**4.12** तालिका 4.4 पिछले दो वर्षों के दौरान तथा योजनाओं के समय स.घ.उ., गैर ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से राजकोषीय घाटे के अनुपात को दर्शाती है।

**तालिका 4.4: स.घ.उ., गैर ऋण प्राप्तियां तथा कुल व्यय से राजकोषीय घाटे का अनुपात**

(प्रतिशत)

अवधि	स.घ.उ.	गैर ऋण प्राप्तियां	समुच्चय व्यय
1985-2003	6.31	46.03	31.52
VIII योजना (1992-1997)	6.04	44.38	30.74
IX योजना (1997-2002)	6.23	46.96	31.96
2001-02	6.79	53.80	34.98
2002-03	5.49	39.39	28.26
सापेक्ष भाग के परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2003	-2.50	-1.52	-1.03

**4.13** स.घ.उ. से राजकोषीय घाटे के अनुपात ने 1985-2003 के दौरान नकारात्मक परिवर्तन दर को प्रमाणित किया। तथापि, VII योजना (1985-1990), जब स.घ.उ. अनुपात से राजकोषीय घाटा 8.09 प्रतिशत की औसत से रहा, की तुलना में VIII योजना (1992-1997) के दौरान प्रमुख सुधार की सफलता प्राप्त हुई थी। इस अवधि के दौरान स.घ.उ. वृद्धि तथा कुल व्यय की वृद्धि के बीच 4.67 प्रतिशत का एक सकारात्मक विस्तार था (यद्यपि 1997-2002 के दौरान विस्तार सकारात्मक था, 1997-1998 में 13.33 प्रतिशत के नकारात्मक विस्तार ने उस वर्ष के राजकोषीय घाटे को बढ़ा दिया जिससे 1997-2002 के लिए औसत राजकोषीय-घाटे स.घ.उ. का अनुपात बढ़ गया)। IX योजना (1997-2002) के दौरान राजकोषीय घाटे से कुल व्यय का लगभग 32 प्रतिशत वित्तपोषित हुआ था। यह अनुपात 2002-2003 में 28.26 प्रतिशत तक गिर गया। गैर ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा, VIII योजना (1992-1997) के दौरान 44.38 प्रतिशत की औसत से गिर कर 2002-2003 में 39.39 प्रतिशत तक हो गया। गैर ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय से राजकोषीय घाटे के अनुपात में भी नकारात्मक परिवर्तन दर थी, क्योंकि 1985-2003 के दौरान दो बृहत पैरामीटर वृद्धि दरों के बीच समग्र विस्तार सकारात्मक रहा।

**4.14** योजना अवधियों के समय राजकोषीय घाटे के घटकों तथा उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना वांछनीय है।

**तालिका 4.5: राजकोषीय घाटे के घटक - सापेक्ष भाग**

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण एवं पेशगिरियों
1985-2003	55.66	24.37	19.97
VIII योजना (1992-1997)	46.26	28.25	25.49
IX योजना (1997-2002)	63.27	19.53	17.20
2001-02	70.79	17.74	11.47
2002-03	81.55	20.32	-1.87
सापेक्ष भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2003	6.51	-4.69	-5.97

**4.15** 1985-2003 के दौरान राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे के अनुपात की 6.51 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सकारात्मक परिवर्तन दर थी। यह VIII योजना (1992-1997) के दौरान राजकोषीय घाटे का 46.26 प्रतिशत दर्ज की गई जो 2002-2003 में 81.55 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी। वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटे के निरन्तर आश्रय ने संघ सरकार की देयताओं के लिए समर्थित परिसंपत्तियों के कटाव को दर्शाया। चूंकि राजकोषीय घाटे के बढ़ते हुए अधिकांश भाग का वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था, पूंजीगत व्यय तथा ऋण तथा पेशगियों के समायोजन के परिवर्ती हो गए क्योंकि इन उद्देश्यों हेतु संसाधनों को आबंटित नहीं किया जा सका था।

**4.16** 2002-2003 में, राजकोषीय घाटे समानुपात या बढ़ती उधारों, जो पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए आबंटित की गई थी, का समानुपात 20.32 प्रतिशत तक गिर गया था। संघ सरकार द्वारा 2002-2003 में दिए गए नए ऋण तथा अग्रिम, पिछले ऋणों की वसूली से अपेक्षाकृत कम थे तथा इस उद्देश्य हेतु उधार ली गई निधियों का आबंटन करने की आवश्यकता नहीं थी।

#### प्राथमिक घाटा

**4.17** तालिका 4.6 प्राथमिक घाटे का स.घ.उ. संघ सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के प्रति अनुपात को इंगित करती है। प्राथमिक घाटा/स.घ.उ. अनुपात VIII योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से, 2002-03 में 0.41 प्रतिशत के स्तर तक गिर गया। प्राथमिक घाटे का स.घ.उ. के प्रति अनुपात में गिरावट बढ़ते हुए ब्याज भुगतानों के कारण थी। 1985-2003 के दौरान इन भुगतानों की वृद्धि दर स.घ.उ. वृद्धि दर से 3.75 प्रतिशतता अंको तक बढ़ गई थी। प्राथमिक घाटे का गैर ऋण प्राप्तियों से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का राजस्व व्यय से अनुपात में भी नकारात्मक परिवर्तन था क्योंकि इन दो घटकों की, वृद्धि की सापेक्ष दरें ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम थी।

तालिका 4.6: प्राथमिक घाटा-चुनिंदा अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	स.घ.उ.	गैर ऋण प्राप्तियां	राजस्व व्यय
1985-2003	1.83	13.33	11.31
VIII योजना (1992-1997)	1.77	12.97	11.39
IX योजना (1997-2002)	1.49	11.21	9.13
2001-02	1.81	14.38	11.09
2002-03	0.41	2.93	2.45
सापेक्ष भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2003	-12.40	-11.53	-11.39

संघ सरकार की गैर ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां (संघीय करों में राज्यों के भाग का निवल अंश) तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

**4.18** प्राथमिक घाटे में सुधार, भविष्य के लिए अच्छी संभावना का संकेत देगा क्योंकि राजस्व प्राप्तियां तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वर्तमान संचालनों को आवृत्त करेंगी क्योंकि ब्याज भुगतान पहले के वर्षों के दौरान उपगत देयताओं के लिए है। प्राथमिक घाटे की मौजूदगी दर्शाती है कि भूतकाल की राजकोषीय देयताओं पर ब्याज का निधियन भी उस सीमा तक नई उधारों के द्वारा ही करना था।

## अध्याय 5

### राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

**5.1** आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जो संघ सरकार के ऋण को संघटित करते हैं। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण लोक ऋण को संघटित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों को निरूपित करता है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता से अधिक बैंकर के रूप में अपनी क्षमता से अधिक उद्भूत होती हैं। ये उधार या संभूतियां भा.सं.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखों के भाग के रूप में दर्शाए जाते हैं। तथापि, यह सभी देयताएं सरकार के दायित्व हैं।

**5.2** सरकार ऋण की पुनः अदायगी के लिए इन संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए इन देयताओं और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय मांगों जैसे कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है को वहन करती है।

#### सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

**5.3** तालिका 5.1 विनिमय की वर्तमान दर तथा ऐतिहासिक दर (वह दर जिस पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) पर संगणित दोनों आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण तथा 1985-2003 के दौरान लोक लेखों सहित, सरकार की सकल देयताओं को प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-V-क** में उसकी संरचना के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शायी गई है।

तालिका 5.1: सकल राजकोषीय देयताएं : प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण	लोक लेखा	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1985-2003	360804	44355	196373	601532	120695	677872
VIII योजना (1992-1997)	272725	49206	218152	540083	137732	628609
IX योजना (1997-2002)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064
2001-02	913061	71546	286582	1271189	199897	1399540
2002-03	1020689	59612	331419	1411720	196068	1548176
<b>वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)</b>						
1985-2003	16.81	7.99	11.37	14.42	12.84	14.65
VIII योजना (1992-1997)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IX योजना (1997-2002)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
2001-02	13.61	8.49	16.91	14.03	5.20	12.97
2002-03	11.79	-16.68	15.65	11.06	-1.92	10.62

वित्त लेखाओं में विनिमय की वर्तमान दर पर बाह्य ऋण को दर्शाना 1991-92 से शुरू किया था। बाह्य ऋण के पूर्व आंकड़े विनिमय की वर्तमान दर पर श्रृंखला को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए हैं।

**5.4** सकल राजकोषीय देयताएं VIII योजना (1992-1997) के दौरान 628,609 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2002-03 में 1548,176 करोड़ रु. हो गई थी। 1985-2003 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 14.65 प्रतिशत थी। आंतरिक ऋण, 2002-03 में इनका लगभग दो तिहाई के लिए लेखाबद्ध करने हेतु, सकल देयताओं का न केवल सबसे अधिक प्रमुख घटक था, वह उसकी वृद्धि के साथ 16.81 प्रतिशत औसत होने का सबसे तीव्र बढ़ने वाला घटक भी था। लोक लेखे देयताओं की 11.37 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि थी। ये दो घटक, जो मूल रूप से घरेलू देयताएं हैं, 2002-2003 में सकल देयताओं का 87 प्रतिशत से अधिक के बराबर बनते थे। सकल देयताओं में इन दो घटकों के हिस्से का भी VIII योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत की औसत से वर्तमान स्तर तक सुधार हुआ था। 2002-03 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं सकल देयताओं का लगभग 13 प्रतिशत बनती थी और 12.84 प्रतिशत की औसत दर पर बढ़ी थी। सकल देयताएं वर्षों तक उनकी वृद्धि दरों में संतुलित मन्दन दर्शाती थी। ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताएं यद्यपि निम्न दर पर बढ़ी थी, केवल ब्याज की गणना के लिए ही थी क्योंकि इस ऋण के पुनः भुगतान दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाता है।

#### **स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताएं**

**5.5** तालिका 5.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की सकल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. का 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIII योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.72 प्रतिशत की औसत तक अत्वरित हुआ और इसके आगे IX योजना (1997-2002) के दौरान 58.90 प्रतिशत की औसत तक आ गया था। अंतिम तीन वर्षों में राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात की बिगड़ती प्रवृत्ति देखी गई और 2002-03 में स.घ.उ. के 63.16 प्रतिशत पर पहुंच गई। राजकोषीय देयताओं-स.घ.उ. अनुपात के सहायक दो घटकों की पहचान की गई थी। पहला प्राथमिक घाटे का समुचित प्रभाव और दूसरा, स.घ.उ. की वृद्धि दर और ब्याज दरों के बीच अन्तर का समुचित प्रभाव। चूंकि 1985-2003 के अधिक भाग के लिए, संघ सरकार देयताओं पर ब्याज का औसत दर स.घ.उ. की वृद्धि के दर से नीचे थी, समुचित प्राथमिक घाटे के प्रभाव का लगभग दो तिहाई इस सकारात्मक अन्तर द्वारा विलीन कर लिया गया था। अंतिम दो वर्षों में स्थिति में परिवर्तन हुआ और स.घ.उ. वृद्धि और ब्याज दरों के बीच फैलाव नकारात्मक हो गया, जिसके कारण राजकोषीय देयताओं - स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि हुई। 1985-2003 के दौरान, स.घ.उ. अनुपात को राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति में 0.20 प्रतिशत के औसत वार्षिक दर के परिवर्तन के साथ त्वरण था।



तालिका 5.2: स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा	कुल देयताएं	वर्तमान दरों पर बाह्य ऋण	कुल देयताएं
1985-2003	31.99	3.93	17.41	53.33	10.70	60.10
VIII योजना (1992-1997)	26.34	4.75	21.07	52.16	13.30	60.72
IX योजना (1997-2002)	34.16	3.21	15.21	52.58	9.53	58.90
2001-02	39.77	3.12	12.48	55.37	8.71	60.96
2002-03	41.64	2.43	13.52	57.59	8.00	63.16
सापेक्षित हिस्से में परिवर्तन का औसत वार्षिक दर						
1985-2003	2.09	-5.62	-2.66		-1.38	0.20

5.6 सकल राजकोषीय देयताओं पर संघ सरकार की प्राप्तियों के सापेक्ष में दृष्टि डालना उचित होगा। तालिका 5.3 बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को, गैर-ऋण प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों और वचनबद्ध देयताओं के लिए प्रावधान करवाने के बाद, प्रतिशतता के रूप में दर्शाती है।

तालिका 5.3: गैर -ऋण प्राप्तियों के राजस्व प्राप्तियों तथा अवचनबद्ध प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया देयताएं

अवधि	गैर - ऋण प्राप्ति	राजस्व प्राप्ति	अवचनबद्ध प्राप्ति
1985-2003	439	476	1145
VIII योजना (1992-1997)	446	478	1047
IX योजना (1997-2002)	444	476	1290
2001-02	483	528	1598
2002-03	453	516	1401
सापेक्षित हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2003	1.20	1.13	4.12

**टिप्पणी:-** गैर - ऋण प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) तथा गैर -ऋण पूंजीगत प्राप्ति होती हैं। अवचनबद्ध प्राप्ति राजस्व प्राप्ति (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) घटा वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों की वचनबद्ध देयताएं होती हैं।

5.7 1985-2003 के दौरान राजस्व, गैर -ऋण और अवचनबद्ध प्राप्तियों के प्रति राजकोषीय देयताओं के अनुपात में परिवर्तन दर सकारात्मक थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की दर उपरोक्त तीन पैरामीटरों के वृद्धि की दर से बढ़ गई थी। VIII योजना के दौरान गैर-ऋण प्राप्ति के प्रति राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात 446 से 2001-02 में 483 हो गया था। तथापि, यह 2002-03 में 453 तक गिर गया। 2001-2002 में इन अनुपातों में तीव्र बढ़ोतरी, राजस्व पैरामीटरों की मामूली वृद्धि के कारण थी। 2001-02 में गैर ऋण प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और वचनबद्ध प्राप्ति के लिए क्रमशः 5.36 प्रतिशत, 3.61 प्रतिशत और 0.69 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति राजकोषीय देयताएं 12.97 प्रतिशत तक बढ़ीं। चालू वर्ष के दौरान, इनकी वृद्धि में एक इजाफ़े से कुछ सीमा तक, उनके अनुपातों में सुधार हुआ। 2002-03 में यह सन्तुलन होने के

बावजूद, प्राप्तियाँ पैरामीटरों के प्रति सापेक्ष औसत राजकोषीय देयताओं का स्तर, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, अधिक ऊंचा था।

### ऋण धारिता

**5.8** यदि सरकार दूरदर्शी भविष्य के लिए इन देयताओं के सम्भार का लाभ लेने में सक्षम होती है, और ऋण स.घ.उ. अनुपात विस्फोटक समानुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थ व्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से बढ़ती है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात की स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। ऋण की धारिता की अतः अस्थायी बजट प्रतिबंधों के संबंध में भी जांच की जाती है अन्तः अस्थायी बजट प्रतिवेदनों में धारिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उधारदाताओं से किसी प्रतिकूल आशय या प्रति उत्तर के बिना, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे के पूर्व व्यवहार को अनिश्चित रूप से जारी रखा जा सकता था। इस प्रकार, ऋण की धारिता के प्रश्न पर यह विचारनीय है कि क्या पोंजी वित्तपोषण को ऋण प्रबन्धन योजना के रूप में उपयोग किया गया था। सम्पन्नता या समग्र बजट प्रतिबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक ऋण स्टाक, भविष्य में प्राथमिक आधिक्य के वर्तमान कटौती किये गये मूल्य के बराबर हो। चालू ऋण और आधिक्य का वर्तमान मूल्य में समानता से अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ऋण का अंत में पुनर्भुगतान हो चुका है या कि अन्त में स्थिर रहा। इन सबसे यह परिणाम निकलता है कि ऋण अन्त में ब्याज दर से कम तीव्रता से बढ़ता है। ऋण स्थिरता दो संभव उपायों में से एक में हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रिकरण की अधिकता में भी)। परन्तु यदि वृद्धि दर नाममात्र ब्याज दर से बढ़ती है तो ऋण स्थिरता की सम्भावना के लिए प्राथमिक घाटा मुद्रिकरण से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए।

**5.9** ऋण धारिता का कुछ निम्नलिखित पैरामीटरों के अनुसार जांच की जाती है :

- स.घ.उ. वृद्धि या डोमर अन्तर के संबंध में ब्याज की दर
- अन्तः कालिक बजट प्रतिबंधों की ऋण संतुष्टी के संदर्भ में ब्याज दर और ऋण की वृद्धि
- देयताओं के लिए परिसम्पत्तियों के समर्थन में उधार ली गई निधियों का उपयोग
- मूल और ब्याज के भुगतान के बाद सकल उधार से निधियों की निवल उपलब्धता

**5.10** काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1985-2003 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही है, जैसे कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। यद्यपि, पिछले दो वर्षों में, स.घ.उ. की वृद्धि दर आन्तरिक ऋण पर औसत ब्याज दर से नीचे रही। इसलिए इस अवधि के दौरान राजकोषीय देयताओं में बढ़ोतरी प्राथमिक घाटे का आकार जो संकेत किया गया था, से अधिक थी। या दूसरी ओर वृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति का उलटाव ब्याज दर विस्तार नकारात्मक होने से यह संकेत देता था कि उच्च स.घ.उ. वृद्धि के माध्यम से बढ़ती हुई देयताओं के भाग का कोई समावेशन नहीं था। इससे ऋणधारिता की आवश्यक शर्त का उल्लंघन भी हुआ। आगे एक दीर्घ ऋण प्रलम्बन के साथ, ब्याज दरों का संतुलन/मृदुकरण सरकार के ब्याज भार पर अधिक प्रभाव डालने में विफल रहा।

**तालिका 5.4: राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर**

(प्रतिशत में)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1985-2003	9.74	2.77	8.44	14.42	5.98
VIII योजना (1992-1997)	9.37	3.07	7.91	16.54	8.63
IX योजना (1997-2002)	10.42	2.51	9.06	10.64	1.58
2001-02	10.48	2.26	9.22	9.11	-0.11
2002-03	10.03	2.13	8.90	6.75	-2.15
<b>औसत वार्षिक वृद्धि दर</b>					
1985-2003	2.64	-1.61	2.50		

औसत ब्याज दर = वर्ष\*100 के शुरू में भुगतान किया गया ब्याज/बकाया देयताएं

**5.11** सरकार के लिए, पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखाविधि पद्धति में सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में ली गई स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए ही तुलन पत्र सृजित नहीं की जाती है, तथापि लेखाओं में किए गए व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को भी अधिग्रहण कर उनका प्रावधान किया जाता है। सरकारी निवेश, बकाया कर्जे एवं पेशगियां तथा संचित पूँजीगत व्यय का उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं से इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता के प्रतिनियुक्त उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 5.5: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा परिसंपत्तियों का देयताओं के प्रति अनुपात

( करोड़ रूपयों में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	परिसंपत्तियों का देयताओं से अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता
1985-2003	677872	372626	54.97	14.65	10.77	0.735
VIII योजना (1992-1997)	628608	362555	57.68	12.48	10.31	0.826
IX योजना (1997-2002)	1131064	575689	50.90	11.85	8.28	0.699
2001-02	1399540	665373	47.54	12.97	7.95	0.613
2002-03	1548176	693286	44.77	10.62	4.18	0.394

**5.12** VIII योजना (1992-1997) के दौरान परिसम्पत्तियों के प्रति देयताओं के अनुपात ने 57.68 प्रतिशत की औसत में दीर्घकालीन गिरावट जो 2002-03 में 45 प्रतिशत से कम हो गई थी, को प्रमाणित किया। इस अनुपात में, परिवर्तन की औसत वार्षिक दर, 1985-2003 के दौरान (-) 3.38 प्रतिशत थी। 2002-03 तक संघ सरकार की आधी से अधिक देयताओं की परिसंपत्तियों के समर्थन की क्षमता समाप्त हो गई थी। परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि दर न केवल देयताओं की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम रही बल्कि इन वृद्धि दरों के बीच विस्तार और भी बढ़ रहा था। देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIII योजना (1992-1997) के दौरान 0.826 से 2002-03 में 0.394 तक की गिरावट आई थी। यदि ऋण प्राप्तियों का उपयोग आय सृजन परिसम्पत्तियाँ उत्पन्न करने के लिए किया जाता तो इससे ऋण चुकाने की क्षमताओं में वृद्धि होती।

**5.13** ऋण धारिता का एक अन्य मामला कुल ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण मोचन का अनुपात है। उच्चतर अनुपात यह दर्शाता है कि उस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण मोचन में प्रयुक्त होती थी तथा संसाधनों की निवल संभूति कम थी। तालिका 5.6, 1985-2003 के दौरान, और VIII और IX योजना अवधियों में, हाल के दो वर्षों की सूचना सहित, ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात दर्शाती है।

तालिका 5.6: ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनः अदायगी		ऋण पुनः अदायगी (1) / ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनः अदायगी (2) / ऋण प्राप्तियां
		(मूल (1))	मूल+ ब्याज (2)		
		(करोड़ रूप में) (वार्षिक औसत)			
1985-2003	322847	251554	302088	77.92	93.57
VIII योजना (1992-1997)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IX योजना (1997-2002)	530341	411106	502208	77.52	94.70
2001-02	524176	366629	480802	69.94	91.73
2002-03	623645	485764	610337	77.89	97.87

ऋण प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाए गए वर्षों का औसत है तथा अर्धोपाय अग्रिमों का निवल है।

### रोकड़ प्रबन्धन

**5.14** संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति को क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार को उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस पद्धति द्वारा ऋण प्रबन्धन और रोकड़ प्रबन्धन में भी अधिक दक्षता की मांग की गई थी। जबकि अ.अ. का निरन्तर आधार पर लाभ उठाने की आवश्यकता थी, पद्धति में स्थिरता देखी गई। वर्ष 2002-03 के अंत में कोई बकाया अ.अ. शेष नहीं था। (तालिका 5.7)।

तालिका 5.7: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1997-98	--	17239	15239	2000
1998-99	2000	92257	91215	3042
1999-2000	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य

### अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

**5.15** 31 मार्च 2003, को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता, 67,365 करोड़ रु. थी। अधिकतर अप्रयुक्त बाह्य सहायता अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए थी (विवरण परिशिष्ट-V-बी में)। तालिका 5.8 वर्षवार अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता को दर्शाती है।

तालिका 5.8 अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	राशि
1990-91	50551
1999-2000	56917
2000-01	56920
2001-02	62565
2002-03	67365

**5.16** अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.9 1990-2003 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के

आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायो/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप बचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय हुआ (2002-03 में 67.19 करोड़ रु.)।

तालिका 5.9: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	ए डी बी	फ्रांस	जर्मनी	आई.बी. आर. डी.	स्वीडन	जोड़
1990-91	7.73	1.34	2.63	31.14	19.89	62.73
1995-96	35.37	0.30	2.43	20.12	0.72	58.94
1998-99	22.83	0.21	0.66	23.89	--	47.59
1999-2000	15.71	0.36	0.37	25.33	--	41.77
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	--	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	--	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	--	67.19

स्रोत: बाह्य सहायता विवरणिका 2002-2003.

### संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

5.17 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ निवेश का स्वरूप लम्बी गर्भविधियों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जबकि गारंटियां रूढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीधारी और इसके आह्वान किये जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेन्ट इण्डिया बॉन्ड्स और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में, सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 5.10, 1991-92 से 2002-2003 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.10: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	बकाया गारंटीकृत राशियों के % के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
1991-1992	55063	46744	20908	44.73
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.65
2002-03	174487	90617	51097	56.39

**5.18** 31 मार्च 2003 को बकाया गारंटियाँ, संघ सरकार की सकल राजकोषीय देयताओं के 7 प्रतिशत से कम थी। कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. के 4 प्रतिशत से कम थी तथा संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 30 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती है।

**5.19** संघ सरकार के अनुदेशों के अनुसार, सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आन्तरिक उधारों पर एक प्रतिशत की दर से तथा बाह्य उधारों पर 1.2 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क उद्ग्राह्य किया जाना अपेक्षित है। गारंटी शुल्क, गारंटी की तिथि पर तथा उसके पश्चात् प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को लगाया जाना होता है। जहां गारंटी शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि को न हुआ हो, तो उसे सामान्य से दुगुनी दर पर प्रभारित किया जाना था। तालिका 5.11 यह दर्शाती है कि गारंटी शुल्क की वसूलियां प्रभावी रूप से नहीं की गईं, जिसके परिणामस्वरूप कम वसूलियां हुई हैं।

तालिका 5.11: गारंटी शुल्क

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बकाया गारंटीकृत राशि			देय गारंटी शुल्क			प्राप्त कुल गारंटी शुल्क	कुल बकाया गारंटी के प्रतिशत के रूप में
	आन्तरिक	बाह्य	जोड़	आन्तरिक	बाह्य	जोड़		
1991-1992	25836	20908	46744	258	251	509	2	--
1999-2000	36291	47663	83954	363	572	935	280	0.33
2000-2001	31197	55664	86862	312	668	980	542	0.62
2001-02	39853	57006	96859	399	684	1083	484	0.50
2002-2003	39520	51097	90617	395	613	1008	491	0.55

**5.20** ऋण सेवा में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप भा.स.नि. में से कुल संवितरण का एक भारी समानुपात, निधि पर भारित है अर्थात् इसके लिए संसद द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं होती। 2002-03 के दौरान, 815987 करोड़ रु. के कुल संवितरण में से केवल 38 प्रतिशत पर संसद द्वारा वोट किया गया था। कुल संवितरण का 62 प्रतिशत ऋण सेवा दायित्वों अर्थात् ऋण पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान के प्रति उपयोग किया गया था।

## अध्याय 6

### विनियोग लेखे 2002-03 : प्रस्तावना

#### संवैधानिक प्रावधान

**6.1** लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें, पारित होने के तत्काल पश्चात् सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. में प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुये विनियोग लेखे तैयार करती है।

**6.2** महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) 96 अनुदानों तथा सिविल मंत्रालयों के विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा तथा रेलवे मंत्रालय तथा डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विभिन्न विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जोकि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। 2002-03 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:-

क्रियाकलाप के क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	96
रक्षा सेवायें	5
डाक सेवायें	1
रेलवे	16
<b>जोड़ :</b>	<b>118</b>



**6.3** इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो, अव्ययित प्रावधान जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन तथा कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधानों, सेवा के नये साधनों पर व्यय, अवास्तविक बजट तथा गहन अध्ययन के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। खण्डीय लक्षणों की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया का समग्र रूप से प्रतिपादन करने के उद्देश्य से रेलवे विनियोग को, जहां कहीं आवश्यक है, संदर्भित किया गया है। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा की उपलब्धियां 2004 के प्रतिवेदन सं. 8 में शामिल की गई हैं।

### एक सारांश

**6.4** तालिका 6.1 वर्ष 2002-03 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **परिशिष्ट-VI-क** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

**तालिका 6.1 : 2002-03 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण**

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	अव्ययित प्रावधान (करोड़ रूपयों में)
सिविल	777801	717952	59849
डाक	5619	5518	101
रक्षा सेवाएं	67220	57955	9265
रेलवे	72282	69550	2732
<b>कुल जोड़</b>	<b>922922</b>	<b>850975</b>	<b>71947</b>

**6.5** सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों में 59849.32 करोड़ रु. राशि के समग्र अव्ययित प्रावधान में से 376.10 करोड़ रु., 14 तथा 364 दिवसीय खजाना बिलों के बजट से कम ब्याज का भुगतान करने के कारण थे जिसके कारण नकद की स्थिति अच्छी रही तथा 14 दिवसीय खजाना बिल कम जारी किए गए। इसको छोड़कर 59473.22 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था।

**6.6** सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 199 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान तथा 9 अनुभागों में आधिक्य, डाक के 4 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान, रक्षा सेवाओं के 10 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा रेलवे के 18 अनुभागों

में अव्ययित प्रावधान तथा 11 अनुभागों में आधिक्य थे। परिशिष्ट-VI-ख विवरणों के सार को दर्शाता है।

#### प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

**6.7 परिशिष्ट-VI-ग** में वर्ष 1991-2003 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोजन) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 66 से 77 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

**6.8** सिविल मंत्रालयों के कुल संवितरण 2002-03 के दौरान 717952 करोड़ रु. के थे जो 2001-2002 के दौरान 675524 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 42428 करोड़ रु. अधिक थे। ये 1991-92 में 180575 करोड़ रु. से 2002-03 के दौरान 717952 करोड़ रु. तक 298 प्रतिशत बढ़ गए। प्रभारित संवितरण 122373 करोड़ रु. से 504119 करोड़ रु. तक 312 प्रतिशत बढ़ गए तथा दत्तमत संवितरण 58202 करोड़ रु. से 213833 करोड़ रु. तक 267 प्रतिशत बढ़ गए। 2002-03 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः ब्याज भुगतानों (124573 करोड़ रु. जो 2001-02 के लिए 114173 करोड़ रु. से 9 प्रतिशत अधिक था), ऋण की चुकौती (339677 करोड़ रु.), मुख्यतः ब्लॉक अनुदानों के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य सरकारों को अंतरण, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे, निवल लघु बचत संग्रहण के प्रति राज्यों और सं.रा.क्षे. को कर्जे, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए कर्जे, आयकर के निवल एकत्रण के हिस्से को छोड़कर (37906 करोड़ रु.) तथा अन्य (1963 करोड़ रु.) के कारण था; तथा कुल संवितरणों का 70 प्रतिशत बना।

**6.9** चूँकि प्रभारित संवितरण के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 30 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल - 850975 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण (504188 करोड़ रु.) 59 प्रतिशत बनता था (डाक, रक्षा एवं रेलवे सहित)। यदि वेतन तथा भत्तों पर संवितरण, जोकि अधिकतर अपरिवर्तनीय होता है, को भी इसमें जोड़ा जाए तो भारत की समेकित निधि के कुल संवितरण के लगभग 25 प्रतिशत पर संसद द्वारा प्रभावी मतदान किया जाता है।

#### संवितरण

**6.10 परिशिष्ट-VI घ** में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग मार्च 2003 माह में ही जारी किया गया था। चूँकि मार्च में विभिन्न संगठनों

को जारी की गई निधियां वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उसी वर्ष के दौरान उन्हीं प्रयोजनों जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी हेतु उपयोग किया गया था। मार्च 2003 के महीने में अंधाधुंध व्यय को, सांख्यिकी मंत्रालय (अनुदान सं.74) तथा राजस्व विभाग (अनुदान सं.36) द्वारा, राज्य सरकारों से अनुदानों की संस्वीकृति हेतु प्रस्तावों की देरी से प्राप्ति, कम्प्यूटरों सहित उपकरण के अधिप्रापण के लिये औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब आदि को आरोपित किया गया था। आगे यह भी बताया गया था कि, वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में खर्चा करने के आचरण से बचने के लिए सभी मंडलीय अध्यक्षों को अनुदेश जारी कर दिये गये थे। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति विभाग (अनुदान सं.80) ने अंधाधुंध व्यय को, विशेषज्ञ/वित्तीय समिति की बैठकें नवम्बर/दिसम्बर के बाद आयोजित करने को आरोपित किया।

## अध्याय 7

### विनियोग लेखे 2002-03 : एक विश्लेषण

#### अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि से, आहरित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 71 में यह व्यवस्था है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2002-03 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में 8 अनुदान के 9 खण्ड में 18644659135 (अर्थात् 1864.47 करोड़ रु.), और रेलवे के 10 अनुदानों/विनियोगों के 11 खण्डों के अंतर्गत 324.65 करोड़ रु. का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

#### तालिका 7.1 : अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(रुपयों में)

		सिविल	रेलवे		
दत्तमत	राजस्व	530586613	2294516182		
	पूँजीगत	158892479	915108948		
प्रभारित	राजस्व	17936348236	8347062		
	पूँजीगत	18831807	28542193		
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		8	10		
<b>कुल आधिक्य</b>		18644659135	3246514385	<b>21891173420</b>	

#### तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रुपए	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
<b>सिविल:</b>			
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>			
1.	30- राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	अनुदान व्यय आधिक्य 218875300000 218878908987 3608987	राज्यों को रेलवे सुरक्षा निर्माणकार्यों हेतु सहायता अनुदान देने के कारण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग		रूपए	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण
2.	80- संस्कृति विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	4874600000 5401577626 526977626	50वीं वर्षगांठ मनाने, राष्ट्रीय रंगमंच समारोह आदि आयोजित करने, जी.एस.डी.एस. परिसर के विकास, कई सौ स्मारकों, जो बहुत खराब स्थिति में हैं, को पुनः प्रवेश हेतु आरंभ करने, संरक्षित तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए अधिक निधियों तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण।
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
3.	29- ब्याज भुगतान	विनियोग व्यय आधिक्य	1230941800000 1248870836029 17929036029	400 करोड़ रु. मूल्य की विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन, अधिक संग्रहण तथा निवल लघु बचत के निवेशों के कारण।
4.	45- गृह मंत्रालय	विनियोग व्यय आधिक्य	1000000 1291971 291971	व्यय के गलत लिखे जाने तथा न्यायालयी डिक्री के समर्थन में क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण
5.	47- पुलिस	विनियोग व्यय आधिक्य	20100000 23237504 3137504	एम.ए.सी.टी. मामलों जहाँ न्यायालयों द्वारा भुगतानों के आदेश दिए गए थे, के भुगतान के कारण।
6.	99- चंडीगढ़	विनियोग व्यय आधिक्य	233100000 236982732 3882732	उच्च न्यायालयी स्टाफ को 'आश्वस्त जीविका वृद्धि योजना' के अंतर्गत वेतन तथा बकाया राशियों के भुगतान के कारण।
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
7.	13- दूरसंचार विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	7541600000 7700492479 158892479	उन असमायोजित लेनदेनों जो भारत संचार निगम लिमिटेड की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का समाधान करने के लिए एम एच-5225 को अंतरित करते हुए पिछले कई वर्षों से उचन्त तथा प्रेषण के अंतर्गत हुए थे, के निपटान के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूपए	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>				
8.	23-उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग	विनियोग व्यय आधिक्य	789700000 806743400 17043400	राज्य सरकारों की उधार घटक की पिछले वर्षों की देयताओं के निपटान के कारण।
9.	99- चंडीगढ़	विनियोग व्यय आधिक्य	100000000 101788407 1788407	न्यायालय में भूमि अधिग्रहण मामलों में विभिन्न अधिनिर्णयों की वृद्धि होने पर भुगतान जमा करने के कारण।
<b>रेलवे:</b>				
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
10.	14- निधियों का विनियोग - डी आर एफ डी एफ, पेंशन तथा सी.एफ. विनियोग	अनुदान व्यय आधिक्य	98581646000 100693183616 2111537616	ब्यौरे 2004 के प्रतिवेदन सं. 8 (रेलवे) में दिए गए हैं
11.	15- सामान्य राजस्व में लाभांश	अनुदान व्यय आधिक्य	26965354000 27148332566 182978566	-वही-
<b>राजस्व (प्रभारित)</b>				
12.	3- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	297000 339583 42583	-वही-
13.	4- स्थायी मार्ग तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत एवं अनुस्क्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	6514000 12205681 5691681	-वही-
14.	6- सवारी डिब्बों एवं वैगनों की मरम्मत एवं अनुस्क्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	शून्य 487252 487252	-वही-
15.	7- संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुस्क्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	132000 555077 423077	-वही-
16.	8- प्रचालन खर्चे - रोलिंग स्टॉक तथा उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य	325000 532459 207459	-वही-

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए सहायक कारण	
17.	9- प्रचालन खर्चे - यातायात	विनियोग व्यय आधिक्य	1000000 2480779 1480779	ब्यौरे 2004 के प्रतिवेदन सं.8 (रेलवे) में दिए गए हैं।
18.	11- स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	137000 151231 14231	-वही-
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
19.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन - विशेष रेलवे सुरक्षा निधि	अनुदान व्यय आधिक्य	13953333000 14868441948 915108948	-वही-
<b>पूँजीगत (प्रभारित)</b>				
20.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन पूँजी	विनियोग व्यय आधिक्य	109967000 138509193 28542193	-वही-

7.2 अधिक संवितरणों के विवरण जैसे रेलवे के अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भी नि.म.ले.प. के 2004 के प्रतिवेदन सं. 8 में उल्लेख है।

### भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण व्यय नियन्त्रण

7.3 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबंध क के प्रावधानों के अनुसार लेखा कार्यालयों के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप-शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अंतर्गत बजट आवंटन से अधिक कोई भुगतान न किया गया हो। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जायेगी। वर्ष 2002-03 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से **परिशिष्ट-VII-क**, में सविस्तार वर्णित 21 अनुदानों तथा विनियोगों के 60 मामलों का पता चला, जहां पर मन्त्रालयों के भु.ले.का. ने उपलब्ध प्रावधानों से 7230.62 करोड़ रु.का अधिक भुगतान किया हॉलाकि विभाग ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अंतिम आधिक्य व्यय को उपयुक्त रूप से समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे जो भु.ले.का. द्वारा त्रुटिपूर्ण व्यय नियंत्रण का संकेत देता है। पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति विभाग (अनुदान सं.80) ने अपने उत्तर में बताया कि उचित

विनियोजन आदेश जारी कर दिये गये थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि उल्लिखित अधिक व्यय, मंत्रालय द्वारा संदर्भित विनियोजन आदेशों को शामिल करने के पश्चात के आबंटन के संदर्भ में है।

### 100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

7.4 किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो घटिया बजट बनाने या निष्पादन में कमी या दोनों का संकेत देता है। वर्ष 2002-03 के दौरान 48 अनुदानों के 57 मामलों और एक विनियोग में 100 करोड़ रु से अधिक का अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग, नौपरिवहन, उर्वरक, भारी उद्योग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और विद्युत जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन असफल होना बताया गया था। **परिशिष्ट-VII-ख** अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे इंगित करता है।

7.5 सिविल मंत्रालयों के संबंध में विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों जैसे रक्षा पेंशन, आर्थित मामलों का विभाग, ऋण की चुकौती, प्रत्यक्ष कर, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पुलिस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, सिक्के तथा टिकटें आदि के संबंध में अव्ययित प्रावधान दर्ज किए गए हैं जो न केवल निरन्तर बने हुए हैं बल्कि एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं जो वर्ष 2002-03 के दौरान जारी रहे। ये बड़े अव्ययित प्रावधान इस बात का संकेत करते हैं कि इन मंत्रालयों को उनके बजटीय पूर्वानुमान अथवा/तथा उनके कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता प्रणाली का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

### अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

7.6 'अभ्यर्पण' एक बजटीय उपाय है जिसके माध्यम से खर्च करने वाले विभाग द्वारा उपयोग न किए गये अनुदान अथवा विनियोग वित्त मंत्रालय को सूचित कर दिये जाते हैं तथा किसी अन्य क्षेत्र के लिए फिर से आबंटित करने के लिए परवर्ती द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। सा.वि.नि. 69 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2002-03 के दौरान, 96 अनुदानों/विनियोगों के 199 खण्डों के अंतर्गत 61713.78 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। इसमें से 1864.46 करोड़ रु. सात अनुदानों के नौ खण्डों तथा एक विनियोग के अंतर्गत आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था, परिणामतः



59849.32 करोड़ रु. का निवल प्रावधान अव्ययित रहा। अभ्यर्पित की गई राशि तालिका 7.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

	निवल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	( करोड़ रूपयों में ) अभ्यर्पित न की गई राशि
<b>राजस्व</b>				
दत्तमत	12338.79	11158.74	8952.63	1180.05
प्रभारित	4080.48	5869.43	5855.01	-
कुल : राजस्व	16419.27	17028.17	14807.64	-
<b>पूंजीगत</b>				
दत्तमत	4476.84	4071.21	3160.59	405.63
प्रभारित	38953.21	42146.63	42146.63	-
कुल : पूंजीगत	43430.05	46217.84	45307.22	-
<b>सकल जोड़</b>	<b>59849.32</b>	<b>63246.01</b>	<b>60114.86</b>	<b>-</b>

7.7 दूसरी ओर, कोयला विभाग, खनन विभाग तथा दादरा नगर हवेली के संबंध में अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधान राशि से बढ़ गई। विवरण परिशिष्ट-VII-ग में दिए गए हैं। जबकि 41463.03 करोड़ रु. की अभ्यर्पित राशि का मुख्य भाग अनुदान सं.32-ऋण की चुकौती के अंतर्गत आता था, तथापि, अनुदान सं. 80- संस्कृति विभाग के अंतर्गत 52.70 करोड़ रु. का अधिक व्यय करने के बावजूद 7.86 करोड़ रु. की राशि अभ्यर्पित की गई थी।

### निधियों का पुनर्विनियोग

7.8 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोग अनुदान अथवा विनियोग से संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा अव्ययित प्रावधान विनियोग की इकाई प्रभावित हो सकती है।

7.9 विकासात्मक तथा कल्याण क्षेत्रों जैसे कृषि (347 करोड़ रु.), रक्षा पेंशन (439 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (3662 करोड़ रु.), राज्य और सं.रा.क्षे. सरकारों को स्थानांतरण (4754 करोड़ रु.), खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग (663 करोड़ रु.), स्वास्थ्य विभाग (407 करोड़ रु.), परिवार कल्याण विभाग (323 करोड़ रु.), पुलिस (774 करोड़ रु.), प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग (331 करोड़ रु.), महिला एवं बाल विकास विभाग (302 करोड़ रु.), भारी उद्योग विभाग (530 करोड़ रु.), ग्रामीण विकास विभाग (951 करोड़ रु.), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (790 करोड़ रु.) तथा अन्तरिक्ष विभाग (347 करोड़ रु.) में निधियों का भारी पुनर्विनियोजन मुख्यतः कल्याण गतिविधियों से स्थापना संबंधित गतिविधियों के लिए सहायक अनुदान तथा अन्य गैर विकासात्मक गतिविधियों का भुगतान करने के लिए किया गया क्योंकि इन गतिविधियों के अंतर्गत बजट स्तर पर पर्याप्त निधियां प्राधिकृत नहीं करवाई जा सकी थी।

#### उप-शीर्षों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

7.10 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 18 अनुदानों/विनियोगों के 29 मामलों में, जैसा कि परिशिष्ट-VII-घ में विवरण दिया गया है, कुल 52.27 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः उप शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। रेलवे के अनुदानों के संबंध में इसी प्रकार के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजनों की स्थिति 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन सं. 8 में शामिल की गई है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के लिए कारण, श्रम मंत्रालय (अनुदान सं.56), कृषि अनुसंधान और शिक्षा और स्टाम्प विभाग (अनुदान सं. 27) द्वारा जैसे कि प्रारंभ में विचार की गई योजनागत योजनाओं का कार्यान्वयन न किया जाना और जैसाकि पूर्वानुमान था, कच्चे माल की कीमत आदि में बढ़ोतरी नहीं होने को आरोपित थे।

#### उप शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

7.11 इसी प्रकार, 10 अनुदानों/विनियोगों के 14 उपशीर्षों में, जैसा कि परिशिष्ट-VII-ड., में उल्लेख किया गया है, जहां उनसे पुनर्विनियोजन करने से पूर्व प्रत्येक के अंतर्गत अंतिम संवितरण मूल प्रावधान से अधिक था, कुल 4445.60 करोड़ रु. का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन था। उनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात अन्तिम प्रावधान में आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों से अधिक था। अपने उत्तर में श्रम मंत्रालय (अनुदान सं.56) ने बताया कि आधिक्य व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यह उत्तर दर्शाता है कि इस उप-शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक रूप से व्यय का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था।

## अनियमित पुनर्विनियोजन

**7.12** वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

**7.13** 2002-03 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 72 अनुदानों/विनियोगों के 449 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें एक करोड़ रूपए से अधिक का पुनर्विनियोग किया गया था। इनमें से, 46 अनुदान/विनियोगों के 213 उप-शीर्ष/मामलों में पुनर्विनियोजन बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इस प्रकार इन्हें अनुपूरक अनुदान मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किए जाना अपेक्षित था। केवल 61 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोग संसद को सूचित किए गए थे तथा शेष 152 मामलों में संसद को पुनर्विनियोग की सूचना देने की बजाए वित्तीय वर्ष के अंत में सचिव (व्यय) का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। इनमें से अधिकांश मामलों में मंत्रालयों/विभागों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे संसद को पुनर्विनियोग सूचित करने की स्थिति में क्यों नहीं थे।

## सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोग

**7.14** सभी पुनर्विनियोग जिनका एक उप शीर्ष के अंतर्गत एक करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित पुनर्विनियोजन नियन्त्रण की सीमा के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 7.4 में उल्लेखित मामलों में, एक करोड़ रुपये से अधिक पुनर्विनियोजन के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था।

तालिका 7.4: मामले जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	सं. एवं अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	उपशीर्ष	राशि
1.	23 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	डा. बी. बरुआ कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	मू: 3.72 पुन: 1.28
2.		-वही-	अन्य विविध मदें	मू: 34.99 पुन: 1.39
3.		-वही-	विद्युत विकास सर्वेक्षण एवं जांच	मू: 2.00 पुन: 1.70
4.		4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	उत्तर-पूर्वी परिषद स्टाफ/ उत्तर पूर्वी परिषद अतिथि गृह के लिए आवास	मू: 1.20 पुन: 4.00

मू = मूल प्रावधान

पुन = पुनर्विनियोजन

**वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनर्विनियोग आदेशों को जारी करना**

**7.15** सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के अनुसार, केन्द्र सरकार विभाग वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पूर्व वित्त मंत्रालय को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों/विनियोग में पायी गई सभी पूर्वानुमानित बजट का अभ्यर्पण करेंगे। वित्त मंत्रालय, वर्ष समाप्त होने से पूर्व, इस प्रकार के अभ्यर्पण, उनके द्वारा स्वीकृत करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी जैसा भी मामला हो, देगा। यद्यपि यह पाया गया था कि निम्नलिखित मामलों में, विभागों/मंत्रालयों ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुनर्विनियोजित किया, अतिरिक्त राशि/आहरित राशि शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पहले से ही शामिल की गई थी। इस प्रकार के संशोधन/परिवर्धन वित्तीय आदेश के समाप्त होने के पश्चात पहले से ही किसी आदेश के जारी होने पर पुनर्विनियोजित की गई राशि शक्तियों का वित्तीय प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 10(2) के प्रावधानों के विपरीत है। तालिका 7.5 विवरण दर्शाती है। तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय (अनुदान सं.68) ने बताया कि लेखापरीक्षा के अनुदेशों को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय (अनुदान सं.53) ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों की अवहेलना करते हुए, वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद पुनर्विनियोगों को जारी करने पर आरोपित किया।

तालिका 7.5: वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात पुनर्विनियोजन के मामले

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	सं. और अनुदान का नाम	पुनर्विनियोजन आदेश सं. और दिनांक	राशि
1.	5- रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	सं. 16/12/2002- वित्त दिनांक 26 मई 2003	2.87
2.	23- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग	सं. एफ..2/18/2002- एन.ई.सी. दिनांक 24 नवम्बर 2003	6.93

3.	53- लोक उद्यम विभाग	सं. जी-23011/1/2002- नकद दिनांक 26 जून 2003	0.08
4.	68- भूमि संसाधन विभाग	सं. जी.23011/1/2003- आई.एफ.डी. दिनांक 7 मई 2003	0.01
5.	57- विधि एवं न्याय	सं. 11021/1/2002- न्या(एम) दिनांक 29 अगस्त 2003	9.88

पूंजीगत से राजस्व भाग को 4.58 करोड़ रु. का अप्राधिकृत पुनर्विनियोजन (अनुदान सं. 54 - भारी उद्योग विभाग)

7.16 भारत सरकार वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन के नियम 10 के नीचे दिये गये निर्णय (2) के अनुसार, सरकार को पूंजीगत से राजस्व भाग तथा इसके विपरीत पुनर्विनियोजित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि, यह पाया गया कि भारी उद्योग विभाग ने पूंजीगत भाग के मुख्य शीर्ष-6854 से राजस्व भाग के मुख्य शीर्ष 2852 को 4.58 करोड़ रु. की निधियां पुनर्विनियोजित की थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (जून 2003), विभाग ने जुलाई 2003 में पुनर्विनियोजन वापिस ले लिया और मार्च 2003 के मूल आदेश को संशोधित किया था।

#### अनुपूरक अनुदानों का उपयोग

7.17 1996-97 से आगे सिविल मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VII-च में दी गई हैं। 2002-03 के दौरान प्राप्त किये गए अनुपूरक अनुदानों (सिविल) का विवरण तालिका 7.6 में दिया गया है।

तालिका 7.6: 2002-03 के दौरान सिविल मन्त्रालयों में प्राप्त अनुपूरक अनुदान (करोड़ रूपयों में)

अनुभाग	राशि
<b>दत्तमत्त</b>	
राजस्व	18186.55
पूंजीगत	684.25
कर्जे एवं पेशगियां	4376.38
<b>प्रभारित</b>	
राजस्व	11.68
पूंजीगत	1.48
लोक ऋण	56786.82
कर्जे एवं पेशगियां	1564.05
<b>जोड़</b>	<b>81611.21</b>
अनुदान/विनियोगों की संख्या	79
अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए परन्तु उपयोग नहीं किए गए 20 अनुदान ( 20 मामले )	916.34 करोड़ रु.

### अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.18 20 अनुदानों से संबंधित 20 मामलों में जिनके ब्यौरे तालिका 7.7 में दिए गए हैं, यद्यपि, अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2002-03 के दौरान 916.34 करोड़ रु. प्राप्त किए गए थे, अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि का अनावश्यक शेष रहना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने को इंगित करता था। संघ लोक सेवा आयोग (अनुदान सं. 96) द्वारा अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/बचतों को, परीक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने लिखित परीक्षाओं के लिए आवेदन किया और परीक्षार्थियों की संख्या जो वास्तव में परीक्षा में बैठे, के लिए किये गये प्रावधान को आरोपित किया गया। आयोग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवेदन कर रहे परीक्षार्थियों की संख्या और परीक्षा में वास्तव में बैठे परीक्षार्थियों की संख्या में भिन्नता एक नियमित विशिष्टता है जो पहले के वर्षों में भी घटित हुई थी और इस पर अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विचार किया जाना चाहिए।

तालिका 7.7: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त किए गए अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	6- उर्वरक विभाग	11699.04	442.36	11485.49	655.91
2.	10- वाणिज्य विभाग	1326.50	1.05	1261.85	65.70
3.	11- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	356.78	8.36	354.23	10.91
4.	14- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	452.72	2.02	451.71	3.03
5.	24- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1088.26	17.87	1034.83	71.30
6.	26- आर्थिक मामलों का विभाग	2210.18	150.25	1882.92	477.51
7.	37- प्रत्यक्ष कर	1038.20	73.19	984.48	126.91
8.	39- उपभोक्ता मामले विभाग	59.86	5.17	59.65	5.38
9.	42- स्वास्थ्य विभाग	2502.94	1.19	2401.50	102.63
10.	51- माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	4886.85	18.38	4613.96	291.27
11.	56- श्रम मंत्रालय	983.74	14.26	838.78	159.22
12.	65- योजना मंत्रालय	46.14	2.51	43.18	5.47
13.	71- वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	1035.83	8.01	963.61	80.23
14.	78- कपड़ा मंत्रालय	989.32	130.04	888.93	230.43
15.	82- शहरी विकास विभाग	753.23	15.00	674.75	93.48
16.	88- युवा मामले और खेल विभाग	331.13	12.42	328.08	15.47
17.	101- दमन और दीव	226.65	2.57	225.15	4.07

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त किए गए अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
राजस्व - प्रभारित					
18.	96- संघ लोक सेवा आयोग	47.16	1.34	45.37	3.13
पूंजीगत - दत्तमत					
19.	47- पुलिस	853.39	5.00	835.12	23.27
20.	66- विद्युत मंत्रालय	2572.11	5.35	1089.96	1487.50
योग			916.34		

### व्यय/संशोधित अनुमानों का अवास्तविक अनुमान

7.19 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने तालिका 7.8 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान भी व्यय करने में असमर्थ रहे। कपड़ा मंत्रालय (अनुदान सं.78) द्वारा बचत के लिए, सरकार द्वारा नई योजना का अनुमोदन न करने पर आरोपित किया गया था। दिया गया कारण मान्य नहीं है क्योंकि यह योजना के अनुमोदन, जो बाद में भी प्राप्त नहीं हुआ था, की प्रत्याशा में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने हेतु मंत्रालय की ओर से अनियमित था।

तालिका 7.8: उप शीर्षों को अनुपूरक/अतिरिक्त निधियां दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अनुदान सं. और नाम	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	कारण
1.	25- विदेश मंत्रालय	2061- भारत चीन प्रतिष्ठित व्यक्ति गुप	--	0.20	0.03	0.17	भारत चीन प्रतिष्ठित व्यक्ति गुप की बैठक न करना
2.		2061- भारत रूस प्रतिष्ठित व्यक्ति गुप	--	0.20	-	0.20	भारत-रूस प्रतिष्ठित व्यक्ति गुप की बैठक न करना
3.	26-आर्थिक मामलों का विभाग	3605- जी-20 सम्मेलन के प्रति व्यय	--	2.55	0.95	1.60	जी-20 बैठक के संबंध में व्यय की कम आवश्यकता जिसकी अनुपूरक अनुदान की मांग करते समय सही अनुमान नहीं लगाया जा सका।
4.	28- वित्तीय संस्थानों को भुगतान	2416- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक को अनुदान (कृ.ग्रा.वि.रा.बै.)	100.00	11.55	10.96	100.59	अंतिम बैच में अनुपूरक अनुदान प्राप्त करके ऋण सहायता देने में निर्णय और प्रतिपूर्ति के लिए दावे की कम प्राप्ति

( करोड़ रुपयों में )

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	अनुदान सं. और नाम	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	कारण
5.		2885- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान	--	18.94	-	18.94	निगम से बाह्य सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा प्राप्त न होना जिसका संशोधित अनुमान/अनुपूरक अनुदान के समय पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका।
6.		2885- औद्योगिक विकास बैंक ऑफ इण्डिया को अनुदान	--	4.25	1.31	2.94	बैंक से प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्याशा से कम दावा करना
7.		6885- भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम	--	1.00	-	1.00	बाह्य ऋणों की प्रतिपूर्ति के लिए निगम से दावे प्राप्त न होना जिसका अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था।
8.	37- प्रत्यक्ष कर	2020- प्रभासों का एकत्रीकरण आयकर आयुक्त और उनके कार्यालय	972.49	73.19	910.98	134.70	व्यापक कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन न होना, रिक्त पदों को न भरा जाना, किराए का संशोधन न होना आदि
9.	54- भारी उद्योग विभाग	2852- भारत भारी उद्योग निगम लि. की पी.एस.ई. के वित्त योजना के भाग के रूप में ब्याज का अधित्याग	--	1.34	--	1.34	कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जोसफ एवं क. के विनिवेश को अंतिम रूप न देना
10.		2852- भारत भारी उद्योग निगम लि. को पी.एस.ई. की योजना को पुनः संरचना करने के अनुमोदन के भाग के रूप में ऋण को बट्टे खाते में डालना	--	139.47	-	139.47	-वही-



( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	अनुदान सं. और नाम	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	कारण
11.		2852- त्रिवेणी संरचनात्मक लि. (बी.वाई.एन.एल. की नियंत्रक कंपनी) के लिए पुनरुत्थान पैकेज के भाग के रूप में गारण्टी शुल्क आर्थिक सहायता	--	2.10	-	2.10	उपशीर्ष का देर से आबंटन होने के कारण समाधान नहीं किया जा सका।
12.	78- कपड़ा मंत्रालय	2852- ई.एम.डी. बी.जी. की जब्त की गई राशि के प्रति ए.ई.पी.सी. को सहायता	12.00	5.00	-	17.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन न होना।
13.		3601- राज्य सरकार और उनके अभिकरणों को कपड़ा वस्तुओं पर उत्पादशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के लगाने के संबंध में सेनवेट की प्रतिपूर्ति	--	98.00	-	98.00	सरकार द्वारा योजना का देरी से अनुमोदन।
14.	81- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2225- निदेशन और प्रशासन - अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय आयोग	0.10	5.28	1.72	3.66	रिक्त पदों को भरा न जाना

### “नई सेवा/सेवा के नए साधन” पर व्यय

7.20 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर सरकार ने व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए वित्तीय सीमाएं नियत की हैं जिसके पश्चात् कोई अतिरिक्त व्यय "नई सेवा/सेवा का नया साधन" बन जाता है तथा इसके लिए संसद का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

**7.21** वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय सं.1 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों/निगम जिन्हें एक करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. तक की दी गई पूंजी में 20 लाख रु. से 15 करोड़ रु.से अधिक अतिरिक्त निवेश/ऋण और सांविधिक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को बजट प्रावधान से 10 लाख रु. अथवा 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 2 करोड़ रु., जो भी कम हो, अतिरिक्त सहायता अनुदान, 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' की सीमाओं को आकर्षित करता है जिसके लिए संसद का पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

**7.22** लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि तालिका 7.9 में उल्लिखित निम्नलिखित मामलों में अतिरिक्त निर्मोचन सीमा से बढ़ गया और 'सेवा के नये साधन' के उपबन्धों को आकर्षित करता था। अपने उत्तर में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति विभाग (अनुदान सं.80) ने बताया कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास के कार्यकलापों से सम्बन्धित अक्रियाशील शीर्ष से निधियों के पुनर्विनियोजन के मामलों में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम उन पर लागू नहीं होते। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि सम्बन्धित पुनर्विनियोजन आदेश दर्शाते हैं कि इन्हें उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास क्रियाकलापों के लिए नहीं बनाया गया था।

तालिका 7.9: 'सेवा के नए साधन' पर व्यय दर्शाने वाला विवरण

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	अनुदान की सं. और नाम	उप शीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक जारी किया गया	अधिक जारी किया गया	टिप्पणियां
1.	54- भारी उद्योग विभाग	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को ऋण	शून्य	65.83	65.83	1 डी एफ पी आर के अधिनियम 10 के नीचे, भारत सरकार के निर्णय की मद 1(बी) (ii) के अनुसार 20 लाख रु. से 15 करोड़ रु. से अधिक अतिरिक्त निवेश/ऋण
2.		एंड्रयू यूले एंड क.लि. को ऋण	शून्य	17.20	17.20	
3.		नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि. को ऋण	शून्य	31.30	31.30	
4.		हिन्दुस्तान केबल्स लि. को ऋण	2.50	31.24	28.74	
5.		हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. को ऋण	0.50	56.71	56.21	
6.		माइनिंग और एलाईड मशीनरी कॉरपोरेशन लि. को ऋण	शून्य	1.80	1.80	
7.		पराग टूल्स लि. को ऋण	शून्य	22.00	22.00	

( करोड़ रुपयों में )

क्र. सं.	अनुदान की सं. और नाम	उप शीर्ष/संस्था का नाम	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक जारी किया गया	अधिक जारी किया गया	टिप्पणियां
8.		एच.एम.टी.लि. को ऋण	शून्य	4.10	4.10	
9.		भारत यंत्र निगम लि. को ऋण	शून्य	78.95	78.95	
10.		भारत भारी उद्योग निगम लि. को ऋण	4.99	88.50	83.51	
11.		नेपा को ऋण	शून्य	48.41	48.41	
12.		हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. को ऋण	1.00	37.48	36.48	
13.		राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. को ऋण	शून्य	10.87	10.87	
14.	80- संस्कृति विभाग	गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली	3.00	3.91	0.91	डी.एफ.पी.आर. के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय की मद सं. II( एफ)(ii) के अनुसार बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत की सीमा अथवा 2.00 करोड़ रु. जो भी कम हो से अधिक अतिरिक्त व्यय।
15.		क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	5.25	12.03	6.78	
16.		कलाक्षेत्र, चेन्नई	2.55	3.05	0.50	
17.		बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना करना	1.00	5.65	4.65	

### डाक सेवाएं (अनुदान सं. 12)

**7.23** अनुदान या विनियोग में बचत इंगित करती हैं कि व्यय जिस प्रकार अनुमानित और योजनाबद्ध किए गए थे, उस प्रकार खर्च नहीं किए जा सके। वास्तविक शर्तों में विनियोग लेखाओं में दर्शाई गई बचत, अव्ययित राशि को सूचित करती हैं, जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभाग का खराब बजट बनाने अथवा निष्पादन में कमी के सूचक हैं।

**7.24** केवल एक शीर्ष अर्थात् 'डाक सेवाओं का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण' वाले अनुदान के पूंजीगत भाग के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों, 2000-01 से 2002-03 के

लिए संस्वीकृत प्रावधान, वास्तविक व्यय और अव्ययित प्रावधान, तालिका 7.10 में दिए गए विवरण के अनुसार था।

**तालिका 7.10 पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान**

( करोड़ रूपयों में )

वर्ष	बजट प्रावधान एवं अनुपूरक	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2000-01	98.82	52.80	46.02	47
2001-02	107.38	51.92	55.46	52
2002-03	128.56	41.54	87.02	68

**7.25** भारी अव्ययित प्रावधान पर इसी प्रकार की टिप्पणी, पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अन्तर्गत बचतों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2002 की प्रतिवेदन संख्या 6 में की गई हैं। मंत्रालय ने, अपने कार्यवाही टिप्पणी में बताया (जुलाई 2002) कि अव्ययित प्रावधान, परियोजना विनिर्दिष्टताओं की पहचान करने में विलम्ब, अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के लिए लिया गया लम्बा समय और अपर्याप्त अनुश्रवण प्रणाली के कारण था। मंत्रालय ने आगे बताया कि प्रणाली का अनुश्रवण और योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों पर नियंत्रण को मजबूत किया गया था और प्रभाग के मुखिया ने प्रत्येक तिमाही में एक बार परियोजनाओं की प्रगति का पुनरीक्षण किया था। इन उपायों के बावजूद, उसी गतिविधि के अन्तर्गत बचतें, 2000-01 के दौरान 46.02 करोड़ रु. से 2002-03 के दौरान 87.02 करोड़ रु. तक प्रबल रूप से बढ़ गई है।

**रक्षा सेवाएं (अनुदान सं. 17, 18, 19 और 21)**

**7.26** रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा, दत्तमत भाग के चार अनुदानों के अन्तर्गत 2000-03 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जासाकि तालिका 7.11 के विवरण में दिया गया है:

**तालिका 7.11: निरन्तर अव्ययित प्रावधान**

( करोड़ रूपयों में )

अनुदान	अव्ययित प्रावधान		
	2000-01	2001-02	2002-03
रक्षा सेवाएं - थल सेना	2488.91	2908.45	1088.58
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	355.24	681.15	228.13
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	636.02	853.69	863.72
रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5534.13	3749.95	6448.00

**7.27** वायु सेना के अनुदानों में निरन्तर अधिक अव्ययित प्रावधान वर्षों तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को भी प्रतिबिंबित करते हैं।

## अध्याय 8

### चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

#### अनुदान सं. 42- स्वास्थ्य विभाग

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

#### प्रस्तावना

**8.1** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में तीन विभाग अर्थात् स्वास्थ्य विभाग, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी विभाग और परिवार कल्याण विभाग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों/गतिविधियों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और रोग नियंत्रण, आरोग्य का स्वास्थ्य कार्यक्रमों और परिवार कल्याण में अत्यावश्यक भूमिका निभाता है।

**8.2** इस अनुदान में स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय, इसके अनुलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल, केन्द्रीय अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों, रोग निवारण और नियंत्रण, खाद्य अपमिश्रण और ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम सहित, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों से सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थानों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

#### समग्र स्थिति

**8.3** पिछले तीन वर्षों के लिए, अनुदान के दत्तमत भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति तालिका 8.1 में दी गई हैं

तालिका 8.1 समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2000-01	2224.27	349.77	2119.86	192.16	104.41	157.61
2001-02	2424.23	383.40	2332.94	267.91	91.29	115.49
2002-03	2504.13	282.20	2401.50	224.87	102.63	57.33

**8.4** पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के राजस्व और पूंजीगत दोनों भागों के अन्तर्गत, निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। जिनका नि.म.ले.प. के 1996 के बाद के

प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया था। तथापि, निरन्तर, भारी अव्ययित प्रावधानों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। दूसरी ओर, कुछ उप शीर्षों के अन्तर्गत, प्रावधान से पर्याप्त अधिक व्यय था। 2002-03 के दौरान अव्ययित प्रावधानों और अधिक व्यय के मामले, परिशिष्ट-VIII-क और ख में दिए गए हैं।

### अन्धाधुन्ध व्यय

**8.5** अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेषरूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में वित्तीय नियमितता के उल्लंघन के रूप में माना जाता है और इससे बचना चाहिए। इसके विपरीत मार्च, 2003 के महीने में भारी संवितरण किए गए थे। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं

**तालिका 8.2 : अन्धाधुन्ध व्यय**

वर्ष	मुख्य शीर्ष	(करोड़ रूपयों में) संवितरण	
		वर्ष के दौरान	मार्च के दौरान
2000-01	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	321.40	119.83
	3602- सं.रा. सरकारों को सहायता अनुदान	3.85	2.81
2001-02	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	357.66	122.42
	3602- सं.रा. सरकारों को सहायता अनुदान	2.78	2.31
	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	267.91	63.03
2002-03	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	279.16	149.19
	3602- सं. रा. सरकारों को सहायता अनुदान	1.87	0.95
	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	224.87	72.54

### अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

**8.6** सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में यह व्यवस्था है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर, उसको वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, सरकार को अभ्यर्पित किया जाना होता है। अव्ययित प्रावधान को संभावित भावी आधिक्य हेतु रिजर्व में भी नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नियमावली के प्रतिकूल, मंत्रालय ने प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथियों को अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किए। 2000-03 के दौरान, अभ्यर्पित राशियों के विवरण, तालिका 8.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 8.3 : अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2000-01	104.41	157.61	74.56 (71.4%)	105.75 (67.1%)	30.3.2001
2001-02	91.29	115.49	78.74 (86.2%)	89.75 (77.7%)	28.3.2002
2002-03	102.63	57.33	80.34 (78.2%)	26.76 (46.7%)	31.3.2003

### विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

**8.7** सा.भ.नि. के नियम 66 के नीचे टिप्पणी 3 के अनुबन्ध क के प्रावधानों के अनुसार लेखा अधिकारी के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग यह देखना है कि किसी उप शीर्ष अथवा विनियोग की प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक कोई भुगतान न किया गया हो। उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.), अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां, पुनर्विनियोग आदि के आदेश जारी करके ही प्रदान कर दी जाएगी। वर्ष 2002-03 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि मंत्रालय के भु.ले.का. ने निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध प्रावधानों से अधिक के भुगतान किए, तथापि, विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अन्तिम आधिक्य व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। इस आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया से बचने के परिणामस्वरूप खराब व्यय नियंत्रण हुआ। इसी प्रकार की कमियां, भारत के नि.एवं म.ले.प. के 2003 के प्रतिवेदन संख्या 1 में उल्लेखित की गई थीं परन्तु इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई उपचारी उपाय नहीं किए गए थे।

तालिका 8.4 : विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अन्तिम अधिक व्यय
		मूल/पुनर्विनियोजन	उपलब्ध		
2002-03	3601.04.263.03 राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य घटक)	मू. 15.56 पुन.(+) 64.11	79.67	86.00	6.33
	3601.04.263.62 राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी.)	मू. 104.79 पुन.(-) 49.15	55.64	63.11	7.47

### निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.8 2002-03 के दौरान निम्नलिखित उप शीर्षों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान, जिसमें पुनर्विनियोग द्वारा निधियों को स्थानान्तरित किया गया था पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः उप शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। इसी प्रकार की कमियां वर्ष 2002 और 2003 के लिए भारत के नि. एवं म.ले.प. की प्रतिवेदन सं. 1 में उल्लेखित की गई थी परन्तु मंत्रालय द्वारा कोई शोधक उपाय नहीं किए गए थे।

### तालिका 8.5 : निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष एवं उप शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
<b>2002-2003</b>			
2210.01.110.19- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली मू. 96.67 पुन. 4.41	101.08	96.11	4.97
2210.06.107.01- केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली मू. 15.70 पुन. 1.06	16.76	14.89	1.87

### निरन्तर बचत/आधिव्य और अवास्तविक बजट बनाना

8.9 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 63 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को अपने अनुमान बनाते समय, पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रकृति और अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। 2002-03 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधानों का निरन्तर कम उपयोग हुआ था जबकि अन्य शीर्षों के अन्तर्गत, इन वर्षों के दौरान निरन्तर अधिक व्यय था, जो कि अवास्तविक बजट बनाना, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन और लोक स्वास्थ्य से सम्बन्धित योजनाओं के



लागू करने में असावधानी को दर्शाता था। कुछ उप शीर्षों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

**तालिका 8.6 : पिछले तीन वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधान**

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	अव्ययित प्रावधानों के लिए मुख्य कारण
1.	2210.05.105.26- कैंसर अनुसंधान	2.35	6.17	16.11	व्यय की धीमी गति, कम आवेदनों की कम प्राप्ति, रेडियोथेरेपी पर कम आवेदनों (2001-02), व्यय वित्त समिति द्वारा बड़े हुए प्रावधानों का अनुमोदन न किया जाना (2002-03)
2.	2210.05.105.28- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	10.18	16.80	22.69	व्यय की धीमी गति (2000-01) डेंटल कॉलेज बिल्डिंग के लिए निर्माण योजना का देर/अन्तिम रूप न दिया जाना (2001-02), संस्थान द्वारा सृजित अतिरिक्त प्राप्तियों का समायोजन
3.	2210.06.001.02- एयरपोर्ट संस्था सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना	3.16	3.29	3.20	खाली पदों का न भरा जाना, औषधालयों के किराये का संशोधन न किया जाना मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण पर कम व्यय और मशीनरी और उपकरणों की कम खरीद
4.	2210.06.003.11- नर्सिंग सेवाओं का विकास	1.20	9.50	8.00	निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, नर्सिंग स्कूलों के लिए राज्य सरकारों से आवेदनों की कम प्राप्ति (2001-02), नर्सिंग स्कूलों के बढ़ाने के लिए एम.एस.सी.(नर्सिंग) को प्रारम्भ करने और सीटों को बढ़ाने के लिए अनुमोदन न प्राप्त होना
5.	2210.06.101.07- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान	3.67	8.17	10.95	व्यय की धीमी गति, खाली पदों को न भरा जाना, मंहगाई भत्ता और रोगी देखभाल भत्ता (2000-02), नई योजनाओं का अनुमोदन न होना और रोगों के उन्मूलन के लिए जिलों से कम मांगें।
6.	2210.06.101.08- राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	22.57	16.34	12.51	गतिविधियों के लागू करने में धीमी प्रगति कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति न होना (2000-01), प्रशिक्षण प्रदान करने पर कम व्यय, रिक्त पदों का न भरा जाना (2001-02), जिला मलेरिया नियंत्रण समितियों और सिविल निर्माण को प्रारम्भ न करने और एम आई एस गतिविधियों के ज़रिये कुछ व्यय के कारण संघ राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता (2002-03)।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	अव्ययित प्रावधानों के लिए मुख्य कारण
7.	2210.06.101.34- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	1.43	-	26.91	व्यय की धीमी गति (2000-01), योजनाओं का अनुमोदन न होना (2002-03)
8.	2210.06.101.39- राष्ट्रीय व्यवसाय रोग नियंत्रण और उपचार कार्यक्रम	1.17	3.38	4.00	कम व्यय (2000-01) विभिन्न परियोजनाओं की धीमी प्रगति (2001-02) और योजनाओं को आई सी एम आर के साथ विलय (2002-03)
9.	2210.06.102.05- खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम एवं प्रशासन	-	3.06	6.21	रिक्त पदों का न भरा जाना (2001-02) और खाद्य सुरक्षा पर क्षमता भवन परियोजना का अनुमोदन न करना (2002-03)
10.	2210.06.104.02- केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन	-	2.34	6.23	रिक्त पदों को न भरा जाना, सं.अ.स्तर पर प्रावधानों की कमी (2001-02) और ड्रग्स की गुणवत्ता नियंत्रण पर भवन क्षमता परियोजना का अनुमोदन न करना (2002-03)
11.	2210.06.107.03- राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान	18.68	19.30	5.60	बायो लेब और एनीमल हाऊस के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति (2002-03)
12.	2210.06.112.05- अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता	3.59	3.93	3.46	रिक्त स्थानों का न भरा जाना (2000-02) और योजनाओं का अनुमोदन न होना (2002-03)
13.	2210.06.113.01- केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	-	1.29	1.30	प्रकाशन और प्रचार पर कम व्यय
14.	3601.04.263.05- काला आज़ार नियंत्रण कार्यक्रम	-	4.33	16.08	जिन्स अनुदान की आवश्यकता में कमी (2001-02) और राज्य सरकारों द्वारा सामग्री न उठाना (2002-03)
15.	3601.04.263.08- राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाहर से सहायता प्राप्त घटक)	29.40	10.37	13.10	निधिकरण की पद्धति में परिवर्तन (2000-01) सं.अ.स्तर पर प्रावधानों में कमी, (2001-02) और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से कम ड्रग्स की प्राप्ति (2002-03)
16.	3601.04.263.09- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य घटक)	12.64	-	3.86	निधिकरण पद्धति में परिवर्तन, उपयोग प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने के कारण राज्य सरकारों को कम अनुदान जारी करना (2000-01) और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग, नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक्सरे फिल्म रोलस की कम मांग (2002-03)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	अव्ययित प्रावधानों के लिए मुख्य कारण
17.	3601.04.263.62 राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (बाहर से सहायता प्राप्त घटक)	--	4.49	41.68	संहिता औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण कुछ मदों की अधिप्राप्ति में विलम्ब (2000-02) सामग्री और उपकरणों की अधिप्राप्ति में विलम्ब, सं.अ. स्तर पर प्रावधानों में कमी (2001-02) और राज्य सरकारों द्वारा रोकड़/जिन्स अनुदानों की कम मांग
18.	4210.01.104.04- मेडिकल स्टोर डिपो	3.80	4.16	6.23	रिक्त पदों का न भरा जाना के.लो.नि.वि. द्वारा सिविल निर्माण कार्य का निष्पादन न करना और वेतन से इतर में मितव्ययता
19.	4210.01.800.02- भारत एवं विदेशों में सामग्री की खरीद	29.29	18.49	34.47	मेडिकल स्टोर/के.स.स्वा.यो. की शब्दावली को अन्तिम रूप देने में विलम्ब, मांगकर्ताओं से पर्याप्त मांग पत्र का प्राप्त न होना (2000-01), मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा औषधियों की कम अधिप्राप्ति (2001-02) और जातीय व स्वामित्व ड्रग्स की दरों का अनुमोदन न होना और अस्पताल सेवाएं परामर्श निगम (भारत) लि. द्वारा औषधियों की कम अधिप्राप्ति (2002-03)
20.	4210.04.101.09- राष्ट्रीय क्ष.रो. नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपकरण की भारी खरीद	38.43	29.48	5.25	जिन्स सहायता के लिए मेल खाते कार्यक्रमों का उपयोगी न होना और एम आई एस, एम इ, काम लि. को बिलो का भुगतान न करना (2000-01), राज्य सरकारों द्वारा जिन्स सहायता के लिए कम मांग, क्ष.रो.रोधी ड्रग्स की अधिप्राप्ति में विलम्ब (2001-02) और कम ड्रग्स की अधिप्राप्ति (2002-03)।
21.	4210.04.101.10- राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	85.34		8.63	जिन्स सहायता के लिए मेल खाते प्रावधान का उपयोग न करना और कुछ मदों की अधिप्राप्ति में विलम्ब (2000-01) काला आजार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा डी डी टी को न उठाना और सिंथेटिक पिरेथ्राईड और मेडिकल मोसकिटो नेट्स की कीमतों में कमी (2002-03)

8.10 दूसरी ओर इन वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत निरन्तर बहुत आधिक्य व्यय हुआ था:

तालिका 8.7 : निरन्तर आधिक्य व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	उप शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	अधिक्य के कारण
1.	2210.01.103.24 – औषधालयों/अस्पतालों को स्थापित करना	23.09	32.49	75.52	स्थानीय खरीद, निजी अधिकृत अस्पतालों और बकाया देयताओं के भुगतान और के.स.स्व.यो. में नये निजी अस्पतालों को अधिकृत करने पर व्यय में बढ़ोतरी
2.	2210.01.110.20- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	-	1.65	4.03	छुट्टी के बदले नकद भुगतान, वेतनवृद्धि, मंहगाई भत्ते का बकाया और दवाईयों की कीमतों में बढ़ोतरी का भुगतान आदि
3.	2210.05.105.24- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को अनुदान	2.12	3.33	22.50	स्कीमों को परिषद में विलय करना
4.	2210.06.101.30- राष्ट्रीय क्षयरोग निवारण कार्यक्रम	26.28	-	3.62	जानकारी के लिए जन संचार एजेन्सी को किराए पर लेना, शिक्षा और संचार गतिविधियों और आवास अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहायता के सामान की बढ़ोतरी के लिए निधियों की आवश्यकता
5.	2210.06.101.33- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	35.51	-	20.86	स्थापना, एड्स विरोधी गतिविधियों पर और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों द्वारा व्यय में बढ़ोतरी
6.	3601.04.263.03- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य घटक)	-	64.34	70.44	राज्य सरकारों को अधिक सामान की सहायता, डी.डी.टी. की कई राज्यों में अतिरिक्त मात्रा पहुँचाना और डी डी टी की पूर्ति के मूल्य की पुरानी देयताओं का भुगतान

## त्रुटिपूर्ण आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

**8.11** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इस विंग में केवल आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के द्वारा जनित लेन देन के कार्यों का लेखा परीक्षण किया गया था। बजट निरूपण, विनियोग और निधियों के पुनर्विनियोजन इत्यादि की इसके द्वारा जाँच नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इस विषय में अधिक संख्या में निरन्तर अनियमिततायें थी।

**8.12** यह भी देखा गया कि मंत्रालय की आन्तरिक लेखापरीक्षा जैसाकि निर्धारित है प्रत्येक वर्ष में नहीं की जा रही थी। मंत्रालय की पिछली लेखापरीक्षा जुलाई 2001 में 1999-2000 की अवधि के लिये की गई थी और उसकी रिपोर्ट दस महीनों के विलम्ब के पश्चात् मई 2002 में मंत्रालय को जारी की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को मुख्य लेखा नियंत्रकों के माध्यम से वित्तीय सलाहकार द्वारा अनुमोदित की जानी थी और मंत्रालय/अनुभाग के सचिव को प्रस्तुत की जानी थीं। तथापि, रिपोर्टें उप लेखा नियंत्रक के स्तर पर अनुमोदित हुईं और जारी की गई थीं। निरीक्षण रिपोर्टों के नियंत्रण रजिस्टर को निर्धारित फार्म आई ए एम-॥ में अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। परिणामी आवश्यक सूचनायें जैसे लेखापरीक्षा की अवधि और समाप्त करने की तिथि, प्राप्ति और निरीक्षण रिपोर्ट को जारी करने की तारीख इत्यादि को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। 2000-03 के वर्षों की 29 निरीक्षण रिपोर्ट की नमूना जाँच में देखा गया कि 28 मामलों में विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट को जारी करने में 1 महीने से 12 महीनों तक की अवधि के बीच का विलम्ब हुआ।

### अनुदान संख्या 52- महिला एवं बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

#### प्रस्तावना

**8.13** यह विभाग, महिला एवं बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम बनाता है, कानून बनाता है तथा सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठनों के प्रयासों का मार्गदर्शन एवं समन्वय करता है।

### 8.14 समग्र स्थिति

2000-2003 के वर्षों के दौरान अनुदान के दत्तमत भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और अव्ययित प्रावधान नीचे दी गई थी।

तालिका 8.8 : समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक व्यय		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2000-01	1511.81	0.20	1384.07	--	127.74	0.20
2001-02	1704.61	0.40	1691.02	--	13.59	0.40
2002-03	2253.65	--	2134.61	--	119.04	--

**8.15** वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 की अवधि के अन्त में मंत्रालय के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक का अव्ययित प्रावधान था। बालवाड़ी पोषण प्रोग्राम, दिवस देखभाल केन्द्र/शिशु सदन, ए.ब.वि.से. के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ, बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम, समाज आर्थिक कार्यक्रम, एकीकृत महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र और महिला समृद्धि योजना इत्यादि में अधिक अव्ययित प्रावधान के बारे में पहले भी भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1999 की संख्या 1 के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया था। लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई कार्यवाही टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया कि गैर अनुमोदन/कई योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब, विभिन्न योजनाओं की वास्तविक आवश्यकता का पूर्वानुमान न होना, कार्यान्वयन एजेन्सियों/राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता और कार्यान्वयन एजेन्सियों से अभिलेखों/सूचनाओं की अप्राप्ति इत्यादि के कारण विभिन्न स्कीमों में अव्ययित प्रावधान था। मंत्रालय द्वारा लिए गये उपचारी उपायों का स्पष्टीकरण करते हुये बताया कि समय-समय पर विभिन्न स्तरों में व्यय की प्रगति पर अनुश्रवण किया जा रहा था और ध्यान दिया जा रहा था कि जिन स्कीमों पर निधि की आवश्यकता की माँग अधिक थी, उन्हें अधिक निधि का आवंटन किया जा रहा था। यह तथ्य कि 2002-03 के दौरान भी इसी प्रकार के कारण निधि के बहुत अधिक हिस्से का उपयोग नहीं करने के लिए आरोपित हुए हैं, दर्शाता है कि मंत्रालय द्वारा इन उपशीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत बजट प्रावधान वास्तव में नहीं बनाया गया था जिसके कारण अव्ययित प्रावधानों की अत्यधिक राशि थी।

### अव्ययित प्रावधान एवं प्रावधान से आधिक्य

**8.16** अनुदान का सकल अव्ययित प्रावधान अन्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक संवितरण द्वारा प्रतिसंतुलित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 2000-03 के दौरान निवल अव्ययित प्रावधान रहे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:-

**तालिका 8.9 : अव्ययित राशि और आधिक्य के कारण निवल अव्ययित प्रावधान**  
(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सकल अव्ययित प्रावधान		आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित अव्ययित प्रावधान		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2000-01	248.64	0.20	120.90	--	127.74	0.20
2001-02	69.52	0.40	55.93	--	13.59	0.40
2002-03	420.65	--	301.61	--	119.04	--

**8.17** कुछ उप शीर्षों के अंतर्गत अव्ययित प्रावधान एक करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गए और 2000-2003 वर्षों के दौरान संस्वीकृत प्रावधान के 8 से 99 प्रतिशत बनता था जो **परिशिष्ट-VIII-ग** में दिखाया गया है।

### संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहने से प्रभावित योजनाएं

**8.18** **परिशिष्ट-VIII-घ** में ब्यौरेवार दी गई योजनाओं तथा गतिविधियों के अन्तर्गत समस्त बजट प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण, राष्ट्रीय बाल आयोग, राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण पार्श्वकों का विकास तथा पोषण निगरानी प्रणाली, सूचना शिक्षा एवं संचार तथा महिला अधिकारिता कार्यक्रम का पुनःस्थापन जैसी परियोजनाओं/प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं किया जाना था। यह योजनाओं के पूरा होने के चरणों, सक्षम अधिकारी द्वारा संस्वीकृति, योजनाओं के कार्यान्वयन आदि घटकों पर विचार किये बिना प्रावधानों के बनाये जाने का संकेत देता था। स्पष्टतः प्रावधान, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये गये अनुदेशों के उल्लंघन में, बजट से पहले परियोजनाओं तथा योजनाओं की पर्याप्त पूर्व बजट संवीक्षा किये बिना, बनाये गये थे।

### निरन्तर अव्ययित प्रावधान से प्रभावित योजना

#### स्वयं सिद्धा

**8.19** इन्दिरा महिला योजना, स्कीम का पुनः नाम “स्वयं सिद्धा” एक केन्द्रोय प्रायोजित प्रोग्राम है जिसका कार्यान्वयन छह वर्षों में देश के राज्य/संघ राज्यशासित सरकार और स्वेच्छित संगठनों द्वारा किया जाना होता है। 116.30 करोड़ रु. के कुल

परिव्यय के साथ योजना के मूल उद्देश्य, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण पर जोर देकर महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुपों की रचना द्वारा महिलाओं की शक्ति को बढ़ावा देना तथा माइक्रो क्रेडिट को सुलभ करना एवं माइक्रोक्रेडिट उद्यम को प्रोत्साहन देना था। 2002-03 के दौरान, कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष, 18.50 करोड़ रु. के मूल प्रावधान के प्रति 11.64 करोड़ रु. अव्ययित रहे। दो वर्षों में योजना के लक्षित परिव्यय के केवल 10 प्रतिशत का उपयोग, कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है। अतः योजना के लक्ष्य और उद्देश्यों की समय पर उपलब्धि संदेहास्पद थी।

### विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत शिशु विकास सेवायें (ए.शि.वि.से.)- प्रशिक्षण कार्यक्रम

**8.20** यह योजना प्रशिक्षण, जो ए.शि.वि.से. का एक महत्वपूर्ण भाग है, पर अधिक बल देते हुए अप्रैल 1999 में आरंभ की गई थी। 2000-03 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि का अनुमान अवास्तविक था जिसके परिणामस्वरूप अव्ययित प्रावधान के साथ-साथ अधिक व्यय हुआ।

तालिका 8.10 : अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान/आधिक्य
2000-01	31.00	19.16	(-) 11.84
2001-02	40.00	52.82	(+) 12.82
2002-03	62.00	59.10	(-) 2.90

### अल्पावधि गृह

**8.21** यह योजना, सामाजिक, नैतिक और पारिवारिक खतरे, मानसिक तनाव और शोषण इत्यादि का सामना कर रही महिलायें और लड़कियों के संरक्षण और पुनर्वास करने के लिए सामाजिक समायोजन की सुविधा के लिए चिकित्सा देखभाल, मनोरोग और व्यावसायिक चिकित्सा, शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों जैसी सेवाओं के साथ अल्पावधि गृह प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2000-03 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक संवितरण की संवीक्षा से निरन्तर अव्ययित व्यय का पता चला जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.11 : अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2000-01	14.51	9.77	4.74
2001-02	12.84	6.03	6.81
2002-03	16.34	13.26	3.08



## कामकाजी महिला छात्रावास

**8.22** योजना का उद्देश्य उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों को कामकाजी महिला के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए सहायता के द्वारा कामकाजी महिलाओं को उचित और किफायती आवास मुहैया कराना है। 2001-03 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक संवितरण के विश्लेषण से पता चला कि आबंटन का अधिकांश भाग अव्ययित रहा। तालिका 8.12 विवरण को दर्शाती है।

**तालिका 8.12 : अव्ययित प्रावधान**

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान/आधिक्य व्यय
2000-01	7.02	7.42	(+) 0.40
2001-02	9.00	4.96	(-) 4.04
2002-03	13.50	6.00	(-) 7.50

## अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

**8.23** अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर मंत्रालय/विभागों को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध राशि का अन्य सेक्टरों में प्रयोग किया जा सके। तथापि, मंत्रालय द्वारा 2000-03 के दौरान अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को आंशिक रूप से अभ्यर्पित किया गया था जिसको नीचे दर्शाया गया है:-

**तालिका 8.13 : 2000-03 के दौरान निधियों का अभ्यर्पण**

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2000-01	127.74	0.20	126.28	0.20	31.3.2001
2001-02	13.59	0.40	12.03	0.40	31.3.2002
2002-03	119.04	--	117.06	--	31.3.2003

## मार्च के दौरान अन्धाधुन्ध संवितरण

**8.24** विशेष रूप से मार्च में अन्धाधुन्ध संवितरण से बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में मार्च के दौरान अधिक संवितरण किया गया

था जैसाकि नीचे दर्शाया गया था:-

**तालिका 8.14 : अन्धाधुन्ध संवितरण के मामले**

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण	
		वर्ष के दौरान	मार्च के दौरान
2000-01	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	145.91	96.50
	2236- पोषण	7.62	1.60
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1214.00	319.03
	3602- संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान	10.20	4.98
2001-02	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	191.48	85.31
	3602- संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान	9.86	2.98
2002-03	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	218.27	81.85
	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1889.59	444.92
	3602- संघ राज्य क्षेत्र को सहायता अनुदान	12.59	4.03

### आन्तरिक लेखापरीक्षा

**8.25** मानव संसाधन मंत्रालय का आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग (आ.ले.वि.) मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रकों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और मंत्रालय की इकाइयों के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, संस्कृति विभाग, युवा मामले एवं खेल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और इन विभाग के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकाय के आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2003 तक आ.ले.वि. के अधिकार क्षेत्र में 226 यूनिट थे जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के 51 यूनिट शामिल थे। 2000-03 के दौरान आ.ले.वि. द्वारा केवल 78 यूनिटों का निरीक्षण किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका 8.15 : आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य**

वर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	निरीक्षण के लिए देय इकाइयां	वास्तविक निरीक्षित इकाइयां	निरीक्षित इकाइयों की प्रतिशतता
2000-2001	226(51)	148(उ.न.)	36(1)	24
2001-2002	226(51)	162(उ.न.)	23(5)	14
2002-2003	226(51)	148(उ.न.)	19(1)	12
<b>जोड़</b>			<b>78(7)</b>	<b>17</b>

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित हैं  
उ.न. - उपलब्ध नहीं

**8.26** महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित सात आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मंत्रालय के कार्य के आवश्यक पहलू जैसे बजट तैयार करना, व्यय पर नियंत्रण, आधिक्य व्यय, अव्ययित प्रावधान, योजनाओं का अनुश्रवण और कार्यान्वयन इत्यादि के बारे में आ.ले.वि. द्वारा टिप्पणियां नहीं की गई थी जिससे समय पर ऐसे निर्णायक पहलुओं पर चेतावनी संकेत दिये जा सकते थे।

### अनुदान संख्या 86 - जल संसाधन मंत्रालय

#### प्रस्तावना

**8.27** जल संसाधन मंत्रालय देश के जल संसाधन के संरक्षण, प्रबन्धन, विकास और नियतन के लिए नीति, मार्गदर्शी सिद्धान्त और कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तरदायी है।

#### 8.28 समग्र स्थिति

तालिका 8.16 में पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और अव्ययित राशि की समग्र स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 8.16 : समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
<b>2000-01</b>						
दत्तमत	635.27	51.25	554.61	44.39	80.66	6.86
प्रभारित	00.02	34.00	--	3.04	00.02	30.96
<b>2001-02</b>						
दत्तमत	702.09	59.15	626.56	57.22	75.53	1.93
प्रभारित	00.02	4.00	--	2.95	00.02	1.05
<b>2002-03</b>						
दत्तमत	745.47	64.71	570.68	63.75	174.79	0.96
प्रभारित	00.02	3.50	--	2.23	00.02	1.27

#### बजट प्रावधान से आधिक्य और निवल अव्ययित प्रावधान

**8.29** पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य शीर्षों के अंतर्गत अव्ययित प्रावधान अधिक संवितरण द्वारा आंशिक प्रतिसंतुलित किया गया था। राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत निवल अव्ययित प्रावधान 75.53 करोड़ रु. से 174.79 करोड़ रु. के बीच रहे और पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत 0.96 करोड़ रु. से 6.86 करोड़ रु. के बीच रहे।

तालिका 8.17 : अव्ययित प्रावधान और आधिक्य व्यय (दत्तमत व्यय के अंतर्गत)  
(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	सकल अव्ययित प्रावधान		आधिक्य संवितरण द्वारा प्रतिसंतुलित अव्ययित प्रावधान		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2000-01	100.24	8.45	19.58	1.59	80.66	6.86
2001-02	125.02	7.20	49.49	5.27	75.53	1.93
2002-03	207.10	3.30	32.31	2.34	174.79	0.96

### भारी अव्ययित प्रावधान से प्रभावित योजनाएं/उपशीर्ष

**8.30** 2000-03 वर्षों के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि मंत्रालय के पास वर्ष के अन्त में कुछ उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक अव्ययित प्रावधानों और कुछ उप-शीर्षों के अंतर्गत आधिक्य व्यय थे। (परिशिष्ट-VIII-ड.)

### निरन्तर अव्ययित प्रावधान

**8.31** तालिका में दिखाए गये अनुदान में निरन्तर अव्ययित प्रावधान घाटे का बजट बनाने या निष्पादन में कमी का संकेतक है।

तालिका 8.18 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप शीर्ष	अव्ययित प्रावधान के दौरान			मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए बताये गए कारण
		2000-01	2001-02	2002-03	
1	2701.80.002.01- केन्द्रीय जल आयोग	2.33	4.67	1.94	नियमित/निर्माण-कार्य प्रभारित पद भरने पर रोक, छु.या.रि. और दौरे पर कम व्यय, ए सी पी को अन्तिम रूप न देना/मोटर वाहन इत्यादि की खरीद
2	2701.80.004.01 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	1.29	1.41	-	रिक्त पदों को न भरना इत्यादि, कार्य की धीमी प्रगति
3	2701.80.004.03 केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन	0.90	1.69	1.05	रिक्त पदों को नहीं भरना और गैर-वेतन पर 10 % अनिवार्य कटौती
4	3601.01.752.01- मुख्य सिंचाई (गैर वाणिज्यिक) सतलुज यमुना लिंक कनाल प्रोजेक्ट	8.00	8.00	8.00	निर्माण कार्य जो निर्माणाधीन थे, का पुनरारम्भ न होना और पंजाब सरकार द्वारा निर्माण कार्य को पुनरारम्भ न करना

5	3601.04.528.01- कमान क्षेत्र विकास	14.18	35.56	47.77	पिछले वर्षों के अव्ययित प्रावधान का समायोजन, कार्यान्वयन राज्यों इत्यादि से दावों की कम प्रतिपूर्ति
6	5075.01.201.03 फरक्का बांध (दत्तमत)	2.00	3.75	1.27	विवाचन अधिनिर्णय का अन्तिम रूप न देना, रिक्त पदों को न भरना, प्रक्रिया विलम्ब के कारण खरीद के प्रस्तावों को अन्तिम रूप न देना इत्यादि

### अव्ययित प्रावधान के कारण प्रभावित परियोजनाएं

**8.32** कुछ परियोजनाएं जो निरन्तर अव्ययित प्रावधानों से सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं उन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है:-

#### कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

**8.33** कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई गई सिंचाई संभाव्य का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में, 1974-75 में शुरू किया गया था। 2000-01 से 2002-03 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार थे:-

तालिका 8.19 : अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2000-01	156.33	142.15	14.18
2001-02	182.29	146.73	35.56
2002-03	198.00	150.23	47.77

**8.34** मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधानों को पिछले वर्षों में अप्रयुक्त अनुदान की उपलब्धता और निष्पादन करने वाले राज्यों से प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति को आरोपित किया। यह संकेत दिया कि बजट अनुमान व्यय की प्रवृत्ति की पर्याप्त समीक्षा के बिना बनाये गये थे।

#### सतलुज यमुना लिंक कनाल

**8.35** राज्यों को योजना के लिए सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सेक्टर में परियोजना को निधिबद्ध किया जाता है। मंत्रालय 2000-03 के दौरान सतलुज यमुना लिंक कनाल के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 8.00 करोड़ रु. की निधि प्रदान करता है परन्तु पूर्ण प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित अथवा अभ्यर्पण किये गये जिससे संसद द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान के मूल उद्देश्य विफल हो गए।

#### अवास्तविक बजट बनाना

**8.36** सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण प्रवृत्तियों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये

गये मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए। 2000-03 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित उप शीर्षों के अन्तर्गत पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे और अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किये गये।

**तालिका 8.20 : अवास्तविक बजट**

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्वियोग	मंत्रालय द्वारा बताये गये कारण
<b>राजस्व भाग (2000-01)</b>			
1	2701.80.800.03- बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना	1.71	शून्य आधारित बजट के अंतर्गत योजना का विच्छिन्न
2	2702.02.005.10- आयु, उत्पत्ति रिचार्ज, भूमिगत जल में खारापन की युक्ति को निर्धारण के लिए समस्थानिक अध्ययन	1.40	शून्य आधारित बजट के अंतर्गत योजना का विच्छिन्न
<b>पूँजीगत भाग</b>			
3	7601.03.786.01 - बह्वपुत्र घाटी की बाढ़ पर नियंत्रण (प्रभारित)	30.00	योजना आयोग द्वारा योजना का गैर-अनुमोदन
<b>राजस्व भाग (2001-02)</b>			
4	3601.03.786.05- बह्वपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण	25.00	योजना आयोग द्वारा योजना का गैर अनुमोदन
5	3601.03.786.09- गंगा के किनारे राज्यों के अतिरिक्त तटपोत पर संकटकालीन कटाव रोधी कार्य	2.00	- वही -
<b>पूँजीगत भाग</b>			
6	5075.01.201.03- फरक्का बांध (प्रभारित)	1.00	अदालत द्वारा विवाचन अधिनिर्णय नहीं दिया गया था
<b>राजस्व भाग (2002-03)</b>			
7	2711.01.800.13- कोसी उच्च बाँध का सर्वेक्षण और जाँच	1.00	अनुबंधों और शर्तों को अन्तिम रूप नहीं होने के कारण नेपाल सरकार के साथ कार्य को नहीं लिया जा सका।
8	3601.04.786.02- बाढ़ थामना कार्यक्रम	1.50	बिहार की राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होना और तत्पश्चात आगे के लिए निधियों का जारी न होना
9	3601.04.786.04- गंगा के किनारे स्थित राज्यों के अतिरिक्त तटपोत पर संकटकालीन कटावरोधी कार्य	2.00	सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रस्तावों को व्यय वित्त कमेटी की स्वीकृति के लिए शामिल करने हेतु प्राप्त न होने के कारण योजना की स्वीकृति नहीं हुई।

### अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

**8.37** अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर उसको अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन निधि को अभ्यर्पित किया गया इस तर्क के बावजूद कि संशोधित अनुदान को प्रत्येक वर्ष जनवरी/फरवरी में स्वीकृत कर दिये गये थे।

**तालिका 8.21 : 2000-03 के दौरान अभ्यर्पित निधि**

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2000-01	80.68	37.82	53.69	33.32	31.3.2001
2001-02	75.55	2.98	58.10	1.00	31.3.2002
2002-03	174.81	2.23	162.26	1.24	31.3.2003

### निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

**8.38** निम्नलिखित उप शीर्षों की निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। अतः उप शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

**तालिका 8.22 : निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग**

(करोड़ रूपयों में)

उप शीर्ष		प्रावधान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत (-)
<b>2000-2001</b>					
2701.80.001.01	केन्द्रीय जल आयोग	मू पुन 10.07 0.24	10.31	9.51	0.80
2701.80.004.05	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	मू पुन 1.70 0.56	2.26	1.69	0.57
2705.00.800.04	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	मू पुन 0.90 0.01	0.91	0.64	0.27
2711.01.800.07	संयुक्त नदी आयोग	मू पुन 2.79 0.23	3.02	2.70	0.32
2711.01.800.10	जल विज्ञान परियोजना	मू पुन 17.50 0.05	17.55	16.20	1.35
4711.01.800.06	केन्द्रीय जल आयोग	मू पुन 3.00 0.99	3.99	2.00	1.99
<b>2001-02</b>					
3451.00.800.13	जल विज्ञान परियोजना	मू पुन 1.24 0.06	1.30	1.23	0.07
3601.03.478.01	लघु सिंचाई सांख्यिकी की औचित्य स्थापन	मू पुन 6.49 0.06	6.55	6.07	0.48

**अन्धाधुन्ध व्यय**

**8.39** विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में अन्धाधुन्ध व्यय से बचा जाना चाहिए। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2000-01 से 2002-03 के दौरान निम्नलिखित मामलों में कुल व्यय का अधिक हिस्सा मार्च माह में खर्च किया गया था। ऐसी पद्धति निधि की रचनात्मक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी।

**तालिका 8.23 : अन्धाधुन्ध व्यय के मामले (2000-2003)**

(करोड़ रूपयों में)

मुख्य शीर्ष		कुल व्यय	मार्च में व्यय (प्रतिशतता)
<b>2000-01</b>			
1.	2705	कमान क्षेत्र विकास	2.80 1.03 (37%)
2.	3601	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	168.88 65.26 (39%)
3.	4701	मुख्य और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.33 1.64 (49%)
4.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	2.00 1.59 (80%)
5.	7601	राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	3.00 3.00 (100%)
<b>2001-02</b>			
1.	2705	कमान क्षेत्र विकास	1.40 0.42 (30%)
2.	3601	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	187.15 117.46 (63%)
3.	4701	मुख्य और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.48 2.72 (78%)
4.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.93 1.46 (76%)
5.	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	3.06 3.00 (98%)
6.	6701	मुख्य और मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	32.00 19.92 (62%)
7.	7601	राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	2.95 2.95 (100%)
8.	2702	लघु सिंचाई	157.86 41.73 (26%)
9.	2711	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	112.30 43.40 (39%)
<b>2002-03</b>			



चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

1.	2705	कमान क्षेत्र विकास	1.93	0.64 (33%)
2.	2702	लघु सिंचाई	130.79	29.16 (22%)
3.	2711	बाढ़ नियंत्रण और जल निकास	83.77	25.32 (30%)
4.	3601	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	182.05	64.14 (35%)
5.	4701	मुख्य और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.22	1.42 (34%)
6.	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.74	2.74 100%
7.	6701	मुख्य और मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	27.00	16.96 (63%)
8.	7601	राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	1.76	1.76 (100%)

## अध्याय 9

### सरकार की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन - एक सामान्य मूल्यांकन

#### राजकोषीय निष्पादन के संक्षिप्त संकेतक

**9.1** यह अध्याय 1985-2003 के बीच कुछ मूलभूत सूचक जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने में सहायता करते हैं, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करते हैं और सरकार की अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलुओं, जैसे पर्याप्तता, संपोषकता, स्वायत्तता और सुभेद्यता के संदर्भ में संक्षिप्त स्थिति दर्शाते हैं। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के गुप में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक को संकेतक के सैट में प्रकट किया गया है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधनों का संग्रहण व्यय का प्रबन्धन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन और राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन चार मुख्य घटक हैं।

#### संसाधन संग्रहण

**9.2** इस मुख्य घटक में संसाधनों की पर्याप्तता को अभिग्रहण करने, संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वर्ती और पूंजीगत व्यय पर आज तक हुए खर्च के लिए इस मुख्य घटक में आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। राजस्व प्राप्ति- स.घ.उ. अनुपात, वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर कर प्राप्तियां दोनों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के तत्व सम्मिलित है। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात, राजस्व प्राप्तियों का एक उप समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा बाध्यता प्रावधान नहीं है, पर सरकार की पहुँच का संकेत देता है। राजस्व और करों की उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने में किये गये प्रयासों की प्रगति अथवा अन्यथा का संकेत है। अन्य चार पुराने निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक है। तालिका 9.1 1985-2003, VIII और IX पंचवर्षीय योजनाओं (1992-1997 और 1997-2002) और गत दो वर्षों के दौरान इन संकेतकों के मूल्य में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 9.1 संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2003	VIII योजना (1992-1997)	IX योजना (1997-2002)	2001-02	2002-03
राजस्व प्राप्तियाँ/स.घ.उ.	12.63	12.71	12.36	11.55	12.23
कर प्राप्ति/स.घ.उ.	9.11	9.32	8.65	8.15	8.82
राजस्व उत्प्लावकता	0.93	0.94	0.76	0.40	1.93
कर उत्प्लावकता	0.88	0.96	0.85	*	2.31
अग्रिमों पर वापसी	11.45 <sup>#</sup>	11.23	14.15	15.17	15.11
निवेश पर वापसी	4.30 <sup>#</sup>	2.35	5.30	7.99	8.83
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - सामाजिक सेवायें	5.18 <sup>#</sup>	9.57	3.59	1.51	2.03
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - आर्थिक सेवायें	50.12 <sup>#</sup>	57.22	55.80	47.62	43.07

\* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है। राजस्व कर की वृद्धि की दर 2001-02 में नकारात्मक थी।

# 1987-2003 से सम्बन्धित है।

9.3 VIII योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में, 2002-2003 में राजस्व प्राप्तियों और स.घ.उ. के प्रति कर एकत्रणों का अनुपात कम था। यद्यपि चालू वर्ष में राजस्व और करों की उत्प्लावकता में सुधार था, यह स.घ.उ. में संतुलित वृद्धि के कारण था। VIII और IX योजना की अवधि के दौरान इन दोनों परिवर्तों के उत्प्लावकता गुणांक एक से कम थे। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में सकारात्मक सुधार प्रतीत होता था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में अधिक सार्थक गिरावट देखी गयी थी। अतः संसाधन जुटाने के प्रयासों ने एक मिला जुला दृश्य प्रस्तुत किया।

**व्यय का प्रबन्धन**

9.4 व्यय के प्रबन्धन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता को अभिग्रहण करने के लिए ग्यारह संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। व्यय से स.घ.उ. का अनुपात और उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) के मापदण्ड व्यय के स.घ.उ. से सम्बन्ध और मापदण्डों में बदलाव से प्रभाव का संकेत करता है। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय उन सेवाओं पर पहुँच और उनके फैलने का संकेत देता है। इन मापदण्डों के निश्चित समय सीमा पर मूल्यों का तालिका 9.2 में संकेत दिया गया है।

तालिका 9.2 : व्यय प्रबन्धन के संकेतक

( प्रतिशत)

	1985-2003	VIII योजना (1992-1997)	IX योजना (1997-2002)	2001-02	2002-03
कुल व्यय/स.घ.उ.	20.01	19.66	19.50	19.40	19.43
राजस्व व्यय/कुल व्यय	80.69	78.88	83.61	84.31	85.99
योजना व्यय/कुल व्यय	22.88	23.68	20.99	23.53	23.40
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	8.42	9.61	7.00	7.02	6.40
विकास व्यय/कुल व्यय	41.52	42.24	40.40	38.74	39.96
बचनबद्ध व्यय/राजस्व व्यय	45.75	44.57	47.82	47.31	46.23
बचनबद्ध व्यय/राजस्व प्राप्ति	58.46	54.38	63.07	66.98	63.15
प्रति व्यक्ति व्यय-सामाजिक सेवायें (1993-94 के मूल्य रूपये में)	82 <sup>#</sup>	68	104	95	122
प्रति व्यक्ति व्यय- आर्थिक सेवायें (1993-94 के मूल्य रूपये में)	727 <sup>#</sup>	693	792	823	862
कुल व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के साथ (अनुपात)	0.95	0.76	1.09	3.48	0.53
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के साथ (अनुपात)	1.08	0.94	1.28	2.66	0.70

\* विकास व्यय सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का कुल व्यय है। कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

# 1987-2003 से सम्बन्धित हैं।

- 9.5 अधिकतर मापदण्ड गिरावट के संकेतक हैं। पूंजीगत व्यय में समय के ऊपर संकुचन देखा गया, विकास व्यय में गिरावट, योजनागत व्यय में स्थिरता और राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई। वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर बचनबद्ध व्यय में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के सापेक्ष में वृद्धि हुई। यद्यपि 2002-03 में राजस्व की उत्प्लावकता और कुल व्यय का राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष में मन्दन था, IX योजना (1997-2002) की औसत प्रवृत्ति VIII योजना (1992-1997) के दौरान औसत उत्प्लावकता की तुलना में गिरावट देखी गई। तथापि, 1993-94 के मूल्य पर सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय में बढ़ोतरी थी।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबन्धन

9.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबन्धन के अभिसरण में पाँच संकेतक की पहचान की गई थी। इसमें राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे से स.घ.उ. का अनुपात, राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटा सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में नीति का अनिवार्य परिणाम था, यह राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करती है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003 द्वारा भी सरकार को 31 मार्च 2008 तक राजस्व घाटे को हटाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए बाध्य किया है और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाया जाये। इन मापदण्डों का निश्चित अवधि में मूल्य, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3 : राजकोषीय असन्तुलन के प्रबन्धन के संकेतक

( प्रतिशत )

	1985-2003	VIII योजना (1992-1997)	IX योजना (1997-2002)	2001-02	2002-03
राजस्व घाटा/स.घ.उ.	3.51	2.80	3.94	4.80	4.48
राजकोषीय घाटा/स.घ.उ.	6.31	6.04	6.23	6.79	5.49
प्राथमिक घाटा/स.घ.उ.	1.83	1.77	1.49	1.81	0.41
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	55.66	46.26	63.26	70.78	81.56
चालू राजस्व का बकाया(चा.रा.ब.) (करोड़ रूपयों में)	-10858	-2191	-28622	-48647	-38195

9.7 घाटे से स.घ.उ. और राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता का सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्य हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि बढ़ती देयताओं के पीछे चुकौती क्षमता हेतु परिसम्पत्तियों में वृद्धि नहीं होती। यह अनुपात VIII योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2002-2003 में 81.56 प्रतिशत हो गया जिसमें एक दशक से कुछ ही अधिक में 35 प्रतिशतता से अधिक अंकों की वृद्धि है। इसमें राजकोषीय घाटा से स.घ.उ. के अनुपात में केवल अल्प सुधार था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 में राजस्व घाटे को पूरी तरह हटाने के लिए अनिवार्यता में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। चालू राजस्व का बकाया, योजनेतर राजस्व बकाया का संकेतक है। यदि वे सकारात्मक है तो उस सीमा तक चालू राजस्व से योजनागत व्यय को निधि देने से चा.रा.ब. 1990-91 में ऋणात्मक में बदल गई और उसके पश्चात ऐसा जारी था।

#### राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

9.8 कर्ज की संपोषकता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मामला है। ऋण से स.घ.उ. का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज पर तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर गेप के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं के

प्रति प्रतिभूतियों का अनुपात (उधार ली गई निधियों का उपयोग) ऋण प्रबन्धन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण विमोचन भी उपलब्ध संसाधनों के वर्तमान अनुप्रयोग के स्वायत्तता की डिग्री दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबन्धन के आठ संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 : राजकोषीय देयताओं के प्रबन्धन के संकेतक

( प्रतिशत )

	1985-2003	VIII योजना (1992-1997)	IX योजना (1997-2002)	2001-02	2002-03
राजकोषीय देयताएँ/स.घ.उ.	60.10	60.72	58.90	60.95	63.16
औसत ब्याज दर-घरेलू कर्ज	9.74	9.37	10.42	10.48	10.03
औसत ब्याज दर - कुल देयताएं	8.44	7.91	9.06	9.22	8.90
ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां	93.57	93.10	94.70	91.73	97.87
देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात	54.97	57.68	50.90	47.54	44.77
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	476	478	476	528	516
डोमर गैप	5.98	8.63	1.58	-0.11	-2.15
परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता	0.74	0.83	0.70	0.61	0.39

9.9 सभी आठ पैरामीटर मूल्य ह्रास दर्शाते हैं। ऋण-स.घ.उ. अनुपात में, IX योजना (1997-2002) के दौरान समेकन करने के उपरांत तीव्र वृद्धि देखी गई थी। राजकोषीय देयताओं पर ब्याज दर में भी वृद्धि हुई तथा प्रलंबन ऋण ने सरकार को, इन दरों में संतुलन का पूर्ण लाभ नहीं उठाने दिया। डोमर गैप भी नकारात्मक हो गया जिसके परिणामस्वरूप, ऋण में प्रारम्भिक घाटे की अपेक्षाकृत अधिक तेजी से वृद्धि हुई। देयताओं के प्रति परिसंपत्तियों का अनुपात 2002-03 में 44.77 तक गिर गया था जो यह संकेत देता था कि संघ सरकार की समग्र राजकोषीय देयताओं के 55 प्रतिशत से ऊपर का कोई परिसम्पत्ति सम्बल नहीं था। परिसम्पत्तियों में भी देयताओं से कम दर पर वृद्धि हो रही थी। देयताओं के सापेक्ष में परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता 2002-03 में गिर कर 0.39 हो गई थी जो इस बात का सूचक थी कि देयताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़त के लिए परिसम्पत्तियां केवल 0.39 प्रतिशत ही बढ़ी थी। इसमें ऋण तथा ऋण विमोचन का मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान को मिला करके, वस्तुतः सम्पूर्ण रूप से लुढ़काव था, जिसमें लिये गये नये ऋण का 98 प्रतिशत चला गया था।

9.10 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, स.घ.उ. के सापेक्ष में कम हो गये थे, यह विवेचनात्मक है कि इनका उपयोग इष्टतम दक्षता के साथ किया जाता है। ये अदक्षताएं संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता, परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों का व्यपगत होना तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम थी। सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित, ये मामले, तथा प्रतिवेदन में अन्य स्थानों पर इंगित किये गये मामले सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की माँग करते हैं।




( डा.अं.कु.बनर्जी )

महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली

दिनांक 28 मई 2004

प्रतिहस्ताक्षरित



( विजयेन्द्र नाथ कौल )

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक 4 जून 2004





परिशिष्ट सूची

क्रम संख्या	परिशिष्ट संख्या		पृष्ठ सं.
1.	I-क	प्रतिकूल शेष	98
2.	III-क	संघ सरकार का कुल व्यय	100
3.	IV-क	राजस्व, राजकोषीय घाटे प्राथमिक तथा ब्याज भुगतान	101
4.	V-क	संघ सरकार की कुल देयता	102
5.	V-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार	103
6.	VI-क	अनुमोदन तथा संवितरण	104
7.	VI-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	106
8.	VI-ग	सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	107
9.	VI-घ	मार्च माह 2003 के दौरान अंधाधुंध व्यय	108
10.	VII-क	निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (एक करोड़ रु. और उससे अधिक के आधिक्य)	112
11.	VII-ख	अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान का ब्यौरा	117
12.	VII-ग	उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया।	119
13.	VII-घ	प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोचित थे। (पुनर्विनियोग के सिर्फ 50.00 लाख से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख।)	120
14.	VII-ङ	उपशीर्ष के पुनर्विनियोग के मामले जिनमें व्यय अन्ततः शेष प्रावधान पर अधिक दर्शाया गया।	123
15.	VII-च	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	124
16.	VIII-क	2002-03 के दौरान उपशीर्षों के अंतर्गत अधिक अव्ययित प्रावधान रहा	125
17.	VIII-ख	2002-03 के दौरान उपशीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय	127
18.	VIII-ग	एक करोड़ रुपये से अधिक का अव्ययित प्रावधान रहा	128
19.	VIII-घ	सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	130
20.	VIII-ङ	मुख्य अव्ययित प्रावधान और प्रावधान से आधिक्य के मामले	131

परिशिष्ट-I- क

(पैराग्राफ 1.14 देखें)  
प्रतिकूल शेष

क्र. सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु)	शेष (31 मार्च 2002 को)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए (हजार रु. में)
<b>विवरणी सं. 13</b>			
1.	8121-00-108 स्टाफ लाभकारी निधि (रेलवे की कौशलपूर्ण दिशायेँ)	डे. 135	2002-03
2.	8235-00-101- वाणिज्यिक विभाग/उपक्रम सरकार की सामान्य आरक्षित निधि के लिए	डे. 872	1999-2000
3.	8443-00-110- पुलिस जमा निधि	डे. 3254	1996-97
4.	8443-00-118- प्राइवेट निकायों के लिए काम पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त फीस की जमा	डे. 7248	2001-02
5.	8448-00-104 भारतीय बीमा संगठन की निधि	डे. 2.91	पूर्व 1976-77
6.	8550-00-101- वन पेशगियां	क्रे.18226	1997-98
7.	8670-00-103 विभागीय चैक्स	डे. 253618	2002-03
8.	8679-00-115 सरकार तथा अन्य देशों के साथ लेखे	डे. 27928	2002-03
<b>विवरणी सं. 14</b>			
9.	6002-202 आस्ट्रिया संघ सरकार से कर्जे	(-) 247250	1997-98
10.	6002-203- बैल्जियम राज सरकार से कर्जे	(-) 1469724	1996-97
11.	6002-204- कनाडा सरकार से कर्जे	(-) 1940001	1999-00
12.	6002-206- डेनमार्क सरकार से कर्जे	(-) 953962	1999-00
13.	6002-207 यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्जे	(-) 94431	2001-02
14.	6002-00-208- फ्रांस सरकार से कर्जे	(-) 7122214	2001-02
15.	6002-212- इटली सरकार से कर्जे	(-) 1617816	2001-02
16.	6002-218 अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि से कर्जे	(-) 1962184	1994-95
17.	6002-00-220 नीदरलैंड सरकार से कर्जे	(-) 10026758	1996-97
18.	6002-00-223 स्विस् सरकार से कर्जे परिसंघ और स्विस् बैंक	(-) 471770	2001-02
19.	6002-00-224 सऊदी निधि से विकास के लिए कर्जे	(-) 522866	1994-95
20.	6002-00-226 अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण स.रा.अ. से कर्जे	(-) 33234443	1995-96
21.	6002-00-227 पी.एल. 480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिट के अन्तर्गत स.रा.अ. की सरकार से कर्जे	(-) 6379766	1995-96
22.	6002-00-228 स.रा.अ. की सरकार से अन्य विविध कर्जे	(-) 1079649	1998-99
23.	6002-00-230 रूसी महासंघ से कर्जे	(-) 5721198	1998-99

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(हजार रु. में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष (मुख्य/लघु)	शेष (31 मार्च 2002 को)	अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
24.	6002-00-250 स्पेन सरकार से कर्जे	(-) 115880	2002-03
विवरणी सं. 14 क			
25.	6001-00-106- विशेष धारक बन्ध पत्र, 1991	(-) 79371	1995-96
विवरणी सं. 15			
26.	6802-01-190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के कर्जे	(-) 1	2002-03
27.	6202-03-800 अन्य कर्जे	(-) 1876	1986-87
28.	6215-02-800 अन्य कर्जे	(-) 13558	2001-02
29.	6225-01-800 अन्य कर्जे	(-) 749	1994-95
30.	6245-01-101- निःशुल्क सहायता	(-) 803	1986-87
31.	6245-02-101- निःशुल्क सहायता	(-) 2156	1997-98
32.	6401-00-800- अन्य कर्जे	(-) 13378	1986-87
33.	6402-00-102- भू संरक्षण	(-) 4880	1995-96
34.	6403-00-800- अन्य कर्जे	(-) 6428	1994-95
35.	6408-01-101 अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति	(-) 186	1999-00
36.	6515-00-102- सामुदायिक विकास	(-) 424	1986-87
37.	6515-00-103- ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम	(-) 1	1986-87
38.	6701-00-800- अन्य कर्जे	(-) 4	1988-89
39.	6851-00-102- लघु उद्योग	(-) 9631	2001-02
40.	6859-00-190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के कर्जे	(-) 79192	2002-03
41.	6860-00-800- अन्य कर्जे	(-) 22	1994-95
42.	7052-02-101- एस.डी.एफ.सी. से कर्जे	(-) 808475	2001-02
43.	7053-00-190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के कर्जे	(-) 219037	2002-03
44.	7601-00-03- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे	(-) 2097	2000-01
45.	7601-00-03- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे (छत्तीसगढ़)	(-) 13672	2001-02
46.	7601-00-03- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे (झारखंड)	(-) 2598	2001-02
47.	7601-00-05 विशेष योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे (झारखंड)	(-) 3	2001-02
विवरणी सं. 16			
48.	8001-00-104- संचयी आवधिक जमा	(-) 319025	1994-95
49.	8002-00-101- डाकघर प्रमाण पत्र	(-) 8671659	1999-00
50.	8002-00-103- खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र	(-) 6962	पूर्व 1976-77
51.	8002-00-104- रक्षा बचत प्रमाण पत्र	(-) 130551	1988-89

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-III- क  
(पैराग्राफ 3.7 देखें)  
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कर्ज और पेशगियां	जोड़
1985-86	49032	8900	13805	71737
1986-87	57911	10991	13431	82333
1987-88	65895	10523	13794	90212
1988-89	76415	11340	15205	102960
1989-90	90138	13399	17370	120907
1990-91	102964	13387	20708	137059
1991-92	116091	13911	18703	148705
1992-93	132794	20586	17619	170999
1993-94	152317	24650	21874	198841
1994-95	177699	19266	23898	220863
1995-96	198302	17544	24810	240656
1996-97	226372	15704	29035	271111
1997-98	277732	20225	35471	333428
1998-99	300456	25200	46594	372250
1999-00	343195	29023	27359	399577
2000-01	342647	25426	27761	395834
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310

परिशिष्ट-IV- क  
(पैराग्राफ 4.5 देखें)  
राजस्व, राजकोषीय, प्राथमिक घाटे तथा ब्याज भुगतान

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	ब्याज	कालम 3 से कालम 5 तक की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1976-77	(+) 280	4080	2706	1374	33.68
1977-78	(+) 429	4110	2589	1521	37.00
1978-79	(+) 292	5988	4159	1829	30.54
1979-80	696	6391	4181	2210	34.58
1980-81	1702	8888	6284	2604	29.30
1981-82	293	8667	5472	3195	36.86
1982-83	1254	12473	8535	3938	45.44
1983-84	2398	13934	9139	4795	38.44
1984-85	3498	17785	11811	5974	42.87
1985-86	5564	24404	16893	7512	42.24
1986-87	7579	27875	18629	9246	37.89
1987-88	9137	28273	17022	11251	40.36
1988-89	10515	32007	17729	14278	44.61
1989-90	11914	37222	19465	17757	47.71
1990-91	18561	45887	24389	21498	46.85
1991-92	16261	38835	12239	26596	68.48
1992-93	18574	47140	16065	31075	65.92
1993-94	32715	71676	34935	36741	51.26
1994-95	31029	62079	18019	44060	70.97
1995-96	29731	63689	13644	50045	78.58
1996-97	32654	68242	8764	59478	87.16
1997-98	59433	104621	38984	65637	62.74
1998-99	60567	113298	35416	77882	68.74
1999-00	61642	103750	9156	94593	91.18
2000-01	86611	120874	17650	103224	85.40
2001-02	110303	155833	41660	114173	73.27
2002-03	109765	134588	10015	124573	92.56

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-V- क  
(पैराग्राफ 5.3 देखें)  
संघ सरकार की कुल देयता

( करोड़ रु. में )

वर्ष	आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा		कुल देयताएं	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	आरक्षित निधि तथा जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176

\* वर्तमान विनिमय दर उपलब्ध नहीं है

परिशिष्ट-V- ख  
(पैराग्राफ 5.15 देखें)  
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार

( करोड़ रु. में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	विद्युत	17855.22
2.	सड़कें	14567.28
3.	सामाजिक	8780.40
4.	शहरी विकास	9240.25
5.	जल संसाधन प्रबंधन	5338.02
6.	कृषि तथा ग्रामीण विकास	4502.22
7.	पर्यावरण एवं वन विज्ञान	1861.39
8.	अन्य	2615.47
9.	रेलवे	519.23
10.	ऊर्जा (गैर - परम्परागत)	819.36
11.	ढांचागत समायोजन/तीव्र सं. वि.	475.10
12.	अवसंरचनात्मक क्षेत्र (सामान्य)	261.17
13.	अवसंरचनात्मक क्षेत्र (संचार)	274.22
14.	उद्योग तथा वित्त	191.60
15.	कोयला	56.21
16.	उर्वरक	0.59
17.	ऊर्जा क्षेत्र	7.56
	<b>जोड़</b>	<b>67365.29</b>

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VI- क  
(पैराग्राफ 6.4 देखें)  
अनुमोदन तथा संवितरण

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान (करोड़ रु.में)
<b>क - सिविल</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	183815.18	18186.55	202001.73	189662.94	12338.79
II. पूंजीगत	18672.00	684.25	19356.25	15561.61	3794.64
III. कर्ज एवं पेशगियां	4914.30	4376.38	9290.68	8608.48	682.20
<b>जोड़</b>	<b>207401.48</b>	<b>23247.18</b>	<b>230648.66</b>	<b>213833.03</b>	<b>16815.63</b>
<b>प्रभारित</b>					
IV. राजस्व	140768.56	11.68	140780.24	136699.76	4080.48
V. पूंजीगत	22.92	1.48	24.40	21.89	2.51
VI. लोक ऋण	321154.89	56786.82	377941.71	339677.24	38264.47
VII. कर्ज एवं पेशगियां	26841.87	1564.05	28405.92	27719.69	686.23
<b>जोड़</b>	<b>488788.24</b>	<b>58364.03</b>	<b>547152.27</b>	<b>504118.58</b>	<b>43033.69</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>696189.72</b>	<b>81611.21</b>	<b>777800.93</b>	<b>717951.61</b>	<b>59849.32</b>
संवितरण की घटौती में वसूलियां			14431.24	13374.51	
<b>कुल निवल प्रावधान</b>			<b>763369.69</b>		
<b>कुल निवल संवितरण</b>				<b>704577.10</b>	
<b>ख - डाक</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	5297.89	191.59	5489.48	5475.60	13.88
II. पूंजीगत	128.55	0.01	128.56	41.54	87.02
<b>जोड़</b>	<b>5426.44</b>	<b>191.60</b>	<b>5618.04</b>	<b>5517.14</b>	<b>100.90</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	0.02	0.54	0.56	0.55	0.01
IV. पूंजीगत	-	0.78	0.78	0.71	0.07
<b>जोड़</b>	<b>0.02</b>	<b>1.32</b>	<b>1.34</b>	<b>1.26</b>	<b>0.08</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>5426.46</b>	<b>192.92</b>	<b>5619.38</b>	<b>5518.40</b>	<b>100.98</b>
संवितरण की घटौती में वसूलियां			81.00	102.10	



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	जोड़	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
कुल निवल प्रावधान			5538.38		
कुल निवल संवितरण				5416.30	
<b>ग - रक्षा सेवाएं</b>					
<b>दत्तमत</b>					
I. राजस्व	45793.04	-	45793.04	42990.91	2802.13
II. पूंजीगत	21395.95	-	21395.95	14947.95	6448.00
<b>जोड़</b>	<b>67188.99</b>	<b>-</b>	<b>67188.99</b>	<b>57938.86</b>	<b>9250.13</b>
<b>प्रभारित</b>					
III. राजस्व	16.29	-	16.29	11.29	5.00
IV. पूंजीगत	14.68	-	14.68	4.90	9.78
<b>जोड़</b>	<b>30.97</b>	<b>-</b>	<b>30.97</b>	<b>16.19</b>	<b>14.78</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>67219.96</b>	<b>-</b>	<b>67219.96</b>	<b>57955.05</b>	<b>9264.91</b>
संवितरण की घटौती में वसूलियां			312.39	316.97	
कुल निवल प्रावधान			66907.57		
कुल निवल संवितरण				57638.08	
<b>घ - रेलवे</b>					
<b>दत्तमत</b>					
	71682.50	546.04	72228.54	69498.38	2730.16
<b>प्रभारित</b>					
	31.14	22.20	53.34	51.59	1.75
<b>जोड़</b>	<b>71713.64</b>	<b>568.24</b>	<b>72281.88</b>	<b>69549.97</b>	<b>2731.91</b>
संवितरण की घटौती में वसूलियां			21866.06	21194.76	
कुल निवल प्रावधान			50415.82		
कुल निवल संवितरण				48355.21	
<b>कुल</b>					
दत्तमत	351699.41	23984.82	375684.23	346787.41	28896.82
भा.स.नि. प्रभारित	488850.37	58387.55	547237.92	504187.62	43050.30
<b>कुल जोड़ भा.स.नि.</b>	<b>840549.78</b>	<b>82372.37</b>	<b>922922.15</b>	<b>850975.03</b>	<b>71947.12</b>

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VI- ख  
(पैराग्राफ 6.6 देखें)  
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

( करोड़ रु. में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
<b>क - सिविल</b>						
दत्तमत	12391.85	4492.73	53.06	15.89	12338.79	4476.84
अनुदानों की संख्या	88	63	2	1		
प्रभारित	5874.11	38955.09	1793.63	1.88	4080.48	38953.21
विनियोगों की संख्या	35	13	4	2		
<b>ख - डाक</b>						
दत्तमत	13.88	87.02	-	-	13.88	87.02
अनुदानों की संख्या	1	1				
प्रभारित	0.01	0.07	-	-	0.01	0.07
विनियोगों की संख्या	1	1				
<b>ग - रक्षा सेवाएं</b>						
दत्तमत	2802.13	6448.00	-	-	2802.13	6448.00
अनुदानों की संख्या	4	1				
प्रभारित	5.00	9.78	-	-	5.00	9.78
विनियोगों की संख्या	4	1				
<b>घ - रेलवे</b>						
दत्तमत	1659.65	1391.48	229.45	91.51	1430.20	1299.97
अनुदानों की संख्या	13	1	2	1	-	-
प्रभारित	5.09	0.34	0.83	2.86	4.26	2.52*
विनियोगों की संख्या	3	1	7	1	-	-

\* आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VI- ग  
(पैराग्राफ 6.7 देखें)

सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित
								को	को
1.	1991-92	63814	142537	206351	58202	122373	180575	32	68
2.	1992-93	74367	141321	215688	68904	134672	203576	34	66
3.	1993-94	88069	203866	291935	82497	188621	271118	30	70
4.	1994-95	94380	254781	349161	87054	216958	304012	29	71
5.	1995-96	96720	282079	378799	90196	231831	322027	28	72
6.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
7.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
8.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
9.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
10.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
11.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
12.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VI- घ  
(पैराग्राफ 6.10 देखें).

मार्च माह 2003 के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

( करोड़ रु. में)

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
<b>सिविल</b>				
<b>1- कृषि तथा सहकारिता विभाग</b>				
1.	2425- सहकारिता	30.51	19.88	65
<b>3- पशुपालन तथा डेरी विभाग</b>				
2.	4405- मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.86	7.60	86
<b>5- रसायन तथा पैट्रो रसायन विभाग</b>				
3.	2852- उद्योग	47.43	23.85	50
<b>7- नागर विमानन मंत्रालय</b>				
4.	5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	22.26	21.28	96
<b>8- कोयला विभाग</b>				
5.	2803- कोयला एवं लिगनाईट	245.54	132.81	54
<b>9- खान विभाग</b>				
6.	2853- अफेरस और धातुकर्मीय उद्योग	998.14	596.05	60
<b>11- औद्योगिक नीति और उन्नति विभाग</b>				
7.	2885- उद्योग एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	190.28	133.95	70
<b>23- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग (गृह मंत्रालय)</b>				
8.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	3.96	2.44	62
9.	4853- बिना फेरस खनन और धातु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.50	0.50	100
<b>25 - विदेश मंत्रालय</b>				
10.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.76	19.76	100
11.	4059- लोक निर्माण परिव्यय	11.77	6.22	53
<b>26- आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्रालय)</b>				
12.	2075- विविध सामान्य सेवायें	1.80	1.80	100
13.	2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.08	0.08	100
14.	3054- सड़क और पुल	528.00	528.00	100
15.	3075- अन्य परिवहन सेवायें	1177.13	1177.13	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	( करोड़ रु. में) कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
<b>28- वित्तीय संस्थाओं को भुगतान (वित्त मंत्रालय)</b>				
16.	2075- विविध सामान्य सेवायें	125.00	125.00	100
17.	2885- उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	52.03	48.11	92
18.	3465- सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थायें	2449.00	1612.08	66
<b>30- राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार को हस्तांतरित (वित्त मंत्रालय)</b>				
19.	2075- विविध सामान्य सेवायें	77.57	77.57	100
20.	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	325.00	162.52	50
<b>36- राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)</b>				
21.	2045- पण्य पदार्थ और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	14.68	11.30	77
22.	2875- अन्य उद्योग	202.17	144.84	72
23.	3601- राज्य सरकार को सहायता अनुदान	0.24	0.24	100
24.	4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.68	0.51	75
<b>38- अप्रत्यक्ष कर (वित्त मंत्रालय)</b>				
25.	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.05	100
26.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3.90	3.63	93
<b>43- भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथिक विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)</b>				
27.	3601- राज्य सरकार को सहायता अनुदान	14.17	9.14	65
<b>45- गृह मंत्रालय</b>				
28.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें	0.09	0.09	100
<b>48- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>				
29.	2250- अन्य सामाजिक सेवायें	0.25	0.22	88
30.	2401- फसल कृषि -कर्म	3.21	1.72	54
31.	3601- राज्य सरकार को सहायता अनुदान	444.22	354.21	80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रु. में)				
क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
<b>51- माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग</b>				
32.	2013 - मन्त्री परिषद	0.80	0.80	100
33.	2204 - खेल एवं युवा मामले	79.35	64.35	81
34.	3602 - संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2.18	2.18	100
<b>54- भारी उद्योग विभाग</b>				
35.	4858 - इंजीनियरिंग उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8.87	5.62	63
36.	4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.51	0.76	50
<b>57- विधि एवं न्याय</b>				
37.	3602- संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	6.00	3.13	52
<b>61- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय</b>				
38.	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	45.52	35.84	79
39.	2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	223.66	117.06	52
40.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	14.14	11.80	83
<b>63- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय</b>				
41.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.15	100
42.	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100
<b>65- योजना मंत्रालय</b>				
43.	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.06	0.04	67
44.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.72	1.72	100
<b>67- ग्रामीण विकास विभाग</b>				
45.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	50.00	50.00	100
<b>70- विज्ञान और तकनीकी विभाग</b>				
46.	5425- अन्य वैज्ञानिकी और वातावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3.29	1.88	57
<b>71- विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग</b>				
47.	5425- अन्य वैज्ञानिकी और वातावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.10	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

				( करोड़ रु. में)
क्र. सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
<b>74- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय</b>				
48.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	11.23	9.11	81
<b>77- जहाजरानी मंत्रालय</b>				
49.	2852- उद्योग	62.50	36.47	58
<b>79- पर्यटन विभाग</b>				
50.	3452- पर्यटन	163.10	81.18	50
<b>80- संस्कृति विभाग</b>				
51.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2.62	1.60	61
<b>81- जनजातीय मंत्रालय</b>				
52.	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	67.94	41.31	61
<b>85- शहरी रोजगार तथा गरीबी निवारण मंत्रालय</b>				
53.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.61	2.58	56
54.	3602- संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	1.91	1.87	98
55.	4552- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	44.17	25.20	57
<b>87- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय</b>				
56.	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	10.00	10.00	100
<b>88- युवा मामले और खेल मंत्रालय</b>				
57.	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	43.01	28.56	66
<b>92- अंतरिक्ष विभाग</b>				
58.	3252- उपग्रह प्रणाली	759.05	565.51	75
<b>98- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</b>				
59.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.18	0.10	56

परिशिष्ट-VII- क  
( पैराग्राफ 7.3 देखें)

निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (एक करोड़  
रु. और उससे अधिक के आधिक्य)

( करोड़ रु. में)

क्र. सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
<b>3- पशुपालन तथा डेरी विभाग</b>				
1.	मैराइन मत्स्य - भारत का मत्स्य सर्वेक्षण	मू. 24.25 पु. (-)1.66	24.31	1.72
<b>9- खान विभाग</b>				
2.	भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण - प्रशासन निर्देश - प्रशासनिक सहयोग	मू. 194.69 पु. (-)3.32	195.81	4.44
<b>10- वाणिज्य विभाग</b>				
3.	अवसंरचनात्मक निर्यात व अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की योजना	मू. 310.00 पु. (-)7.12	304.46	1.58
<b>13- दूरसंचार विभाग</b>				
4.	परिवार पेंशन	मू. 67.84 पु. (-)0.85	71.62	4.63
5.	दूरभाष केन्द्र (स्वचालित)	पू. 5.26	15.90	10.64
6.	सिविल इंजीनियरिंग उचन्त	पू. 2.97	8.22	5.25
<b>14- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
7.	जर्मनी की फ़ेडरल गणराज्य सरकार से सहायता	-	1.11	1.11
<b>23- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग</b>				
8.	विशेष योजनागत योजनाओं के लिए ऋण उत्तर पूर्वी परिषद की योजना विशेष विकास परियोजना	मू. 23.97	27.51	3.54
<b>25- विदेश मंत्रालय</b>				
9.	दूतावासों और मिशनों	मू. 787.80 पु. (-)52.90	800.54	65.65
10.	स्वनिर्णयगत व्यय	मू. 785.00 पु. 8.94	801.84	7.90
11.	केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संस्थान	मू. 101.23 पु. (-)2.98	102.59	4.34
12.	प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मनोरंजन	मू. 24.50 पु. (-)7.28	19.74	2.52



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
13.	सीमांकन परिसीमा	मू. 4.71 पु. (-)2.67	3.44	1.40
14.	आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू. 31.00	37.18	6.18
15.	भूतान सरकार को ऋण	मू. 234.40 पु. 20.00	272.89	18.49
<b>26- आर्थिक मामलों का विभाग</b>				
16.	रिजर्व निधियों को अंतरण	मू. 9.90 पु. (-)0.10	14.04	4.24
<b>28- वित्तीय संस्थानों को भुगतान</b>				
17.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	मू. 237.98 पु. (-)7.09	235.60	4.71
<b>29- ब्याज भुगतान</b>				
18.	ऐशियन डवलपमेंट बैंक से ऋणों पर पूर्व भुगतान प्रीमियम	मू. - पु. 155.82	167.02	11.20
19.	91 दिवसीय खजाना बिलों पर खजाना बिल कटौती	मू. 358.00 पु. 11.00	388.42	19.42
20.	खजाना बिलों के परिवर्तन में भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई प्रतिभूतियां	मू. 4223.63 पु. (-)477.63	4209.57	463.57
21.	अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	मू. 550.00 पु. (-)162.65	388.66	1.30
22.	विशेष प्रतिभूतियों के परिवर्तन में जारी किए गये विशेष बिक्री योग्य प्रतिभूतियों पर ब्याज	मू. 2120.25 पु. 720.30	3066.65	226.10
23.	1999-2000 में लघु बचत से निवल उगाही के प्रति भारत सरकार की प्रतिभूतियों में विशेषतम निवेश पर ब्याज	मू. 2452.08 पु. 762.60	3260.48	45.80
24.	प्रतिपूर्ति तथा अन्य बांड	मू. 2377.65 पु. (-)351.21	2410.80	384.36
25.	ऋण का प्रबंधन	मू. 250.00 पु. 45.00	366.42	71.42
26.	जापान सरकार से प्राप्त ऋणों पर ब्याज	मू. 1067.08 पु. (-)9.84	1058.26	1.02
27.	एशियन विकास बैंक से ऋणों पर ब्याज	मू. 898.55 पु. (-)123.87	830.19	55.50
28.	अन्य राज्य की भविष्य निधियाँ	मू. 865.28 पु. 37.97	1051.71	148.46

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
29.	ई एस आई सी की विशेष जमा	मू. 390.24 पु. (-)20.54	390.24	20.54
30.	भविष्य सेवानिवृत्ति उपदान निधि का विशेष जमा	मू. 10200.00 पु. (-)175.00	10663.59	638.59
31.	भारतीय रैंक के असंवितरित वेतन के लिए बोनस	मू. 47.06 पु. (-)0.62	66.46	20.01
32.	सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना पर ब्याज	मू. 50.00 पु. 25.00	77.96	2.96
33.	रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि	मू. 29.35 पु. 22.56	80.70	28.79
34.	रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. 0.04	3.85	3.81
35.	रेलवे पेशन निधि	मू. 23.89 पु. 15.82	49.81	10.11
36.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जमा	मू. 55.00 पु. 94.00	167.27	18.27
<b>31- सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण</b>				
37.	अन्य अग्रिम	मू. 10.00 पु. (-)7.18	6.40	3.58
<b>32- ऋणों का पुनर्भुगतान</b>				
38.	14 - दिवसीय खजाना बिल	मू. 79716.00 पू. 26596.00 पु. (-)3814.00	106446.06	3948.06
39.	अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण	मू. 2956.83 पू. 8255.37 पु. (-)806.84	10464.71	59.35
40.	जापान सरकार से ऋण	मू. 1800.64 पु. (-) 84.90	1723.11	7.37
41.	ए.डी.बी. से ऋण	मू. 717.09 पू. 6390.67 पु. (-)928.68	6937.73	758.65
<b>36- राजस्व विभाग</b>				
42.	गाजीपुर अफीम फैक्टरी प्रबंधन	मू. 10.38 पु. (-)0.18	11.78	1.58
43.	अफीम की खरीद	मू. 46.00 पु. (-)7.27	41.34	2.61

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>37- प्रत्यक्ष कर</b>				
44.	शुल्कों का एकत्रण निगम कर - आयकर से अंतरित प्रभार	मू. 117.69	121.15	3.46
45.	धन पर कर - आय कर से हस्तांतरित शुल्क	मू. 78.02	80.32	2.30
<b>41- खाद्य संसाधन उद्योग विभाग</b>				
46.	खाद्य संसाधन - बागबानी आधारित उद्योग	मू. 20.08 पु. 4.66	28.06	3.33
<b>48- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय</b>				
47.	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजनाएं - केन्द्रीय सरकारी पेंशन	मू. 200.00 पु. (-)25.00	178.69	3.69
<b>56- श्रम मंत्रालय</b>				
48.	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों का मजबूतीकरण,	मू. 1.60 पु. (-)1.20	1.87	1.47
49.	अधिक कुशल शिल्पकारों और सूपरवाइजर्स को प्रशिक्षण	मू. 5.08 पु. (-)0.25	6.01	1.18
50.	चेन्नई में केन्द्रीय इंस्ट्रक्शनल मीडिया संस्थान	मू. 0.12	2.04	1.92
<b>70- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग</b>				
51.	अन्य व्यय - अन्य योजनाएं	मू. 17.75 पु. (-)3.10	18.75	4.10
52.	प्रेक्षण और मौसम स्टेशनस उपस्कर	मू. 27.47 पु. 7.00	36.13	1.66
<b>76- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>				
53.	महत्वपूर्ण और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण - सड़क रखरखाव	मू. 61.74 पु. (-)12.27	56.44	6.97
54.	महत्वपूर्ण और सीमा सड़कें - सड़क निर्माण - बी आर डी बी के अन्तर्गत सड़क निर्माण	मू. 352.66 पु. (-)17.43	364.82	29.59
55.	महत्वपूर्ण और सीमा निर्माण कार्य - बी आर डी बी के अन्तर्गत निर्माण कार्य	मू. 341.42 पु. 113.37	461.28	6.49

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
<b>80- संस्कृति विभाग</b>				
56.	अन्य योजनाएं	मू. 112.43 पू. 1.01 पु. 7.44	142.60	21.72
57.	अन्य पुस्तकालयों को अनुदान	मू. 20.12 पु. 0.45	22.57	2.00
58.	पुरातत्व सर्वेक्षण - पुराने स्मारक का परिवर्तन	मू. 43.53 पु. 0.51	80.91	36.87
59.	निर्माण कार्य	मू. 3.55 पु. (-)0.44	4.87	1.76
<b>89- परमाणु शक्ति</b>				
60.	नई प्रौद्योगिकी विकास परियोजना	मू. 75.00 पु. 18.80	95.14	1.34

परिशिष्ट -VII- ख

( पैराग्राफ 7.4 देखें )

अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान का ब्यौरा

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय	अव्ययित प्रावधान की राशि
सिविल		
राजस्व - दत्तमत		
1.	1- कृषि तथा सहकारिता विभाग	229.46
2.	6- उर्वरक विभाग	655.91
3.	8- कोयला विभाग	185.03
4.	9- खान विभाग	162.25
5.	16- रक्षा पेंशन	608.69
6.	26- आर्थिक मामलों का विभाग	477.51
7.	27 - मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	113.08
8.	28 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान	1224.11
9.	33- व्यय विभाग	100.07
10.	34 - पेंशन	225.88
11.	37 - प्रत्यक्ष कर	126.91
12.	40 - खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	117.14
13.	42- स्वास्थ्य विभाग	102.63
14.	44 - परिवार कल्याण विभाग	1188.32
15.	47- पुलिस	539.54
16.	50- प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	429.60
17.	51 - माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	291.27
18.	52- महिला एवं बाल विकास विभाग	119.04
19.	54 - भारी उद्योग विभाग	192.14
20.	56 - श्रम मंत्रालय	159.22
21.	61- गैर परम्परा - ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	201.18
22.	64 - पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1277.02
23.	67 - ग्रामीण विकास विभाग	134.29
24.	69- पेय जल आपूर्ति विभाग	158.42
25.	76 - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	299.82
26.	78 - कपड़ा मंत्रालय	230.43
27.	86- जल संसाधन मंत्रालय	174.79
28.	87- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय	216.18
29.	90 - नाभिकीय विद्युत योजनाएं	253.55
राजस्व प्रभारित		
30.	30- राज्य तथा संघ राज्य सरकारों को अन्तरण (वित्त मंत्रालय)	5800.89
पूंजीगत - दत्तमत		
31.	15- रक्षा मंत्रालय	155.40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय	( करोड़ रु. में ) अव्ययित प्रावधान की राशि
32.	26- आर्थिक मामलों का विभाग	210.26
33.	27- मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	294.62
34.	31- सरकारी कर्मचारी इत्यादि को कर्जे	241.00
35.	40- खाद्य एवं लोक वितरण विभाग	121.04
36.	66- विद्युत मंत्रालय	1487.50
37.	76 - सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	647.09
38.	77- जहाजरानी मंत्रालय	226.03
39.	89- परमाणु ऊर्जा	227.45
<b>पूँजीगत - प्रभारित</b>		
40.	30- राज्य तथा संघ राज्य सरकारों को अन्तरण (वित्त मंत्रालय)	517.30
41.	32 - ऋण का पुनर्भुगतान	38264.46
42.	47 - पुलिस	156.13
<b>रक्षा</b>		
<b>राजस्व - दत्तमत</b>		
43.	17 - रक्षा सेवाएं - थल सेना	1088.58
44.	18 - रक्षा सेवाएं - नेवी	228.13
45.	19- रक्षा सेवाएं - एयर फोर्स	863.72
46.	20- रक्षा आयुध कारखाना	621.70
47.	21- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6448.00
<b>रेलवे</b>		
<b>राजस्व - दत्तमत</b>		
48.	4 - मरम्मत और रखरखाव का स्थाई निर्माण कार्य	179.88
49.	5 - विद्युत की मरम्मत और रखरखाव का उद्देश्य	129.39
50.	6 - सवारी डिब्बा और माल डिब्बा की मरम्मत और रखरखाव	183.63
51.	7 - संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और रखरखाव	109.21
52.	8 - परिचालन खर्चे - गाड़ियाँ और उपस्कर	185.72
53.	9 - परिचालन खर्चे - परिपथ	309.98
54.	13 - भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	340.51
<b>पूँजीगत - दत्तमत</b>		
55.	16 - पूँजीगत	465.93
56.	16 - रेलवे निधियां	632.96
57.	16 - रेलवे सुरक्षा निधि	285.93

परिशिष्ट-VII- ग

( पैराग्राफ 7.7 देखें )

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

( करोड़ रु. में )

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन	कुल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पण राशि
राजस्व - दत्तमत			
1.	9- खान विभाग	162.25	164.63
2.	48- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	17.29	18.38
3.	80- संस्कृति विभाग	*	7.86
4.	100- दादर और नगर हवेली	56.26	57.03
पूँजीगत - दत्तमत			
5.	8- कोयला विभाग	61.96	62.58
6.	100- दादर और नगर हवेली	0.16	0.18
पूँजीगत - प्रभारित			
7.	32- कर्ज का पुनर्भुगतान	38264.46	41463.03
रक्षा सेवाएं			
पूँजीगत - दत्तमत			
8.	21- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6457.78	6501.37

\* 52.70 करोड़ रु. के व्यय की अधिकता

परिशिष्ट-VII- घ

( पैराग्राफ 7.10 देखें )

प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोचित थे  
( पुनर्विनियोग के केवल 50.00 लाख रुपये से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख )

( लाख रु. में )

क्र. सं.	अनुदान की प्रकृति तथा संख्या	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उपशीर्ष के पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप शीर्ष में अंतिम अव्ययित प्रावधान
सिविल					
1.	1- कृषि और सहकारिता विभाग	2401- फसल पालन	सूचना सहायता/सूचना प्रबन्धन प्रणाली	91.35	116.70
2.	2- कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2415- कृषि और शिक्षा अनुसंधान	उद्यान विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं	200.00	606.00
3.	- वही -	- वही -	कृषि प्रसार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं	700.00	816.00
4.	- वही -	- वही -	कृषि विकास संस्थान, अनुसंधान और विकास योजनाएं	230.00	838.00
5.	- वही -	- वही -	कृषि अभियान्त्रिकी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा योजनाएं	80.00	205.00
6.	23- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	अन्य विविध मदें	138.75	298.52
7.	25- विदेश मंत्रालय	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	अन्य आवास विदेश मामले	411.00	717.37
8.	27- मुद्रा, सिक्के एवं मोहर	2046- मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल	टकसाल - प्रबन्धन एवं स्थापना	248.04	313.29
9.	29- ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	14 - दिवसीय ट्रेजरी बिल	100.00	6850.25
10.	- वही -	- वही -	आई बी आर डी से ऋणों पर ब्याज	754.77	1025.52



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

( लाख रु. में )

क्र. सं.	अनुदान की प्रकृति तथा संख्या	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उपशीर्ष के पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप शीर्ष में अंतिम अव्ययित प्रावधान
11.	- वही -	- वही -	यू एस एस आर सरकार से ऋणों पर ब्याज	160.12	542.15
12.	- वही -	- वही -	संघ राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	60.49	242.74
13.	38- अप्रत्यक्ष कर	2038- संघ उत्पाद शुल्क	आयुक्तालय	180.28	723.19
14.	44- परिवार कल्याण विभाग	2211- परिवार कल्याण	सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मीडिया इकाई के कारण व्यय	68.00	117.71
15.	47- पुलिस	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	59.00	64.55
16.	56- श्रम मंत्रालय	2230- श्रम और रोजगार	औद्योगिक सम्बन्ध - अन्य सामान	80.13	188.62
17.	73- लघु उद्योग मंत्रालय	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	लघु उद्योगों के लिए विकास आयुक्त	52.00	52.45
18.	78- कपड़ा मंत्रालय	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	प्रशिक्षण एवं प्रसार	59.00	413.28
19.	- वही -	- वही -	परिकल्पना और तकनीकी उन्नति	185.00	478.89
20.	- वही -	- वही -	बाबा साहब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना	70.00	82.97
21.	82- शहरी विकास विभाग	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	गृह मामले	160.00	162.46
22.	83- लोक निर्माण	4059- लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	वित्त (राजस्व)	95.00	324.42
23.	89- परमाणु ऊर्जा	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	परमाणु ऊर्जा विभाग	57.25	64.45
24.	-वही-	2852- उद्योग	प्रसारण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी बोर्ड	89.00	141.51
25.	-वही-	4861- परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	डी ए ई मैडीकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट	99.00	100.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(लाख रु. में)

क्र. सं.	अनुदान की प्रकृति तथा संख्या	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उपशीर्ष के पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप शीर्ष में अंतिम अव्ययित प्रावधान
26.	91- महासागर विकास विभाग	3403- समुद्रविज्ञान अनुसंधान	राष्ट्रीय दक्षिण ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र (रा.के.द.म.अ.)	197.50	550.00
<b>रक्षा</b>					
27.	18- रक्षा सेवाएं - नौ सेना	2077- नौ सेना रक्षा सेवाएं	निर्माण	422.00	1933.07
28.	21- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4076- रक्षा सेवाओं में पूँजीगत परिव्यय	नौ सेना - स्थल	90.00	116.05
29.	- वही -	- वही -	नौ सेना - निर्माण कार्य	89.00	537.93
				<b>5226.68</b>	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट -VII- ड

( पैराग्राफ 7.11 देखें )

उपशीर्ष में पुनर्विनियोग के मामले जिनमें व्यय अन्ततः शेष प्रावधान पर अधिक दर्शाया गया

( लाख रु. में )

क्र. सं.	संख्या तथा अनुदान की प्रकृति	मुख्य शीर्ष	उप शीर्ष	उप शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप शीर्ष के अन्तर्गत अत्याधिक राशि
1.	3- पशुपालन और डेरी विभाग	2405- मत्स्य क्षेत्र	भारतीय मत्स्य क्षेत्र सर्वेक्षण	165.63	171.90
2.	9- खान विभाग	2853- नोन फेरस खान एवं धातुकर्मीय उद्योग	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - निर्देशन एवं प्रशासन - प्रशासकीय सहायता	332.35	443.99
3.	11- औद्योगिक नीति एवं संस्थापन विभाग	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	आर्थिक सलाहकार	77.82	95.93
4.	13- दूरसंचार विभाग	2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ	i) परिवार पेंशन	85.45	462.93
5.	25- विदेश मंत्रालय	2061- विदेशी मामले	i) दूतावास तथा मिशन	5290.14	6564.51
6.	-वही-	-वही-	ii) केन्द्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवास संगठन	298.58	434.10
7.	29- ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	i) क्षतिपूर्ति एवं अन्य प्रतिभुपत्र	35121.00	38436.21
8.	-वही-	-वही-	ii) ईएसआईसी से विशेष जमा	2053.70	2053.90
9.	-वही-	-वही-	iii) भविष्य सेवानिवृति उपदान निधि से विशेष जमा	17500.00	63858.67
10.	-वही-	-वही-	iv) इंडिया रैंक के अवितरित वेतन के लिए बोनस	61.70	2001.32
11.	32- ऋण का पुनर्भुगतान	6001- केन्द्र सरकार को आन्तरिक ऋण	14 - दिवसीय ट्रेजरी बिल	381400.00	394805.97
12.	56- श्रम मंत्रालय	2230- श्रम और रोजगार	मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का बढ़ाना	120.05	146.65
13.	70- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	अन्य व्यय - अन्य योजनाएं	310.00	409.68
14.	76- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	बी आर डी बी के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य	1743.40	2959.89
				<b>444559.82</b>	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट -VII- च  
( पैराग्राफ 7.17 देखें )  
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

( करोड़ रु. में )

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूँजीगत					जोड़
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूँजीगत	कर्जे एवं पेशगियाँ	लोक ऋण	पूँजीगत	कर्जे एवं पेशगियाँ	
1996-97	मूल	86187	87431	9042	6790	201914	9	22202	413575
	अनुपूरक	4378	55	767	418	-	11	1698	7327
	प्रतिशतता	5	0.1	8	6	-	122	8	2
1997-98	मूल	94519	97177	9907	6258	227229	8	25150	460248
	अनुपूरक	30641	62	3507	781	130735	4	5673	171403
	प्रतिशतता	32	0.1	35	12	58	50	23	37
1998-99	मूल	109434	105200	18600	6724	359080	16	29687	628741
	अनुपूरक	3329	32	43	953	-	23	10068	14448
	प्रतिशतता	3	0.03	0.23	14	-	144	34	2
1999-00	मूल	118638	121084	18582	5638	360893	107	17963	642905
	अनुपूरक	12780	8438	1545	597	-	16	3573	26949
	प्रतिशतता	11	7	8	11	-	15	20	4
2000-01	मूल	132204	153591	14185	5775	354767	25	21216	681763
	अनुपूरक	19672	19	486	1355	-	6	906	22444
	प्रतिशतता	15	-	3	23	-	24	4	3
2001-02	मूल	158814	131178	20389	5215	285150	35	21339	622120
	अनुपूरक	20256	13	3842	9620	40628	1	3334	77694
	प्रतिशतता	13	-	19	184	14	3	16	13
2002-03	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190
	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611
	प्रतिशतता	10	-	4	89	18	4	6	12

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VIII-क

(पैराग्राफ-8.4 देखें)

2002-03 के दौरान उपशीर्षों के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान रहा

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			अव्ययित प्रावधान के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	अव्ययित प्रावधान	
<b>मुख्य शीर्ष - "2210" - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य</b>					
1	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं	16.84	14.62	2.22	दौरे एवं स्थानान्तरण के लिए कम दावे तथा मरम्मत एवं नवीकरण पर कम व्यय
2	वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय को अनुदान	14.00	12.00	2.00	पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की प्राप्यता
3	कैंसर अनुसंधान	58.16	42.05	16.11	व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना बढ़ाया गया प्रावधान
4	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	272.00	249.31	22.69	संस्थान द्वारा सृजित अतिरिक्त आय का समायोजन
5	सफदरजंग अस्पताल में मैडिकल कॉलेज की स्थापना, नई दिल्ली	5.00	2.01	2.99	कर्मचारियों का स्थानांतरण, खाली पदों को न भरा जाना तथा मशीनरी एवं उपकरणों की कम खरीद
6	चिकित्सा अनुदान आयोग (नया)	5.00	0.00	5.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन न होना
7	हवाई अड्डा संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना	9.05	5.85	3.20	कर्मचारियों का स्थानांतरण, खाली पदों को न भरा जाना, लेखन सामग्री तथा अन्य कार्यालय उपकरणों की कम खरीद
8	उपचर्या सेवाओं का विकास	20.00	12.00	8.00	उपचर्या के स्कूलों का कोटि उन्नयन करना एम.एस.सी. (उपचर्या) की शुरूआत तथा सीटों में बड़ीतरी का अनुमोदन न होना
9	राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान	28.97	18.02	10.95	नई योजनाओं तथा बीमारियों के उन्मूलन में माँग की कमी के कारण अनुमोदन का न होना
10	राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम	60.23	47.72	12.51	यू.टी./सरकार द्वारा जिला मलेरिया नियंत्रण सोसाईटियों द्वारा व्यय के भाग को चुकाने के कारण संघ राज्य क्षेत्र/सरकारों को कम निधियों की आवश्यकता तथा एम आई एस गतिविधियों एवं सिविल निर्माण कार्य का अनुमोदन न होना
11	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	66.64	59.09	7.55	बहुऔषधीय कुष्ठ जिला समितियों के साथ अव्ययित शेषों का समायोजन
12	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	27.00	0.09	26.91	स्कीमों का अनुमोदन न होना
13	व्यावसायिक रोगों के उपचार एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	4.00	0.00	4.00	आई.सी.एम.आर. योजना के साथ विलयन
14	खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम तथा प्रशासन	9.97	3.76	6.21	रिक्त पदों को न भरा जाना खाद्य की सुरक्षा हेतु क्षमता भवन निर्माण परियोजना का अनुमोदन न होना
15	केन्द्रीय मानक औषध नियंत्रण संगठन	17.35	11.12	6.23	औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण पर क्षमता भवन निर्माण परियोजना का अनुमोदन न होना

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(करोड़ रु.में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			अव्ययित प्रावधान के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	अव्ययित प्रावधान	
16	भारतीय पोस्टीयर संस्थान को अनुदान, कूनूर	7.50	3.00	4.50	पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की प्राप्यता
17	राष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीय जैविक संस्थान	20.00	14.40	5.60	पशु घर तथा जीव शाला के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति
18	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य, कलकत्ता	8.90	5.44	3.46	योजनाओं का अनुमोदन न होना
19	केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली	3.55	2.25	1.30	सम्पादकीय वर्ग में मुख्य कार्यों की कमी
20	महाविपदा स्वास्थ्य क्षेत्र तैयारी एवं प्रबंधन	6.00	0.00	6.00	योजनाओं का अनुमोदन न होना
21	स्वास्थ्य सूचना एवं मोनीटरिंग प्रणाली का सुदृणीकरण	2.40	0.74	1.66	राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखाओ की गतिविधियों से सम्बन्धित तैयारी का पूर्ण न करना
<b>मुख्य शीर्ष "3601"-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान</b>					
22	राष्ट्रीय रोहा एवं अन्धापन नियन्त्रण कार्यक्रम (सामान्य घटक)	46.00	34.42	11.58	नेत्र प्रदाह-गस्त उपकरण एवं उपभोग्य के लिए दरों में कमी की प्रवृत्ति
23	कालाजर नियंत्रण कार्यक्रम	20.00	3.92	16.08	राज्य सरकार द्वारा साज सामान की उन्नति न होना
24	राष्ट्रीय टी.बी.नियन्त्रण कार्यक्रम बाह्य सहायता प्राप्त घटक	40.00	26.90	13.10	अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी से औषधियों की कम प्राप्ति
25	राष्ट्रीय टी.बी. नियन्त्रण कार्यक्रम (सामान्य घटक)	5.50	1.64	3.86	संसोधित कार्यक्रम के अन्तर्गत एक्स रे फिल्म रोल की कम आवश्यकता
26	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) ई.ए.सी.	104.79	63.11	41.68	राज्य सरकार द्वारा केश/उपयोगी वस्तु अनुदानों की कम मांग
27	10वीं योजना (नई) में नई पहल	25.00	--	25.00	योजनाओं का अनुमोदन न होना
<b>मुख्य शीर्ष "4210" - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
28	चिकित्सा भण्डार डिपो	21.12	14.89	6.23	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा खर्च में किफायत
29	अन्तर्राष्ट्रीय भंडारों का निपटान और संचालन	2.43	1.28	1.15	भण्डारों के प्रापण से संबंधित क्रियाकलापों में कमी
30	भारत में और विदेश में सामान की खरीद	50.00	15.53	34.47	अनुवांशिक और स्वामित्व दवाईयों की दरों का अनुमोदन न होना और अस्पताल सेवाओं परामर्श सहायता (भारत) लि. द्वारा दवाईयों का कम प्रापण
31	सामान की भारी खरीद और राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण प्रोग्राम के लिए उपकरण	32.80	27.55	5.25	दवाईयों का कम प्रापण
32.	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम	153.64	145.01	8.63	कालाजर कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा डी.डी.टी. की उन्नति न होना और कृत्रिम पैरीथोराइड और चिकित्सा मच्छरदानी की कीमतों में कटौती

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VIII-ख

(पराग्राफ 8.4 देखें)

2002-03 के दौरान उप-शीर्षों के अन्तर्गत अधिक्य व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	उप शीर्ष	अधिक्य व्यय			अधिक्य व्यय के लिए कारण
		प्रस्तावित प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक्य व्यय	
<b>मुख्य शीर्ष - "2210" - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</b>					
1	डिस्पेंसरियों/अस्पतालों की स्थापना	327.00	402.52	75.52	स्थानीय खरीदों में व्यय की बढ़ती निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के शल्कों, रोग विषयक संस्थाओं और लम्बित जिम्मेदारियों का निपटान और के.स.स्वा.यो. में नये निजी अस्पतालों को मान्यता
2	डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	57.92	61.95	4.03	छुट्टियों का नकदीकरण, बढ़ती और म.भ. के बकाया दवाईयों आदि की कीमतों में वृद्धि
3	केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची	11.25	15.04	3.79	मंशीनों और उपकरणों की लागत में बढ़त और इवाईयों आदि के बकाया बिलों का निकास
4	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदान, नई दिल्ली	157.50	180.00	22.50	परिषद के साथ व्यय योजनाओं का विलयन
5	लेडि हार्डिंग मैडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के.अस्पताल, नई दिल्ली	44.75	50.41	5.66	पूर्तिकर्ता को भुगतान और बकाया उत्तरदायित्वों का निपटान
6	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और न्यूरो विज्ञान बंगलौर को अनुदान	38.60	43.32	4.72	प्रमुख निर्माण कार्य जारी रहने के कारण व्यय में बढ़ती
7	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को अनुदान, चण्डीगढ़	119.50	132.00	12.50	नये पाँच विभागों के लिए भवन निर्माण पर व्यय
8	आयोडिन कमी असंतुलन नियंत्रण कार्यक्रम	5.90	7.13	1.23	दूरदर्शन और आकाशवाणी के बकाया दावों का निपटान
9	रोहा और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम	32.35	46.16	13.81	राज्य द्वारा जिला अंधापन नियंत्रण संस्था द्वारा अंधापन नियंत्रण दायित्वों का निपटान और नेत्र आवरण कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल के कार्यक्रम के अतिरिक्त व्यय
10	राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	64.00	67.62	3.62	सूचना के लिए जन माध्यम ऐजेन्सी का किराये पर लेने के लिए शिक्षा और संचार के क्रियाकलापों के लिए और ऐजेन्सियों से बढ़े हुये सहायता सामान रखने के लिए आवागम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता
11	राष्ट्रीय व्यसन निवारण औषधि कार्यक्रम	6.50	10.72	4.22	नये भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय
12	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	220.50	241.36	20.86	स्थापना पर, व्यय में बढ़ती एड्स विशेषी क्रियाकलापों और राज्य एड्स नियंत्रण संस्थाओं द्वारा अधिक व्यय।
<b>मुख्य शीर्ष "3601"-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान</b>					
13	राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य घटक)	15.56	86.00	70.44	राज्य सरकारों को उपयोगी वस्तुओं की अधिक सहायता और कुछ राज्यों को अतिरिक्त डी डी टी की मात्रा देना और पुराने डी डी टी की आपूर्ति की लागत को पूरा करने का दायित्व
14	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (इ ए सी)	--	10.00	10.00	राज्य सरकारों को उपयोगी वस्तुओं की अधिक सहायता

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.17 देखें)

एक करोड़ रुपये से अधिक अव्ययित प्रावधान रहा

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/अभ्यर्पण	बचत की प्रतिशतता
<b>2000-01</b>					
1	2235.02.102.18 -आई.सी.डी.एस.	6.00	4.34	1.66	28
2	2235.02.102.24- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम	2.00	0.89	1.11	55
3	2235.02.102.30- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	0.67	1.33	67
4	2235.02.103.14-अल्प अवधि गृह की प्रतिष्ठान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	14.51	9.77	4.74	33
5	2235.02.103.43-स्व -शक्ति - परियोजना	15.00	8.00	7.00	47
6	2235.02.800.15-आई सी डी एस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान	4.00	0.78	3.22	80
7	3601.03.358.01-आई सी डी एस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान	28.00	17.99	10.01	36
8	3601.04.356.02-इन्दिरा महिला योजना	17.00	2.05	14.95	88
9	3601.03.356.03-बालिका समृद्धि योजना	26.80	20.95	5.86	22
10	3601.04.358.01-विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस कार्यक्रम - सामान्य घटक	53.40	41.73	11.67	22
11	3601.04.358.02-विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस कार्यक्रम - बाध्य सहायता प्राप्त घटक	124.60	97.38	27.22	22
<b>2001-02</b>					
12	2235.02.102.06 - बालबाड़ी पोषण कार्यक्रम	1.51	0.11	1.40	93
13	2235. 02.102.18 - बाल विकास समाकलित सेवाएँ	10.00	3.93	6.07	61
14	2235.02.102.23-प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा - स्वैच्छिक एजेंसियों को आर्थिक सहायता	1.51	0.49	1.03	68
15	2235. 02.102. 30. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.00	2.82	2.18	44
16	2235.02.103.03-कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	8.98	4.96	4.02	45
17	2235.02.103.14-अल्पावधि गृहों की स्थापना हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	12.84	6.03	6.81	53
18	2235.02.103.45-कठिन परिस्थितियों में महिलाएं	6.00	0.08	5.92	99
19	3601.04.356.02- इन्दिरा महिला योजना	19.25	6.73	12.52	65
20	3601.04.356.03- बालिका समृद्धि योजना	24.80	13.02	11.78	48
21	3602.04.358.02- आई सी डी एस	15.00	9.51	5.49	37
<b>2002-03</b>					
22	2235.02.102.12-शिशुसदनों/देख भाल केन्द्र	25.80	22.67	3.13	12
23	2235.02.102.17 - राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान	11.50	8.00	3.50	30
24	2235.02.102.18 - आई सी डी एस	7.50	3.82	3.68	57
25	2235.02.103.30 - विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.00	2.26	5.74	72
26	2235.02.103.03- कामकाजी महिलाओं के होस्टलो हेतु स्वैच्छिक संगठन को सहायता	13.48	6.00	7.48	56
27	2235.02.103.14-अल्पावधि गृहों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	16.34	13.26	3.08	19
28	2235.02.103.15-प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहयोग प्रदान करना	23.00	21.12	1.88	8



नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत/अभ्यर्पण	बचत की प्रतिशतता
29	2235.02.103.35- राष्ट्रीय महिला आयोग	5.40	3.70	1.70	31
30	2235.02.103.46 - स्वयंसिद्धा	1.86	0.24	1.62	87
31	2235.02.103.47- स्वधार	13.50	4.04	9.46	70
32	2235.02.800.18-अध्ययन अनुसंधान एवं प्रकाशन अनुसंधान	4.50	0.86	3.64	81
33	2235.02.800.21-सूचना एवं सार्वजनिक शिक्षा	5.60	1.66	3.94	70
34	3601.04.356.04-स्वयं सिद्धा	16.52	6.58	9.94	60
35	3602.04.358.02- आई सी डी एस	16.00	12.23	3.77	24

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मुख्य /उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित प्रावधान/आधिव्यय प्रावधान पर मंत्रालय द्वारा बताये गये सहायक कारण
19.	6701-मुख्य और मध्यम सिंचाई के लिए ऋण - राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड, परियोजनाएं	( मू.)6.80 (अ.)15.00	20.00	1.80	तंत्र उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों की कम प्राप्ति
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
20.	5075 - अन्य वाहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय - फरक्का बाँध	1.00	0.04	0.96	मध्यस्था निर्णय को अंतिम रूप न दिया जाना
21	7601- राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम - ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण	30.00	--	30.00	योजना आयोग द्वारा स्कीम का अनुमोदन न करना
<b>आधिव्यय</b>					
<b>राजस्व (दत्तमत्त)</b>					
1	2702-लघु सिंचाई केन्द्रीय जल तल बोर्ड	85.30	86.67	1.37	जलाभाव के भूकंप क्षेत्र में कार्य की कीमत में बढ़ीतरी और एसीपी योजना का कार्यान्वयन
2	तल के पानी को कृत्रिम रूप से पुनः भर देना	5.00	6.19	1.19	गुजरात क्षेत्र में तल के पानी को कृत्रिम रूप से पुनः भर देने के कार्य का अतिरिक्त अध्ययन
3	2711-बाढ़ रोकथाम और जल निकास ब्रह्मपुत्र बोर्ड	( मू.) 15.50 (अ.) 0.01	17.42	1.91	बोर्ड की चल रही गतिविधियों के लिए अतिरिक्त अनुदान जारी किया।
4	पंचेस्वर जल निकास योजना	3.00	4.76	1.76	स्थलाकृति सर्वेक्षणों/जाँचों के प्रति व्यय को वहन करना
5	हररेंज जल निकास योजना	3.20	4.29	1.09	योजना के अन्तर्गत निर्माण क्रियाकलापों का बढ़ाना
6	3601-राज्य सरकारों को सहायता लघु सिंचाई सांख्यिकी का यौक्तिकीकरण	2.83	4.73	1.90	राज्य सरकारों द्वारा लघु सिंचाई सांख्यिकी का तीसरा सेंसस शुरू करना
<b>2001-02</b>					
<b>अव्ययित प्रावधान</b>					
<b>राजस्व (दत्तमत्त)</b>					
1	2701-मुख्य और मध्यम सिंचाई - केन्द्रीय जल आयोग	10.77	9.70	1.07	नियमित/निर्माण कार्य प्रभारित पदों के भरने पर प्रतिबन्ध लगाना।
2	आंकड़े संकलन - केन्द्रीय जल आयोग	47.10	42.44	4.66	--वही--
3	राष्ट्रीय आर्द्रता विज्ञान संस्थान	6.85	5.44	1.41	नियोजित पदों का न भरना और नई योजनाओं का हाथ में न होना
4	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	19.45	17.76	1.69	वित्त मंत्रालय द्वारा वेतन के अलावा अन्य व्ययपर 10% की अधिदेशानुसार कटौती
5	केन्द्रीय मिट्टी एवं उपकरण अनुसंधान केन्द्र	10.28	9.24	1.04	अनुमानित से कम निर्माण कार्य की लागत
6	आर्द्रता विज्ञान परियोजना	2.51	1.37	1.14	खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब
7	राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी	15.00	14.00	1.00	बरसा कार्य से सम्बन्धित परामर्शात्मक कार्य की प्रक्रिया में विलम्ब
8	2701-केन्द्रीय जल आयोग (परामर्श)	15.06	13.11	1.95	नियमित/कार्य प्रभारित पदों का न भरा जाना तथा वेतन के अतिरिक्त पदों पर 10% अधिदेशानुसार कटौती
9	2701-अन्य योजनाएं	1.69	0.63	1.06	उच्चतर यमुना नदी बोर्ड का कार्य न करना
10	2701-केन्द्रीय जल आयोग	13.64	11.29	2.35	नियमित कार्य प्रभारित पदों का न भरा जाना तथा उपकरणों व वाहनों के टेंडर को अंतिम रूप न दिया जाना
11	2702-लघु सिंचाई तल जल के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	1.43	0.34	1.09	पदों के भरे जाने पर प्रतिबन्ध और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संस्था का उत्तरदायित्व न लेने के कारण भवन के निर्माण कार्य पर रोक
12	2705-कमांड एरिया विकास - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1.50	0.15	1.35	समर्थक वाउचर के अभाव में जल शक्ति परामर्श सेवाएं के बिलों को असमाशोधन
13	कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन	1.50	0.14	1.36	करारों को अंतिम रूप न देने के कारण कम संख्या में अध्ययन
14	2711-बाढ़ नियंत्रण और जल निकास केन्द्रीय जल आयोग	30.89	26.36	4.53	नियमित कार्य प्रभारित पदों को भर जाने पर प्रतिबन्ध और गैर योजना पर 10% की कटौती

**नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003**

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मुख्य /उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित प्रावधान/आधिव्यय प्रावधान पर मंत्रालय द्वारा बताये गये सहायक कारण
15	अन्य स्कीम	12.87	11.45	1.42	रिक्त पदों को भरने पर रोक तथा कुछ कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब
16	पगलाडिया डेम परियोजना	27.00	17.50	9.50	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में विलम्ब
17	3601-राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान सहायता - सतलुज यमुना लिंक केनाल परियोजना	8.00	--	8.00	गैर - पुन ग्रहण कार्य के मामले का न्यायधीन के कारण निधियों का जारी न होना
18	ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए बाढ़ नियंत्रण	25.00	--	25.00	योजना आयोग द्वारा योजना का अनुमोदन न करना
19	लाल बकेयक कमला, बागमति तथा खांडो नदियों के बांधो का विस्तार	3.00	2.00	1.00	कम कार्य पूरा होने के कारण बिहार सरकार से कम मांग
20	संकटकालीन भूक्षरण विरोधी तटवर्ती कार्यों में तथा गंगा घाटी राज्यों के अतिरिक्त	2.00	--	2.00	योजना आयोग द्वारा स्कीम का अनुमोदन न करना
21	कमाण्ड एरिया विकास	182.29	146.73	35.56	पिछले वर्षों के अव्ययित शेष का समायोजन
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>					
22.	5075-पूँजीगत परिव्यय तथा अन्य परिवहन सेवाएं फरक्का बांध	20.50	16.75	3.75	नियमित/कार्य प्रभारित पदों को न भरने पर प्रतिबन्ध खरीद प्रस्तावों आदि को अंतिम रूप न दिया जाना
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
23.	फरक्का बांध	1.00	--	1.00	न्यायलय द्वारा मध्यस्था पंच निर्णय के अभाव में।
<b>आधिव्यय</b>					
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>					
1	2702-लघु सिंचाई केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	96.42	105.32	8.90	दो साज सामान की अधिप्राप्ति और सूखे से प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त नौकरियों।
2	भूमि जल को कृत्रिम रूप से पुनः भर देना	5.00	13.64	8.64	वर्षा पानी का संचयन के लिए अधिक परियोजनाओं का अनुमोदन
3	जल विज्ञान परियोजना	11.00	21.26	10.26	अधिक कम्प्यूटर उपकरणों की खरीद
4	2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल- निकास-जल विज्ञान परियोजना	18.62	20.56	1.94	बाह्य सहयोग संघटकों के अन्तर्गत उपकरणों तथा मशीनों की खरीद
5	3601-राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान सहायता- संकटकालीन भूक्षरण विरोधी तटीवर्ती कार्यों में तथा गंगा घाटीय राज्यों के अलावा।	20.00	--	20.00	योजना आयोग द्वारा स्कीमों का अनुमोदन न करना
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>					
6	6701-मुख्य और मध्यम सिंचाई के लिए कर्ज राष्ट्रीय निर्माण निगम लिमिटेड परियोजनाएं	(O) 15.00 (S) 11.73	32.00	5.27	बेकार इकाईयों के कर्मचारियों के बकाया देयों को निपटारा करना
<b>2002-2003</b>					
<b>अव्ययित प्रावधान</b>					
<b>राजस्व (दत्तमत्त)</b>					
<b>2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई</b>					
1	डाटा एकत्रण - केन्द्रीय जल आयोग	45.86	43.92	1.94	एसीपी /मोटर वाहनों की खरीद के मामलों को अंतिम रूप न देना
2	केन्द्रीय भूमि तथा सामग्री अनुसंधान स्टेशन	10.46	8.07	2.39	कम खरीद और कार्यालय मर्द/उपकरणों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न देना।
3	जल विज्ञान परियोजना	4.25	1.33	2.92	विदेश से वर्तमान मीटर रेटिंग ट्रोली की खरीद न होना
<b>2701-सर्वेक्षण एवं सिंचाई</b>					
4	राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी	16.50	15.30	1.20	एरियल का उत्तरदायित्व न लेना, पर्यावरण निकासी की प्राप्ति न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य न होना
5	केन्द्रीय जल आयोग	5.99	4.84	1.15	नियमित/वर्क चार्ज पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध तथा अपेक्षित चिकित्सा दावों से कम की प्राप्ति
6	परामर्श - केन्द्रीय जल आयोग	15.28	12.87	2.42	स्थाई/वर्क चार्ज पदों को भरे जाने पर प्रतिबन्ध
7	अन्य व्यय - केन्द्रीय जल आयोग	14.76	11.14	3.62	अध्ययन कार्य में निर्णय देने में देरी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन  
संघ सरकार लेखे 2002-2003

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मुख्य /उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	अव्ययित प्रावधान/आधिक्य प्रावधान पर मंत्रालय द्वारा बताये गये सहायक कारण
8	2702-लघु सिंचाई जॉच पड़ताल भूमि जल का कृत्रिम रूप से पुनः भराव	26.36	7.69	18.67	योजना आयोग द्वारा योजना की पुनः संरचना
9	राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं भूमि जल अनुसंधान संस्थान	1.30	0.29	1.01	नियमित/वर्क जार्च पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध तथा राज्य द्वारा संस्थान के बने हुए भवनों आधिपत्य को न लेने के कारण प्रतिबंधित गतिविधियां
10	भू-जल सर्वेक्षण, छान-बीन तथा जॉच पड़ताल	72.00	64.25	7.75	जापान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों की खरीद में देरी तथा भण्डार की वस्तुओं की खरीद में कमी
11	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास केन्द्रीय जल आयोग	29.92	28.63	1.29	पदों की भर्ती पर रोक तथा अपेक्षा से कम धिकित्सा दावा
<b>3601-राज्य सरकार का सहायता अनुदान</b>					
12	सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना	8.00	--	8.00	पंजाब सरकार द्वारा निर्माण कार्य को पुनरारंभ न करना
13	लालबकैया, कमला बागमती तथा खण्डो नदियों के तटयी बांधों का विस्तार	5.00	1.50	3.50	लघु प्रतिपूर्ति दावों के कारण निधियां कम जारी की गईं
14	लघु सिंचाई सांख्यिकी का सुव्यवस्थीकरण	7.45	5.50	1.95	निष्पादन करने वाले राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति के कारण अनुदान का कम जारी किया जाना
15	कमान्ड एरिया डवलपमेंट	198.00	150.23	47.77	लघु प्रतिपूर्ति दावों के कारण निधियों का कम जारी होना
16	बाढ़ पूर्णगीर्ण कार्यक्रम	1.50	--	1.50	बिहार सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र नहीं भिजवाना
17	तटवर्ती तथा अन्य गंगावेसिन राज्यों के संकटकालीन विरोधी तथा भूक्षरण निर्माण कार्य	2.00	--	2.00	प्रभावित राज्यों द्वारा प्रस्तावों को प्रस्तुत न करने के कारण योजना का अनुमोदन न होना
<b>पूँजीगत (दत्तमत्त)</b>					
18	4701-मुख्य एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय - केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र	4.70	3.46	1.24	उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
19	5075-फरक्का बांध	24.50	23.23	1.27	नियमित वर्क जार्च पदों का न भरा जाना तथा कार्य प्रक्रिया में विलम्ब
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
20	7601-राज्य सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम - पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में आपातकालीन बाढ़ से बचाव कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता	3.00	1.76	1.24	पश्चिम बंगाल सरकार से दावों की प्राप्ति न होना
<b>आधिक्य</b>					
<b>राजस्व दत्तमत्त</b>					
1	2702-लघु सिंचाई जल विज्ञान परियोजना	7.80	10.77	2.97	मैसर्स टाटा इन्फोटेक लिमिटेड के बकाया बिलों का निर्गम तथा मशीनरी एवं उपकरण की खरीद
2	2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास - जल विज्ञान परियोजना	8.10	10.73	2.63	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना को सीमित समय के अन्दर फील्ड/साइट कार्यालयी तथा प्रयोगशाला कार्य के निर्माण को पूरा किया जाना
3	ब्रह्म पुत्र बोर्ड	शून्य	14.00	14.00	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभ हेतु व्यय को पूरा करना
4	हैरेंगेज जल निकास योजना	शून्य	5.00	5.00	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के (लाभ के लिए व्यय को पूरा करना
5	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान गंगा बेसिन राज्यों में संकटकालीन विरोधी भूक्षरण निर्माण कार्य	23.00	24.82	1.82	जारी परियोजना को पूर्ण करने के लिए और अधिक मांगे प्राप्त हुईं
6	5075-गंगा बेसिन राज्यों में अन्य यातायात सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय- भूक्षरण विरोधी निर्माण कार्य	2.00	4.00	2.00	भूक्षरण विरोधी निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त निर्माण कार्य का समापन

## शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थाई अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।

- विनियोग विधेयक : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
- पूँजीगत व्यय : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूँजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूँजीगत-प्राप्ति : पूँजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि:- (भा.स.नि.) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूँजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है।
- ऋण सेवा : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।

- अनुदानों की मांग : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्ति को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।
- अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व(दत्तमत), पूंजीगत(प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुदान से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्ति तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्ति के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ. : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसकी माप

- चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्ज, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे “भारत में लिया गया ऋण ” भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत “001” से प्रारंभ होते हैं।
- नयी सेवा** : सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं जिससे बाहर किया गया व्यय “नई सेवा /सेवा का नया साधन” बन जाता है।
- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा** : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से संबंधित लेन-देन



शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

- लोक ऋण (भारत का) : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
- अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई

जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

- अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- अव्ययित प्रावधान : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
- दत्तमत्त अनुदान : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।